खण्ड-215, अंक-7
मंगलवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(23 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

NOV 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मगाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपत्तिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा चन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालुशर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीवंकर, आचार्य
दीनानारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकीराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगीतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसेन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसंतकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विश्वनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विन्ध्यलक्ष्मीसुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरयबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) तथा श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--[स्थगित।]

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न कल के लिये स्थगित कर दिया गया है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी आज अस्वस्थ हैं और वह आज सदन में न आ सकेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि किसी और आगे के दिन के लिये उसे स्थगित कर दिया जाय क्योंकि दुबे जी भी आज कल बीमार हैं और वह भी शायद कई रोज तक न आ सकें, १५ दिन के लिये इसे रोक दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, कल ही इसे ले लिया जाय क्योंकि श्री मलिखान सिंह जी तो मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं प्राविजनली अभी कल के लिये ही रखे देता हूं। पहले ही बता दिया जाय कि वह आयेंगे या नहीं। अगर श्री मलिखान सिंह जी कल आवेंगे तो कल ही उत्तर दिये जावेंगे।

लड़की के मामले में थानाध्यक्ष बिसवां के विरुद्ध जांच

२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या गृह-मंत्री को ज्ञात है कि जुलाई, सन् १९६० ई० में परगनाधीश बिसवां, (सीतापुर) ने बिसवां थाने से सम्बन्धित कोई ऐसी जांच की है जिसके परिणाम स्वरूप जिलाधीश बिसवां इस निर्णय पर पहुंचे कि एक लड़की किसी ऐसे स्थान पर बन्द करके रखी गई है जिसकी जानकारी थानेदार बिसवां को है और इस लड़की के बेचे जाने की कार्यवाही की जा रही है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां।

३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री, परगनाधीश, बिसवां (सीतापुर) द्वारा उपरोक्त मामले से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कारण से ही इंचार्ज, थाना बिसवां का तबादला कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—परगनाधीश की रिपोर्ट को सदन की मेज पर प्रस्तुत करना जनहित में उचित नहीं होगा। यह सत्य है कि बिसवां के थानाध्यक्ष का तबादला कर दिया गया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लड़की किस ग्राम की थी और उसे कितने दिनों तक किस ग्राम में बन्द रखा गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह लड़की तहसील बिसवां, जिला सीतापुर, के बिपतपुर ग्राम में ब्याही थी और गोरखपुर में उसका मैका था और वह बिसवां थाने में ही एक सज्जन के मकान में पाई गई थी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० के यहां लड़की को प्रस्तुत किये जाने हेतु जो सर्वप्रथम वारंट बना था, उसको थानेदार ने बिना तामील कराये ही वापस करा दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—एस० ओ० ने कहा कि लड़की की तलाश की और वह नहीं मिली और उसने वारन्ट वापस करा दिया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार का सिर्फ तबादला ही किया गया है या उनके विरुद्ध और कार्यवाही भी की जा रही है ?

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उसकी जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट आने पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गम्भीर आरोप के अंशतः सत्य पाये जाने पर थानेदार को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसलिये कि अभी उसकी जांच हो रही है और सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। अगर यह तथ्य सत्य निकले तो अभियोग इतना प्रचंड है कि इस पर उस की बर्खास्तगी होनी चाहिये और केस भी चलना चाहिये ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी एस०डी०ओ० की जांच के आधार पर ऐसा समझते हैं कि थानेदार का लड़की के छिपाये रखने में थोड़ा भी हाथ है, प्राग्दर्शन में उनको ऐसा मिलता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी रिपोर्ट से ऐसा प्राइमाफेसी मालूम होता है कि शायद उनका हाथ रहा हो। लेकिन उसकी इनक्वायरी हो रही है और जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जाय तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच कब से चल रही है और कब तक समाप्त हो जायगी और रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं बहुत शीघ्र ही रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—जब प्राइमाफेसी केस रिपोर्ट से जाहिर है तो अब तक उस दरोगा को सस्पेंड न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कारण तो बता दिया कि उसकी जांच हो रही है ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—मंत्री जी बतायेंगे कि उस लड़की का डाक्टरी मुआयना भी हुआ ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त जैसी जानकारी है उससे तो यही मालूम होता है कि डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कोई बात बीच में नहीं कही गयी थी कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ यह शिकायत थी कि लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक जगह रखा जा रहा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि तबादला हो जाने के बाद उपरोक्त थानेदार उसी थाने में बराबर रह रहा है ताकि जांच की कार्यवाही सफलतापूर्वक न हो सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, लेकिन मैं इसकी बहुत शीघ्र जांच करा लूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी बतायेंगे कि जिस थानेदार का तबादला हुआ है उसे किसी थाने के ऊपर रखा गया है या लाइन हाजिर किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लाइन हाजिर तो नहीं किया गया, तबादला ही किया गया है।

छपरा जिले में नौका दुर्घटना

***४—**श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत ४ अगस्त की शाम को बलिया जिले के मनियर स्थान को जाते हुये घाघरा नदी में नरहर घाट के पास नौका दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हत या आहत हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। ऐसी एक घटना १-८-६० को हुई जो जिला छपरा, बिहार, से संबंधित है।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि नाव दुर्घटना में जो व्यक्ति हत या आहत हुए हैं उनमें से कई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के भी थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त की सूचना के अनुसार कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नहीं था, बिहार के ही थे।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि वह नाव चूंकि उत्तर प्रदेश के ही एक स्थान को आ रही थी इसलिये उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों पर जांच कराने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बिहार के उस जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, वह अवश्य उसकी जांच कर रहे होंगे।

वाराणसी कमिश्नरी में राजकीय इन्टर कालेजों के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध आरोप

****५—**श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से ८ मार्च, १९६० तक वाराणसी कमिश्नरी के किन-किन राजकीय इंटर कालेजों के प्रिंसिपलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---

१---प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टरमीडियेट कालेज मिर्जापुर ।

२---प्राधानाचार्य, क्वीन्स कालेज, वाराणसी ।

(१) प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज के प्रति कक्षा १० के एक छात्र के अभिभावक द्वारा इस आशय का एक आरोप लगाया गया था कि प्रधानाचार्य ने ९ छात्रों को कक्षा १० की परीक्षा में रोक दिया था परन्तु बाद में एक छात्र को Transfer Certificate दे दिया जिससे वह एक दूसरी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश लेकर उसी वर्ष बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो गया ।

(२) प्रधानाचार्य, राजकीय क्वीन्स कालेज, वाराणसी, के विरुद्ध ये आरोप थे कि:---

१---उन्होंने शासन के आदेश होते हुए कि जुलाई, १९५९ से कक्षा ७ में एडमिशन न किया जाय, उन्होंने एडमिशन किया ।

२---उनका कालेज के कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ व्यवहार अशिष्ट है ।

१---मामले की छानबीन की जा रही है ।

२---(१) प्राधानाचार्य को चेतावनी दे दी गयी है ।

(२) आरोप में सत्यता नहीं पाई गयी और न आरोपकारी का पता, जैसा कि आरोप पत्र में अंकित था, सही पाया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जुलाई, १९५९ में कक्षा ७ में एडमीशन का आदेश न दिये जाने का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कारण यह है कि क्वीन्स कालेज की इमारत संस्कृत विश्वविद्यालय को ट्रान्सफर कर दी गयी । अब दर्जा ६, ७ व ८ के लिये उनके पास स्थान नहीं रहा । तो यह उनको आदेश दिया गया कि वह ९, १०, ११ और १२ की भर्ती करें और दर्जा ६ व ७ में भर्ती न करें एक साल, और दूसरे साल दर्जा ८ में भर्ती न करें । जब तक कोई दूसरी नई इमारत कालेज के लिये नहीं हो जाती तब तक के लिये यह आदेश दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले की छानबीन कौन सज्जन कर रहे हैं और कब तक यह जांच जारी रहेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मामले की छानबीन के लिये हाई स्कूल बोर्ड को लिखा गया है । जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा गया है कि ट्रान्सफर सर्टिफिकेट कैसे दिया गया ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री को ज्ञानपुर सरकारी इंटर कालेज के प्रिन्सिपल के खिलाफ इस तरह का कोई शिकायती पत्र मिला है कि उनके दुर्व्यवहार के कारण वहां का भंगी मर गया और-और भी शिकायतें उनके पास आई हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रश्नकर्ता ने स्वयं देखा है कि इस बीच में कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि कालेज के अधिकारियों ने कक्षा ७ में बहुत से विद्यार्थियों की फीस जमा कर ली और फिर उसे वापस किया गया यह कह कर कि अब भर्ती नहीं होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । इस पर पहले बहुत प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और इस पर मैं स्टेटमेंट भी दे चुका हूं । माननीय राजनारायण जी ने प्रश्न किया था और मैंने निवेदन किया था कि मैं इसकी इंक्वायरी करा कर इसके सम्बन्ध में बतला दूंगा । यह बात सही है कि किन्हीं कारणों से प्रिन्सिपल को यह पता नहीं था कि दर्जा ७ में इस साल हमको भर्ती नहीं करना है । जो क्लर्क था उसने ४, ५ लड़कों का रुपया जमा कर लिया और रजिस्टर में

नाम दर्ज कर लिया था। जब प्रिन्सिपल के सामने स्वीकृति के लिये नाम गये तो उन्होंने कहा कि नाम रोल से हटा दिये जायं और फीस वापस कर दी जाय। इसमें कुछ प्रिन्सिपल की गलती थी और कुछ दफ्तर की। दफ्तर से जहां से आदेश भेजे गये थे वे मिसप्लेस हो गये थे। देर से उनको आदेश मिले। इसके लिये सदन के सम्मुख निवेदन कर चुका हूं कि भूल से ऐसा हो गया।

चाफी-खनस्यू सड़क को मोटर मार्ग बनाने की प्रार्थना

६—श्री प्रताप सिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास चाफी-खनस्यू, जिला नैनीताल, सड़क को शीघ्र मोटर रोड में परिणत करने के सुझाव आये हैं? यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री शीघ्र इसके निर्माण पर विचार करने की कृपा करेंगे?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महाबीर सिंह)—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इस सड़क के चाफी से पदमपुरी तक के ७ मील भाग का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री जिस प्रकार इस सड़क के ७ मील हिस्से की स्वीकृति दे चुके हैं उसी प्रकार इस सड़क को पदमपुरी से खनस्यू तक पूरा बनवाने की कृपा करेंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जो अगले टुकड़े की बात पूछी गयी है वह आप ही पर निर्भर है। हर जिले में प्लान प्रायरिटी के हिसाब से तय होता है। अगर प्रायरिटी के हिसाब से आ जायगी तो बन जायगी वर्ना मजबूरी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस ७ मील में कितना खर्च हुआ है और वर्तमान वर्ष में कितना रुपया रखा गया है?

श्री गिरधारी लाल—इसका पूरा खर्चा साढ़े ४ लाख रुपया है। इस वक्त कितना रुपया रखा गया है, इसकी मुझे इत्तिला इस समय नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी, जो सूचना उनके पास इस समय उपलब्ध है, उससे कृपा कर के बतलायेंगे कि कितना रुपया रखा है?

श्री महावीर सिंह—सात मील पूरा करने में ४.५ लाख रुपया लगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर काम कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री गिरधारी लाल—बहुत जल्दी शुरू किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

लखनऊ में छोटी छत्तरमन्जिल का गिर जाना

*१—**श्री मदन पांडेय, श्री चन्द्रजीत यादव और कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत छोटी छत्तर मंजिल के गिरने के पहले उसकी छत में दरारें पड़ने तथा पलस्तर के टुकड़ों के गिरने की सूचना ओवरसियर को क्लर्कों के द्वारा दी गई थी तथा ओवरसियर ने देख-भाल कर उसे निरापद घोषित किया था? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ओवरसियर कौन था तथा उसके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री महावीर सिंह--२३ जुलाई,१९६० की शाम को कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी और उसी दिन पी० डब्ल्यू० डी० के एक ओवरसियर ने इमारत का निरीक्षण किया। उसने इमारत को निरापद नहीं घोषित किया।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ओवरसियर ने यदि निरापद घोषित नहीं किया तो क्या घोषित किया तथा उसके बचाव के लिये किस के पास क्या कदम उठाने की रिपोर्ट दी ?

श्री गिरधारी लाल--उसने उस वक्त यही कहा कि इस बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स हैं और उसको देखने की जरूरत है। दूसरे दिन सुबह बिल्डिंग गिर गयी।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ओवरसियर ने रिपोर्ट की थी कि इसको देखने की जरूरत है तो किसी इंजीनियर द्वारा देखने की जरूरत उसने महसूस की थी या माननीय निर्माण मंत्री द्वारा ?

श्री गिरधारी लाल--अध्यक्ष महोदय, ओवरसियर को वहां पर बुलाया गया, उसने अपनी राय दे दी। वैसे विभागीय तौर पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--वे तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि किससे जांच कराना चाहते थे, किसी इंजीनियर से या खुद मंत्री जी से ?

श्री गिरधारी लाल--जो भी टेक्निकल आदमी हैं वही उसकी जांच करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ओवरसियर ने जब जांच की तो उसने कार्यालय के अधिकारियों से यह भी कह दिया था कि मुमकिन है कि यह इमारत गिर जाय, इसलिये जब तक इसकी मरम्मत न हो जाय तब तक इसका सामान हटा लिया जाय ?

श्री गिरधारी लाल--इतने डिटेल में मुझे पता नहीं है लेकिन उससे पूछा गया कि क्या हालत है तो उसने कहा कि इसमें क्रैक्स हैं और यह खतरे से खाली नहीं है। फिर सुबह को वह बिल्डिंग गिर गयी।

श्री उग्रसेन--जब ओवरसियर ने यह रपट दी कि यह खतरे से खाली नहीं है तो क्या सरकार के पास सूबे के अन्दर कोई ऐसा साधन नहीं था कि उस खतरे से उस बिल्डिंग को बचाया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष--आप भी तो जानते हैं कि सरकार के पास कितने साधन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--ओवरसियर की रिपोर्ट के बाद और इस बिल्डिंग के टूट जाने के बाद जो गवर्नमेंट ने पी० डब्ल्यू० डी० की कमेटी बिठाई थी कारणों की जांच करने के लिये, क्या उसकी रिपोर्ट आ गयी है ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

श्री महावीर सिंह--अभी रिपोर्ट नहीं आयी है।

गोंडा जिले में कृषि भूमि को वन भूमि से तबादला करने की कथित कार्यवाही

*२--**श्री बलदेव सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिले के बनाधीश ने कुवांना जंगल की सरकारी जमीन को काश्तकारों की जमीनों से तबादला करने की कोई स्कीम सरकार के पास भेजी है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री महमूद अली खां)--जी नहीं।

श्री बलदेव सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९६० में बनाधीश गोंडा ने कोई स्कीम सरकार के पास किसी काश्तकार से जमीन बदलने की भेजी थी जिसको सरकार ने मंजूर नहीं किया ? यदि हां, तो उसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे इत्तला है इस किस्म की दरख्वास्त फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर को दी है, वह उस पर गौर कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, हमारे पास कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई।

श्री गौरीशंकर राय---क्या गोंडा के किसी व्यक्ति की ५० एकड़ जमीन के साथ ५० एकड़ जंगल के तबादले के कागजात वन मंत्री जी के यहां से पूरे हो चुके थे और हाल में मुख्य मंत्री जी ने मना कर दिया ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी इत्तला बिल्कुल नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर इत्तला प्राप्त कर के सदन को देंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई मंत्री यह कह सकता है कि मैं इसकी इत्तला सदन को नहीं दूंगा ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, यही कहा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह था कि क्या प्रश्न को सूचना मान कर जांच करके इत्तला देंगे जिस पर उन्होंने कहा कि वह इसको सूचना मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, इसका स्पष्टीकरण उन्हीं से करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें।

श्री सैयद अलीजहीर---जी हां, बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष---मैं लोगों की गलतियां ज्यादा नहीं देखता, सही बातें ज्यादा देखता हूं।

*३-४---**श्री प्रताप सिंह**---[६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

[२३ अगस्त, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]---

आजमगढ़ जिले में वन रोपण कार्य

*१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग की ओर से आजमगढ़ जिले में कहां-कहां वन लगाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री महमूद अली खां---इस समय आजमगढ़ जिले में वन लगाने की कोई नई योजना नहीं है किन्तु सन् १९५७ ई० में निम्नलिखित स्थानों में वन रोपण के कार्य किये गये थे ; उन्हीं की रक्षा अब भी की जा रही है :---

१---केशवपुर---असरफपुर

२---सेहदा

३---रुद्रपुर

४---सिधारी नर्सरी।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन लगाने की योजना जहां-जहां कार्यान्वित की जा रही है वहां-वहां पर अलग-अलग अब तक कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है तथा और कितना व्यय किये जाने की योजना है ?

श्री महमूद अली खां—उक्त स्थानों में वन लगाने में अब तक जो खर्चा हुआ तथा जो खर्च होने की सम्भावना है वह नीचे दी गई तालिका में अंकित है :—

नाम ब्लॉक	खर्चा १९५७-५८ से १९५९-६० तक	अनुमानित व्यय १९६०-६१
	(रुपये)	(रुपये)
१—केशवपुर-असरफपुर	३,१२४.२९	७९.००
२—सेहदा	२,११५.२४	..
३—रुद्रपुर	१,४६२.८७	..
४—सिधारी नर्सरी	२,०८७.३५	४४.००
कुल योग ..	८,७८९.७५	१२३.००

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रिम वित्तीय वर्षों में कहां-कहां वन लगाने की योजना आजमगढ़ में विचाराधीन है ?

श्री महमूद अली खां—अगले वित्तीय वर्षों में कहीं भी नये बन लगाने की योजना आजमगढ़ जिले में विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७ के बाद आजमगढ़ जिले में और कोई वन लगाये गये या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जो फीगर्स दिये गये हैं वह १९५७-५८ और १९५९-६० के हैं, मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या मतलब है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इसमें इन सालों का सिर्फ खर्चा दिया गया है, हमने पूछा है कि वहां वन और लगाये गये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आपने पूछा वही उन्होंने बताया। क्या कोई चीज रह गई ? आप फिर से प्रश्न कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इन सालों में वहां जो वन लगाये गये हैं उनमें सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं सफलता के माने नहीं समझा। मेरे पास इस वक्त फीगर्स नहीं हैं कि कितने हरे रहे और कितने सूख गये। वैसे सब लगे हुये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १९५७ के बाद जो वन लगाने की योजना जारी की गयी उसके भविष्य में विकास होने की सम्भावना नहीं है इसलिये नहीं लगाये जा रहे हैं या धनाभाव के कारण नहीं लगाये जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं नहीं समझा आपका मतलब ।

श्री अध्यक्ष---जरा माननीय सदस्य प्रश्न को स्पष्ट करें।

श्री चन्द्रजीत यादव---१९५७ में वन लगाने की योजना आजमगढ़ में शुरू की गयी। उसके बाद योजना का कोई विस्तार नहीं हुआ और न सरकार कोई रुपया रख रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वन अधिकारियों ने सरकार को इस बात की सूचना दी है कि इस योजना के विकास की सम्भावना नहीं है या धन की कमी के कारण सरकार नहीं बढ़ा रही है?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जब वहां पर जमींदारी अबालिशन हुआ तो सिर्फ ४७२ एकड़ के करीब जमीन जंगल की मिली थी। लेकिन वह जमीन भी गांव समाज को दे दी, फारेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दी गयी थी। फिर थोड़े दिनों के बाद फारेस्ट डिपार्टमेंट के इंतजाम में दिया गया कि यहां पर कुछ वन लगाने की स्कीम बनायें, उसके मातहत हमने कुछ वन लगाये। और ज्यादा जमीन हमको प्राप्त नहीं है।

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

गवर्नमेंट ट्रेजरार, सीतापुर, के एजेंट तथा आबकारी क्लर्क की गबन में गिरफ्तारी

*५---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९६० में सीतापुर जिले के कोषाध्यक्ष के एजेन्ट तथा आबकारी क्लर्क को लगभग २२ हजार सरकारी रुपयों के गबन के मामले में पकड़ा गया है? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री महमूद अली खां---जी हां, यह सत्य है कि जुलाई, १९६० में गवर्नमेंट ट्रेजरार, सीतापुर, के एजेन्ट तथा आबकारी क्लर्क को सरकार के २२,६७६ रुपये के गबन के मामले में पकड़ा गया था। बाद में जिला तथा सेशन जज द्वारा दोनों ही व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है और मामले की तहकीकात हो रही है। पूर्ण विवरण जांच पूरी होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले का पता किसके जरिये से कब लगा?

श्री सैयद अलीजहीर---जिलाधीश के खत से यह मालूम होता है कि वहां के आबकारी मैजिस्ट्रेट ने इसकी इत्तला दी कि यह रुपया जमा नहीं हुआ है। चुनांचे उसकी एक तहकीकात शुरू हुई और इसका पता चला।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया एक ही मर्तबा में गबन हुआ है या थोड़ा-थोड़ा कर के कई सालों में गबन हुआ है?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो पता नहीं है। इस वक्त तक यह मालूम है कि ६७ हजार ४५ रुपये नीलाम के आये थे जो अगस्त, सितम्बर, १९५९ और फरवरी, १९६० में जमा हो जाने चाहिये थे लेकिन जमा नहीं हुए। जब यह पता चला तो उससे कहा गया कि यह रुपया तुमने क्यों नहीं जमा किया, तो उसने ४४ हजार ३ सौ ६९ रुपये जमा किया और २२ हजार ६ सौ ७६ रुपया बाकी रहा। बाद में ३ हजार रुपया उसने और जमा किया। इस तरह से १९ हजार ६ सौ ७६ रुपया इस वक्त भी जमा नहीं हुआ है।

अन्न व्यापार में कच्चे आढ़तियों को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*६---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्न के व्यापार में कच्चे आढ़तियों पर सेल्स टैक्स लगाने का क्या कारण है जबकि यह लोग न तो अन्न को खरीद करते हैं और न बेचते हैं और उनका काम दलाली का है?

श्री सैयद अली जहीर---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट के अन्तर्गत उन व्यक्तियों पर टैक्स लगता है जो ऐक्ट में दी हुई "व्यापारी" शब्द की परिभाषा में आते हैं। अतएव उन आढ़तियों पर, जो ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये व्यापारी हैं, टैक्स लगाया जा रहा है, चाहे वे पक्का आढ़तिया, कच्चा आढ़तिया, दलाल या किसी अन्य नाम से पुकारे जाते हों।

मड़ियाहूं नहर में कम पानी आने की शिकायत

*७---**श्री माता प्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं नहर में इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा कम पानी दिया गया? यदि हां, तो इसका कारण क्या था?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---जौनपुर की मड़ियाहूं नहर में इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कम पानी नहीं दिया गया।

श्री माता प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने वहां के स्थानीय समाचार पत्रों में यह प्रकाशित करवाया था कि इस साल नहर में पानी कम है, इसलिये समझ-बूझ कर उसका उपयोग किया जाय?

श्री धर्म सिंह---यह बात हो सकती है कि जहां तक अप्रैल, मई, जून के महीने का संबंध है कि कुछ पानी की कमी रही हो। लेकिन अगर पिछले वर्षों के मुकाबले में देखा जाय तो इस वक्त पानी कम नहीं रहा।

श्री माता प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह समझ कर कि इस साल अप्रैल और मई के महीने में पानी कम दिया गया, जिन किसानों को सिंचाई में नुक्सान पहुंचा उनको सिंचाई में कुछ छूट देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने मंजूर ही नहीं किया कि कम दिया गया। आप पहले यह सवाल तो पूछें कि कम दिया गया या नहीं।

श्री माता प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पानी कम दिया गया या नहीं इस साल?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं, उदाहरण के तौर पर गत वर्ष जुलाई, ५९ से जून, ६० तक का बता दूं २०,०१० क्यूसेक. . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो सिर्फ दो महीने का ही कह रहे हैं।

श्री धर्म सिंह---जी नहीं, कम नहीं दिया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में आडिट सैल

*८---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो आडिट सैल कायम किया गया उसके द्वारा कौन-कौन से मुख्य कार्य किये गये व इससे क्या खास फायदा हुआ?

श्री महावीर सिंह---वांछित सूचना संलग्न सूची (क) और (ख) में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सेल बना है इस पर सालाना खर्चा औसतन कितना बैठता है?

श्री महावीर सिंह---करीब १ लाख।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी उन मुख्य-मुख्य कार्यों को पढ़ देंगे जो इसके द्वारा किये गये ताकि हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

श्री महावीर सिंह---१---निर्माण कार्यों के सम्पादन और अनुरक्षण दोनों का उनके सम्पादन काल और उसके पश्चात् भी निरीक्षण ।

२---अनुबन्धों में दी गई उन विभिन्न मदों का निरीक्षण जिनके भुगतान की मांग की गई या जिनका भुगतान किया गया ।

३---अनुबन्धों में दिये गये परिमाण और प्रकार की इस आशय से जांच कि वास्तव में सम्पादित निर्माण कार्यों के परिमाण और प्रकार उनके अनुरूप हैं या नहीं ।

४---बिलों, संविदाओं (कांट्रेक्ट्स), संनामावलियों (मस्टर रोल्स) आदि का निरीक्षण ।

५---सीमेंट, गारे आदि के नमूनों की आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच कराई गई ।

उपर्युक्त के फलस्वरूप अधिक भुगतान, कार्य-सम्पादन में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के अनेक मामले प्रकाश में आये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आडिट सैलों ने जो कमियां या अनियमिततायें बतलाईं, उनको कार्यान्वित भी किया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री अध्यक्ष---यह बहुत व्यापक हो जायगा । कहां-कहां आप पूछ सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कहां-कहां कार्यान्वित किये गये और इससे कितने की बचत हुई है ?

श्री महावीर सिंह---जी हां, सूची 'ख' में यह दिया हुआ है ।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुये धन में से पुनः वसूल हुई धनराशि
---५० हजार रुपया

त्रुटिपूर्ण कार्यों के परिशोधन तथा खराब वस्तुओं के बदलने की धनराशि
---४१,००० रुपया

अधिक भुगतान हुये धन की वसूली तथा त्रुटिपूर्ण कार्यों के परिशोधन के संबंध में चल रही कार्यवाहियों के फलस्वरूप अनुमानित लाभ की धनराशि
---२ लाख रुपया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ उद्योगशाला के कर्मचारियों का कथित मांग-पत्र

*९---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)---क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ उद्योग शाला के कर्मचारियों ने सरकार से बार-बार मांग की है कि बेकार पड़े बहुमूल्य यंत्रों को उपयोगी बनाने के लिये कुछ नये औजार उद्योगशाला में लाये जायं?

श्री महावीर सिंह---इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आया ।

*१०---**आचार्य दीपंकर**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के बहुमूल्य साधनों को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार कब तक इन औजारों को मुहय्या कर सकेगी ?

श्री महावीर सिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

आचार्य दीपंकर---मान्यवर, यह वक्तव्य सत्य से बिल्कुल दूर है। मैं आपके सन्मुख बहुत जल्द एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करूंगा कि यह प्रार्थना-पत्र इनको दिया गया है और सरकार के पास पहुंच गया है लेकिन जान-बूझ कर यह उनके ऊपर विचार करना नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे पास अपनी शिकायत भेज दें तब मैं उनसे पूछ लूंगा।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप

*११---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कोआपरेटिव के जो कुयें आज से चार वर्ष पूर्व से बने पड़े हैं और जिनका सरकार द्वारा चलाया जाना भी निश्चित हो गया है उनको कब से चालू किया जा सकेगा?

श्री धर्म सिंह---अभी यह निश्चय नहीं किया जा सका है कि कौन से सहकारी नलकूप सरकार द्वारा लिये जायेंगे। इसलिये इस समय यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूप कब तक सरकार द्वारा चलाये जा सकेंगे।

*१२---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी योजना में अलीगढ़ जिले को तहसीलवार कितने-कितने नये नलकूप लगवाने का वितरण किया गया है?

श्री धर्म सिंह---अस्थायी (tentative) कार्य-क्रम के अनुसार अलीगढ़ जिले में तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ८३ नलकूप बनाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों का तहसीलवार वितरण अभी नहीं हुआ है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला कोआपरेटिव के कितने कुयें बेकार पड़े हैं और उनको सरकार द्वारा लिया जाना किस सन् में स्वीकार कर लिया गया था?

श्री धर्म सिंह---जहां तक हमारी जानकारी है, २३ ट्यूबवेल इस प्रकार के हैं जो कोआपरेटिव के हैं। कितने उनमें बेकार पड़े हैं, इसकी सूचना इस समय नहीं है। कितने लिये जायेंगे, इसकी बाबत प्रश्न नम्बर ११ के उत्तर में निवेदन कर दिया गया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने हजार रुपया जनता का इन कुओं में फंसा पड़ा है और किन कठिनाइयों के कारण उन कुओं को सरकार अभी नहीं ले पा रही है?

श्री गिरधारी लाल---यह ट्यूबवेल कोआपरेटिव के जरिये से बनाये गये थे। बाद में लोगों ने चाहा कि बजाय कोआपरेटिव के यह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में आ जांय। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट बहुत हद तक कमर्शियल डिपार्टमेंट की शक्ल में चलता है। हमारे यहां के ट्यूबवेल के इंजीनियर का कहना है कि उनमें बहुत से ट्यूबवेल ऐसे हैं कि अगर हम उनमें बिजली लगा दें तो जरूरत से ज्यादा हमारा पैसा खर्च होगा। टेक्निकली भी यह ट्यूबवेल ठीक नहीं हैं। इन सब बातों को देखते हुये अगर हम उन ट्यूबवेलों को लेंगे तो जितना पैसा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से खर्च हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहां से खर्च होगा और उससे लाभ शायद उतना न हो। फिर भी जैसा कि प्रश्नोत्तर में कहा गया, उस पर विचार हो रहा है और आखिर में जाकर जो कुछ तय होगा तब उसका फैसला हो जायगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि कितना रुपया लगा है, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---उनमें सहकारी संस्था का पैसा लगा है, तो वह कैसे बतायेंगे?

विधूना तथा डेरापुर तहसीलों को नहरी पानी देने के लिये सर्वे

*१३--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तहसील विधूना (इटावा), तहसील डेरापुर (कानपुर) को पानी देने के लिये नहर गंग डिवीजन, कानपुर से कोई बंधा निकाल रही है ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं।

*१४--श्री गजेन्द्र सिंह--यह योजना कितने रुपये की है और कितनी मील लम्बी योजना है ?

श्री धर्म सिंह--इसका प्रश्न नहीं उठता है।

*१५--श्री गजेन्द्र सिंह--क्या उसका सर्वे संबंधी कार्य पूरा हो चुका है ? उस पर कब से आगे का काम प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्म सिंह--इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नहर गंग डिवीजन, कानपुर के अन्तर्गत रजबहा गंजुआ से कोई बन्धा सरकार निकाल रही है ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल इस तरह का कोई विचार नहीं है लेकिन जहां तक दो तहसील जिनका जिक्र किया गया है, उनमें सर्वे इत्यादि जरूर किया गया है और बाद में ज्ञात हो सकता है कि यह मुमकिन होगा या नहीं।

*१६-१७--श्री उग्रसेन--[१ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

नारायन नगला के निकट किछा नदी पर पुल बनाने का विचार

*१८--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या यह सच है कि केसर शुगर मिल एरिया में किच्छा नदी का पुल ग्राम नारायन नगला के पास निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने की योजना है और इस पुल के लिये डेवलपमेन्ट कौंसिल, बहेड़ी ने एक लाख रुपया भी सरकार को दे दिया है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जावेगा ?

श्री महावीर सिंह--स्थानीय जनता द्वारा कार्य की आधी लागत वहन करने की शर्त पर इस पुल के निर्माण की योजना बनाई गयी थी। जनता की कुल धनराशि जमा न होने के कारण अभी इस पुल का निर्माण सरकार के विचाराधीन है।

श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल को बनाने के लिये जनता की ओर से जो एक लाख रुपया मांगा गया था, वह रुपया डेवलपमेन्ट कौंसिल, बहेड़ी के द्वारा जमा हो चुका है ? यदि हां, तो उस पये को जमा हुए कितना समय हुआ ?

श्री गिरधारी लाल--वह सन् १९५८ में जमा हुआ था, जहां तक मेरा खयाल है।

श्री नत्थूसिंह--तो क्या सरकार अपने वायदे के अनुसार जनता ने जो पैसा दिया है उसे मिलाकर उस पुल को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर सिंह--इस पर विचार हो रहा है।

माताटीला बांध जांच कमेटी की रिपोर्ट

*१९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार माता टीला बांध जांच कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--माताटीला बांध जांच समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और उसको सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--उक्त जांच रिपोर्ट सरकार के पास कब आ गयी थी और इस पर सरकार कब तक विचार कर लेगी ?

श्री धर्म सिंह--यह रिपोर्ट २७ अक्तूबर, १९५९ को सरकार को प्राप्त हो गयी थी और इसको एग्जामिन किया जा रहा है। यह वित्त विभाग को भेज दी गयी है और वहां से आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माताटीला बांध जांच समिति जनहित में ही बनायी गयी थी ?

श्री धर्म सिंह--जी हां, यह सही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी जब जनहित में बनायी गयी थी तो इसकी रिपोर्ट जनहित में इस सदन में पेश करना उपयुक्त क्यों नहीं है ?

श्री धर्म सिंह--आज इसको जनहित में सदन में रखना ठीक नहीं है। इसको एग्जामिन किया जा रहा है और यह वित्त विभाग को दे दी गयी है। उसके बाद अगर मुमकिन हुआ और सरकार ने ठीक समझा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--विचार किस बात का हो रहा है ? इसे सदन में पेश करना जनहित में होगा अथवा नहीं, अथवा किसी और बात का, जरा इसे स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री धर्मसिंह--उसमें तो तमाम बातों पर विचार हो रहा है। वह बहुत बड़ी रिपोर्ट है। जहां तक उसे सदन में रखने की बात है उस पर बाद में निश्चय होगा कि उसे सदन के समक्ष रखा जाय अथवा नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जनहित में इसे सदन में पेश करना उचित न होगा।

श्री अध्यक्ष--अभी उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको अभी सदन में पेश करना जनहित में न होगा, हमेशा के लिये उन्होंने नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी रिपोर्ट की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, जिन पर विचार हो रहा है, उनको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल जैसा मैंने कहा, उस पर विचार हो रहा है। उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट या किसी और तरह की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस कमेटी के मेम्बर कौन-कौन हैं ?

श्री धर्मसिंह---श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०, इसके चेयरमैन थे और इनके अतिरिक्त श्री ए० सी० मित्रा, तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसके सदस्य थे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)––क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट को उस वक्त शाया करने का विचार है कि जब सारी गलतियां पकड़ने की कोई गुंजायश न रह जाय, इस तरह की सलाह सरकार को सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट्स ने दी है और क्या वह ऐसा सोचती है कि इसे उस वक्त शाया किया जाय कि जब उन गलतियों का कोई सबूत न रह जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस रिपोर्ट को सदन में रखने से जनहित में क्या खतरा है ?

श्री गिरधारी लाल––जैसा कि अभी कहा गया, रिपोर्ट हर विभाग में और खास कर वित्त विभाग में देखी जा रही है और मुमकिन है कि उसमें और इत्तलात की जरूरत हो । तो जब तक वह चीज मुकम्मिल तौर पर न आ जाय, यह मुनासिब न होगा कि उस चीज को पब्लिश किया जाय ।

श्री चन्द्रजीत यादव––माताटीला बांध के बारे में गंभीर आरोप लगाये गये थे और यह शंका भी व्यक्त की गयी थी कि इस से बांध को खतरा है, उसी के लिये यह कमेटी बैठायी गयी थी । तो १० महीने हो गये इस रिपोर्ट को सरकार को पाये हुए, उस पर विचार होने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है जबकि यह खतरा है कि अधिक विलम्ब होने से उसका मकसद ही समाप्त हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष––अक्तबर, १९५९ में यह रिपोर्ट आयी है, ऐसा उन्होंने कहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव––मान्यवर, १० महीने हो गये, इसलिये मैं पूछना चाहता था ।

श्री धर्म सिंह––यह बात सही है कि २७ अक्तूबर, १९५९ को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

श्री चन्द्रजीत यादव––श्रीमन्, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि माताटीला बांध के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप थे और इस बात की सम्भावना थी कि उससे बांध को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है । इस बात को देखते हुए यह कमेटी बनायी गयी थी । उसकी रिपोर्ट आ गयी है । अगर वह रिपोर्ट देर से हमारे सामने आयेगी तो उससे खतरा है । तो जब इतना समय हो गया उस रिपोर्ट को आये हुए, तो मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उसमें इतनी देरी होने का क्या कारण है ? सरकार क्यों अब तक उस पर विचार नहीं कर पायेगी ?

श्री गिरधारी लाल––अध्यक्ष महोदय, उसमें खतरा है या नहीं, यह सवाल नहीं है । उसके खतरों की तरफ गवर्नमेन्ट का पूरा ध्यान है । हमें उस रिपोर्ट को पूरी तरह से एग्जामिन करना है । उसको देखना है, कुछ विभागों तथा लोगों से पूछना भी है । जब यह सब हो जायेगा, तभी रिपोर्ट फाइनल समझी जायेगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस रिपोर्ट को, जो कि शायद टेक्निकल होगी, इसको फाइनेन्स विभाग के पास क्यों भेजा गया है ?

श्री धर्म सिंह––उसमें कुछ मनी का भी मैटर था । कुछ ऐसे मामले थे जिसमें रुपया खर्च हुआ था । इसी तरह के कुछ और मामले थे, जिसके कारण फाइनेन्स विभाग को भी इस रिपोर्ट को भेजना पड़ा ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)––क्या सरकार बतायेगी कृपा करके कि अभी उसने उत्तर में बताया था कि उसमें कुछ विभागों से जांच कराना है, वह कौन-कौन से विभाग हैं जिनके द्वारा जांच करानी होगी ?

श्री गिरधारी लाल---एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग स्वयं है ही। दूसरे फाइनेन्स से जांच कराना है। अब इस समय मैं नहीं कह सकता शायद जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग से भी जांच कराना हो ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध की जांच के लिये झांसी डिवीजन के कमिश्नर की अध्यक्षता में भी कोई कमेटी बनाई गयी थी ?

श्री गिरधारी लाल---उसका इस कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है ।

झांसी जिले में नोटघाट पर पुल निर्माण योजना

*२०---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में नोट घाट पर पुल बनाने का काम कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री महावीर सिंह---इस कार्य के विस्तृत प्रागणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकति आने के बाद ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार की स्वीकृति के लिये उसने कब इस प्रश्न को भेजा था और उसकी स्वीकृति कब तक आने की आशा है ?

श्री महावीर सिंह---अप्रैल, १९६० में सम्भवतः इस कार्य का ब्योरा भेजा गया था ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नोट घाट पर पुल बनाने में कुल कितना रुपया खर्च होगा और उस पर कितना रुपया हमारी सरकार को तथा कितना रुपया केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा ?

श्री महावीर सिंह---अब जो हिसाब लगाया गया है उसके हिसाब से करीब २६.७ लाख रुपया खर्च होगा। जो पहले अन्दाजा लगाया गया था वह करीब २४ लाख का था। अब उससे करीब २.७ लाख ज्यादा हो गया है। यह तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश की सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी ।

*२१---**श्री माता प्रसाद**---[हटा दिया गया ।]

सहारनपुर जिले में नलकूप योजना

*२२---**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में वह कितने नये ट्यूबवेल बनाने जा रही है ?

श्री धर्म सिंह---सहारनपुर जिले में १९६०-६१ में बनाये जाने वाले नलकूपों की संख्या अभी निश्चित नहीं है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में नलकूपों की संख्या भविष्य में कब तक निश्चित हो जायेगी ?

श्री धर्म सिंह---१४ नलकूप के करीब निर्धारित किये गये थे। जो हमारे यहां ३५० का एलाटमेण्ट हुआ था और जब जिलेवार सूचना भेजी गयी थी, उस समय १४ का एलाटमेंट कर दिया गया था। लेकिन चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर कुछ नलकूपों का लगाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि कुछ जगह पानी का हिसाब ठीक नहीं है। तो इस सब की बातचीत हो रही है ।

टांडा पम्प नहर की कप्तान गंज माइनर को बढ़ाने की प्रार्थना

*२३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा पम्प नहर की शाखा कप्तानगंज माइनर जो आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज के पूरब मन्दुरी ग्राम तक बनाई गई है उसका फलाव पूरब तरफ अढ़ाई तीन मील तक धान के क्षेत्रों में अति शीघ्र कराने के निमित्त सरकार से इस वर्ष अनुरोध किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां ।

*२४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री धर्म सिंह—भूमि प्राप्त हो जाने पर ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्राप्त करने के निमित्त अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक भूमि प्राप्त हो जाने की आशा है ?

श्री धर्म सिंह—कागजात इत्यादि २१-७-६० को भूमि प्राप्त अधिकारी, आजमगढ़ को भेज दिये गये हैं और वहां से रिपोर्ट आने पर निर्णय हो सकेगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि किसान अपनी भूमि देने को तैयार है, लेकिन एक्वीजीशन की कानूनी कार्यवाही में देरी हो रही ह, तो क्या सरकार जल्दी करेगी कि भूमि प्राप्त हो सके ?

श्री धर्मसिंह—यदि किसान जल्दी से अपनी भूमि राजी से देने को तैयार होंगे तो एक्वीजीशन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । यदि माननीय सदस्य इसमें और सहायता कर सकेंगे तो निर्णय करने के बाद सरकार इसमें उचित कार्यवाही करेगी ।

*२५-२६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

पूर्वी जमन नहर में पानी की कमी

*२७—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पूर्वी जमन नहर में कितना घनफुट पानी कम आया और उसका मुख्य कारण क्या था ?

श्री धर्म सिंह—इस वर्ष खरीफ की फसल में माह अप्रैल, मई व जून में पिछले वर्षों १९५९ की अपेक्षा पानी की मात्रा में ८,५०२ क्यूसेक दिन (qusec days) पानी कम रहा परन्तु १९५८ की अपेक्षा ७,४१३ क्यूसेक दिन पानी अधिक मिला है । इसका मुख्य कारण यमुना नदी में पानी का कम होना है, जो प्राकृतिक है ।

*२८—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार पानी की कमी से हुई क्षति को देखते हुए पूर्वी जमन नहर के क्षेत्र में सिंचाई-कर में कमी करने की कृपा करेंगी ?

श्री धर्मसिंह—पानी की इस कमी से साधारणतया कोई हानि नहीं हुई है किन्तु यदि फसल के अन्त में किन्हीं विशेष खेतों में फसल को हानि पाई गई तो सिंचाई-कर में नियमानुकूल छूट दी जावेगी ।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले वर्ष से बरसात की बहुत ज्यादा कमी के कारण यह ८,००० क्युसेक्स पानी की कमी बहुत ज्यादा हानि का कारण बनी ?

श्री धर्म सिंह—फिलहाल इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

आचार्य दीपंकर--क्या सरकार यह बतायेगी कि हानि का बोध करने के लिये अब तक उसने क्या प्रयत्न किया और आइंदा क्या करने को तैयार है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि मैंने निवेदन किया, हानि की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह तो किसानों का काम है कि वह प्रार्थना-पत्र दें और उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र के गांवो को खाली कराना

*२९--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि--(अ) रिहन्द बांध, जिला मिर्जापुर के डूब क्षेत्र के निवासियों को अपने मकान खाली करने की नोटिस कब दी गई, (ब) सरकार ने उद्वासितों को डूब क्षेत्र से अपना सामान, पशु तथा प्राणियों को हटाने में क्या-क्या सहायता कितने दिनों तक दी तथा वह सहायता निःशुल्क थी या सशुल्क ?

श्री धर्मसिंह--(अ) १३ गांव के निवासियों को १५ मई, १९५९ को और ९० गांव के निवासियों को ५ मई, १९६० को नोटिस दिया गया।

(ब) उद्वासितों को ७५ रुपये से १,५०० रुपये तक भाड़े के लिये नकद रकम दी गई तथा उनके सामान, पशु आदि ले जाने के लिये ट्रकों का भी एक माह तक प्रबन्ध किया गया। ट्रकों का भाड़ा विस्थापितों ने सरकार द्वारा दिये गये रुपये से अदा किया।

कुंवर श्रीपालसिंह--जो नोटिस दिया गया था उसमें क्षेत्र को खाली करने के लिये कितने दिन का समय दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह--पहले तो ५ गांवों और परगना सिधौली के कुछ गांवों को जो क्षेत्र में डूबने वाले थे उनको २३ सितम्बर, १९५६ को नोटिस दिया गया था ६ अक्तूबर, १९५६ को गजट में यह प्रकाशित हुआ। १९५९ में १३ गांवों के निवासियों को अपने घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया। मई, १९५९ और ६० में ९० गांवों को नोटिस दिया गया।

श्री अध्यक्ष--वह जानना चाहते हैं कि कितने दिन का उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस तो दिया गया, लेकिन वह कितने रोज का था कि वह इतने दिनों में खाली कर दें ?

श्री धर्मसिंह--कम से कम एक महीना जरूर था उसमें।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुछ नोटिस को देने के बाद कितने दिनों के बाद बांध में पानी रोकने के लिये फाटक बन्द किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--५ मई को गेट बन्द किया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन कुछ गांवों को नोटिस देने की बात कही गई वह शायद १०३ हैं जबकि कुल गांव १०८ या ११८ हैं तो क्या बाकी गांव पानी के खतरे से बाहर हैं ?

श्री गिरधारीलाल--मैं डिटेल में तो नहीं बतला सकता लेकिन शायद पिछले साल १३-१४ गांवों को नोटिस दी गई थी लेकिन पानी नहीं आया, अब इस साल काफी गांवों को नोटिस दी गई है और इसके अलावा कुछ गांव बचे हैं जोकि अगले साल सब मर्ज होंगे।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अंतिम नोटिस देने की तिथि ५ मई, १९६० है, पहली तिथि नोटिस देने की क्या थी ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

वाराणसी–आजमगढ़ मार्ग खराब होने से दुर्घटना

*३०––**श्री मुक्तिनाथ राय**––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी–आजमगढ़ राजकीय मार्ग पर चन्दवक और आजमगढ़ के बीच अप्रैल, १९६० व मई, १९६० में कुल कितने पुल व पुलियों के निर्माण के निमित्त सड़क काटी गयी ?

श्री महाबीरसिंह––पुलियों के निर्माण के लिये सड़क नहीं काटी गई किन्तु दो पुलियों के पुनः निर्माण के लिये बाईपास बनाये गये थे।

*३१––**श्री मुक्तिनाथ राय**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मार्ग पर उक्त समय में कितनी दुर्घटनायें पुल या पुलियों के निर्माण निमित्त सड़क काटने तथा उचित व्यवस्था न होने के कारण हुईं ? कितने व्यक्ति उन दुर्घटनाओं में मरे और कितने घायल हुए ?

श्री महवीर सिंह––केवल एक मनुष्य घायल हुआ।

*३२––**श्री मुक्तिनाथ राय**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों की असावधानी से यह दुर्घटना हुई उन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीर सिंह––ठेकेदार पर जुर्माना किया गया और ओवरसियर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथ राय––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि पुलिया के निर्माण के बीच सड़क काटी गई थी, वह सड़क ८–१० फीट गहरी थी और उसके इस पार या उस पार कोई रुकावट नहीं थी, इसलिये दुर्घटना हुई ?

श्री महावीर सिंह––रुकावट तो थी लेकिन रोशनी नहीं थी। पुलिया बनाने के लिये जो कार्यवाही करनी पड़ती है वह की गई थी।

श्री मुक्तिनाथ राय––अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया वह बिलकुल बचाने के लिये दिया गया.....

श्री अध्यक्ष––आप उनके पास लिखित अपनी जानकारी भेजिये और जांच करवा लीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––उत्तर में कहा गया है कि बाई-पास बना था सड़क के अगल-बगल, तो क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि सड़क काटी गई थी इसीलिये बाई-पास बनाया गया था ?

श्री महावीर सिंह––पुलिया टूटी हुई थी, उसके लिये तो बाई-पास बनाना ही पड़ता है।

श्री मुक्तिनाथ राय––क्या यह सही है कि घायल व्यक्ति तीन माह तक अस्पताल में था और उसके बाद निकला इसलिये क्या सरकार कोई प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

श्री महावीर सिंह––इसकी कोई सूचना नहीं है कि कितने दिन अस्पताल में रहा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने की योजना

*३३––**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**––क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री ३ मई, १९६० के प्रश्न संख्या ४१–४२ के लिखित उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या "अभियंत्रण महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कालेज)" की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो जायगी ?

श्री धर्म सिंह---जी हां।

*३४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त महाविद्यालय की स्थापना में जितना धन खर्च होगा, क्या वह भारत सरकार देगी ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि सारा धन भारत सरकार नहीं देगी तो कितना धन भारत सरकार द्वारा प्राप्त होगा और कितना धन राज्य सरकार अपना लगायेगी तथा कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री धर्म सिंह---भवन, सज्जा, पुस्तकालय वगैरह के सम्बन्ध में जहां तक धन का सम्बन्ध है उसे केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। जहां तक छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का सम्बन्ध है, छात्रावास के लिये केन्द्रीय सरकार ब्याज रहित ऋण के रूप में धन देगी और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये वह ८० प्रतिशत ग्राण्ट इन एड के रूप में देगी और इसके पश्चात् जो व्यय रह जायगा उसे भारत सरकार ब्याज की जो दर निश्चित होगी उस पर देगी । कितने विद्यार्थी होंगे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

दोहरीघाट पम्प कैनाल पर पुलिया बनवाने के लिये प्रार्थना

*३५---श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) ---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घोसी तहसील, आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प कैनाल के १६ मील डेढ़ फर्लांग पर ग्राम कादीपुर मरथिया के सामने पुलिया बनवाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा कई वर्ष से की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--- जी हां ।

पुलिया बनवाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

लवकुश तथा महासोन तालाबों से पानी निकालने की योजना

*३६---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) ---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लवकुश तथा महासोन जिला देवरिया के तालाबों में 'सरप्लस' पानी निकालने के लिये नाला खोदने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कहां तक प्रगति हुई है और काम कब प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्म सिंह---जी हां। परन्तु अभी यह निश्चित नहीं है कि ये योजनायें कब प्रारम्भ हो सकेंगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी वह बताने की कृपा करेंगे कि इसका सर्वेक्षण कार्य कब सम्पन्न हुआ और भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कब भेजी गई ?

श्री धर्म सिंह---नोटिस की आवश्यकता है, तिथियां मेरे पास नहीं हैं।

रोहिन नदी पर नवनिर्मित पुल में ली गयी भूमि का मुआवजा

*३७---श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर--नवतनवा रोड पर, रोहिन नदी पर नया पुल बनने के फलस्वरूप ग्राम मनोराम और चिउटहा के बीच नयी सड़क के लिये जो जमीन किसानों की ली गई उसका कुल मुआवजा क्या है और वह अब तक क्यों नहीं दिया जा सका ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---रू० ७,७१९.१६ नये पैसे

द्वितीय भाग---केवल रु० ५६.४६ नये पैसे का भुगतान शेष है। यह भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों के प्रतिकार लेने के लिये उपस्थित न होने के कारण रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दिया गया है।

माताटीला विद्युत् गृह निर्माण योजना

*३८---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि माताटीला पर बिजलीघर बनाना आरम्भ हो चुका है? उस पर कितना धन व्यय होना है और उससे कितने किलोवाट बिजली पैदा होगी?

श्री गिरधारी लाल---माताटीला पर बिजली घर बनना अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इसका खाका बनाया जा रहा है जिसकी लागत का अनुमान लगभग ६ करोड़ ४५ लाख रुपये है और इस परियोजना से ३०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी।

कसया-तमकुही सड़क पर घाघी नदी के पुल की आवश्यकता

*३९---**श्री रामायण राय**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कसया-तमकुही वाली पक्की सड़क पर घाघी नदी का पुल कब तक बन जायेगा?

श्री गिरधारी लाल---अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*४०---**श्री रामायण राय**---उक्त नदी पर जो काठ का पुल है वह कब से खराब है? तथा नये पुल का निर्माण अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ है?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग:---सन् १९५९ से।

द्वितीय भाग:---इसकाठ के पुल का पुनः निर्माण वर्षा के बाद आरम्भ किया जायगा।

वनारोपण योजनायें

*४१---**श्री त्रिलोकी सिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुल भूमि के २० प्रतिशत पर जंगल लगाया जाय इसके लिये सरकार की क्या योजना है और इतनी जमीन किस प्रकार उपलब्ध की जायेगी?

श्री सैयद अली जहीर---जंगल लगाये जाने वाली योजाओं में कुछ योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :---

(क) शासकीय वन तथा जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप शासन में निहित उजड़े तथा गिरे दशा वाले वनों में वनारोपण।

(ख) निजी वनों का सुधार।

(ग) यथासम्भव कटी भूमि तथा बंजर भूमि पर वनारोपण।

(घ) नदियों, रेलवे लाइनों, सड़कों के किनारे तथा (Farm Forestry) गांवों में वनारोपण।

(ङ) नदियों के जलागमन (catchment) तथा खोलों में वनारोपण।

इन योजनाओं की अन्तिम रूप रेखा तृतीय पंच वर्षीय योजना का निर्णय हो जाने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगी। जमीन की उपलब्धि उन योजनाओं पर निर्भर होगी जिनको कार्यान्वित किया जायगा।

बिजनौर जिले में वन विभाग का हेड क्वार्टर

*४२--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में वन-विभाग का हैड क्वार्टर बिजनौर में न होकर कोटद्वार मे क्यों है ?

श्री सैयद अली जहीर--कोटद्वारा बिजनौर के अपेक्षा वन क्षेत्र से अधिक निकट है और वन प्रशासन दृष्टि से अधिक उपयुक्त है । इसके अतिरिक्त कोटद्वारा में कार्यालय के लिये उचित स्थान उपलब्ध है जबकि बिजनौर में नहीं है, तथा हेडक्वार्टर बदलने में अनावश्यक धन का व्यय होगा ।

*४३--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उक्त विभाग का हैडक्वार्टर बिजनौर खास में ही रखा जावे ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं । इस विषय पर अच्छी तरह विचार किया जा चुका है और यह निश्चय किया गया है कि कोटद्वारा में ही हेडक्वार्टर रक्खा जाय ।

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैनों को नोटिस

*४४--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के ड्राफ्ट्समैनों को स्थानी करने के बजाय निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो कितने ड्राफ्ट्समैनों को नोटिस दिया गया है और क्यों ?

श्री गिरधारी लाल--केवल २९ अस्थायी ड्राफ्ट्समैनों को जो ड्राफ्ट्समैन के पद के लिये अयोग्य सिद्ध हुए, नोटिस दिया गया है ।

*४५-४६--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

फरेंदा तहसील में बाढ़ योजना न होना

*४७--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार के विचाराधीन गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के चकदह, डेड़ी, गनेशपुर, मनिकापुर तथा मझार इलाकों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं ।

रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गांवों का मुआवजा

*४८--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द डैम में मध्य प्रदेश के भी कुछ गांव डूब में पड़ रहे हैं जिनका मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है या दे रही है ? यदि हां, तो कितने गांव हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है और किस रेट से उन्हें मुआवजा दिया गया है ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां । ऐसे ५५ गांव हैं, जिनका क्षेत्रफल ३०,४२१ एकड़ है । इसका मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को दे रही है और उसका रेट नत्थी किये व्योरे में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१७-६१८ पर)

फीरोजाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---कामरोको प्रस्ताव मैंने कोई स्वीकार नहीं किया। लेकिन नियम ५२ में एक विषय करीब-करीब वही था जिसे श्री नारायणदत्तजी तिवारी ने ध्यान आकृष्ट करन के लिये उठाया है। वही मैंने स्वीकार किया है कि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाय और वह वक्तव्य दें। वह इस प्रकार है :--

"१२ अगस्त, सन् १९६० को फीरोजाबाद, जिला आगरा, में स्थानीय सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की लापरवाही तथा स्थिति को सभांलने में विवेक-हीनता एवं अदूरदर्शिता से साम्प्रदायिक तनाव इस स्थिति तक पहुंच जाना कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, परिणामस्वरूप २ व्यक्ति मरे एवं २ घायल हो गये।"

इस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य कब देंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, कल दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो कल के लिये मैं इसे निश्चित करता हूं।

उत्तर प्रदेश में हैजा तथा गैस्ट्रोइंट्राइटिस से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---यह कल श्री कल्याणचन्द मोहिले जी का ध्यान आकृष्ट करने वाला विषय था। यह कालरा और गैस्ट्रोइंट्राइटिस के बारे में था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आज उस पर वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि हैजा और अतिसार हमारे प्रदेश में हुआ। १६ जुलाई से ६ अगस्त तक की सूचना हमारे मित्र ने पूछी है। ४४ जिलों में और लगभग ३२ शहरों में इसका असर था। उन्होंने तो यह कहा कि ३,६०४ व्यक्ति कालरा में मुबतला हुये और १,२७६ अतिसार से। उनकी ये फीगर्स गलत हैं।

श्री अध्यक्ष---आपके पास अलग-अलग हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---४४ जिलों और ३२ शहरों में ४,०६६ अतिसार से ग्रसित हुये और ७२ कालरा से हुये। अतिसार से मरे हैं ४४ जिलों और ३२ शहरों में १४११ और कालरा से ३७। इस तरह से १,४४८ आदमी कुल मरे हैं और दोनों मिलाकर ४,१३८ बीमार पड़े हैं।

उन्होंने लखनऊ और कानपुर तथा मेरठ के बारे कहा कि वहां हालत ज्यादा खराब है। वाकई मेरठ पर सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां गैस्ट्रोइंट्राइटिस से ७५५ आदमी बीमार हुये और ३०६ की मृत्यु हुई। कालरा वहां नहीं हुआ। मेरठ सिटी में २ बीमार हुये अतिसार से और दोनों की मृत्यु हो गई। लखनऊ जिले में ३८ अतिसार से बीमार हुये और २ की मृत्यु हो गई, और सिटी में १३३ बीमार हुये जिनमें से ७ का मृत्यु हुई। कालरा का कोई केस यहां नहीं हुआ। कानपुर जिले में अतिसार से २३ बीमार हुये और ४ की मृत्यु हुई, शहर में ६६ बीमार हुये और ६ की मृत्यु हुई।

सरकार के पास इनाक्यूलेशन की स्कीम सब जगह जारी कर दी। दवाई का पूरा सामान हम सप्लाई कर रहे हैं और किया। हर जगह हर तरह की दवाई, एंटी-कालरा वैक्सीन इत्यादि,

[श्री हुकुम सिंह बिसेन]

हम भेज रहे हैं । जिले का मलेरिया, फाइलेरिया, हेल्थ और मेडिकल स्टाफ सबको पूल करके लगा दिया है । जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है कि जहां जरूरत हो एडीशनल स्टाफ भी मुकर्रर कर लें। हकीम और वैद्यों को भी डिप्लाय कर लिया गया है कि सब वैक्सीनेशन का पूरी तरह से काम करें । डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के पास हमने नकद रुपया भी रख दिया है कि उसमें वे काम चलावें । करीब ३६,००,००० डोज से भी अधिक एंटी-कालरा वैक्सीन हम सप्लाई कर चुके हैं । हमारे पास रिपोर्ट ६ तारीख तक की थी लेकिन सप्लाई अभी जारी है। एसिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरे अफसरान अफैक्टेड एरिया में टूर कर रहे हैं और हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी रफा की जाय । हमारी इत्तला यह है कि अब बीमारी डिक्लाइन पर है और उसकी प्रोग्रेस बन्द कर दी गई है । दो एक जगह पूरे तौर से नहीं कर सके हैं, जैसे बदायूं, बरेली और एक जिला कोई और है । वहां हम नहीं कह सकते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया है । लेकिन हमारा प्रयास हर तरह से जारी है और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द हम इसे कंट्रोल कर लेंगे ।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि सरकार ने अभी तक इसके कंट्रोल करने का और इरैडीकेशन करने के लिये क्या किया। हमारे प्रदेश में मलेरिया ऐसी बीमारी थी जो साल के ज्यादा भाग में चारों ओर रहा करती थी । उसके लिये फर्स्ट प्लान में हमने कंट्रोल की योजना चलाई थी । फिर १९५८-५९ से उसके इरैडिकेशन की योजना चलाई । इस वक्त हम यह कह सकते हैं कि मलेरिया का इंसीडेंस हमारे सूबे में बहुत कम हो गया है ।

स्माल पाक्स के कंट्रोल और इरैडिकेशन की हमारी योजना है । हम सितम्बर नैक्स्ट में सुल्तानपुर में पायलट प्रोजैक्ट करने जा रहे हैं । उस तजुर्बे के बाद इरैडिकैशन की भी योजना लेंगे । थर्ड फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्ट प्रपोजल में हमने अपनी काफी रकम रखी है कि अतिसार के कंट्रोल के लिये हम कोई प्रयास करें । हम यह भी आशा करते हैं कि आगे चलकर इसके इरैडिकेशन का हम इन्तजाम कर लेंगे ।

अतिसार और कालरा सामयिक होते हैं । और बीमारियां आल दि-ईयर-राउन्ड चला करती हैं, उनको सरकार ने पहले लिया । यह कहना कि सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, बहुत ठीक बात नहीं मालूम होती । लेकिन धनाभाव भी होता है । ये योजनायें बड़ी कास्टली होती हैं । लेकिन फिर भी तीसरे प्लान में हमने काफी रकम रखी है । उससे हम कंट्रोल करने का और बाद में इरैडिकेशन का काम भी करेंगे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बीमार पड़नेवालों की और मरनेवालों की संख्याओं का हवाला दिया और कहा कि ये गलत हैं । जहां तक मेरी सूचना थी, उससे जो सूचना मंत्री जी ने दी मरने वालों की और बीमार पड़नेवालों की, वह बहुत ज्यादा है, वे चाहे गैस्ट्रोइंट्राटिस से मरे हों या कालरा से ।

श्री अध्यक्ष---आपने मरने वालों की संख्या नहीं दी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मरने वालों की संख्या लिखी थी । उसमें 'क्रमशः' शब्द लिखा है ।

श्री अध्यक्ष---आपने लिखा है कालरा और गैस्ट्रोइंट्राइटिस से कितने पीड़ित हुये, उनकी क्रमशः संख्या दी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---वह मरने वालों की संख्या मैंने दी थी । गलती हो गई इसके लिये क्षमा चाहता हूं । जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बताई वह मेरी संख्या से अधिक थी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में बरसात के अवसर पर प्रत्येक वर्ष हजारों आदमियों की मृत्यु इस बीमारी से होती है, चाहे उसे कालरा कहा जाय या गैस्ट्रो-इन्ट्राइटिस कहा जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसके लिये कोई विशेषज्ञों की कमेटी बिठाई यह जानने के लिये कि इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र का यही कहना गलत है कि हर साल होती है । पार साल कतई नहीं हुई थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह बीमारी खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट और गंदगी के कारण होती है और यह कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का कानून है वह बेकार साबित हो रहा है तथा सेनीटरी इंस्पेक्टरों का यह कहना है कि यह कानून काफी नहीं है इसलिये वे मिलावट रोक नहीं पाते हैं तो क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है कि इस कानून में कोई परिवर्तन करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो उसको नाकाफी नहीं समझते । फिर भी हम अपने काम को इन्टेन्सीफाई करने का प्रयत्न करेंगे । खाली इन्हीं पदार्थों के खाने से यह बीमारी होती हो ऐसी बात नहीं है बल्कि बाहर से भी लोग वायरस इम्पोर्ट कर लाते हैं । यह बीमारी जरूरत से ज्यादा खाने से भी होती है । लोग बारातों में जाते हैं और कटहल पूरी जरूरत से ज्यादा खाकर लड़की वाले का नुकसान करते हैं और खुद भी बीमार होते हैं ।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ कार्पोरेशन की विज्ञप्ति की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कानून बेकार साबित हो रहा है, हमारे सेनीटरी इंस्पेक्टर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं पुलिस के डर से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह उनकी राय रही होगी लेकिन हम इससे इत्तफाक नहीं करते ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ में जब कालरा और अतिसार का भयंकर प्रकोप हुआ तो मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जब तक पहल कदमी नहीं की, स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह मेरी इत्तला नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की इत्तला है कि सीतापुर जिले में तिलहर स्थान पर १०० आदमी कालरा से मर गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तिलहर की सूचना मुझे नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार जनता को सावधान करने के लिये, जिससे कि भविष्य में इतनी बढ़ती हुई तादाद में मौतें न हो सकें, प्रीवेन्टिव मेजर्स का कोई प्रचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब तो इसका दे दिया गया है । अच्छा खाना खाना चाहिये, जरूरत से ज्यादा न खाना चाहिये, इधर उधर जाकर खोंनचे की चीजें नहीं खाना चाहिये, ये सब बातें हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि नगरों में जब अतिसार और हैजे की बीमारियां फैलती हैं तो सरकार का स्वास्थ्य विभाग उनकी रोकथाम के लिये कोई प्रबंध नहीं करता है बल्कि जब नगरपालिका और टाउन एरिया के स्वास्थ्य विभाग उनकी रोकथाम नहीं कर पाते तब जाकर अपने साधनों का इस्तेमाल करता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इस प्रीजम्पशन से एग्री नहीं करता । वे उनको भी मदद पहुंचाते हैं और जब उनके इमकान के बाहर हो जाता है तो बाहर से भी लोगों की मदद लेते हैं ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बरेली में पर्याप्त मात्रा में कालर वैक्सीन नहीं मिल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने परसों कलेक्टर से कंटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां काफी है। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर कमी हो तो कहियेगा, हम और दे देंगे।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—माननीय मंत्री जी ने मेरठ जिले के फीगर्स दिये हैं। लेकिन गाजियाबाद में भी यह बीमारी है और तकरीबन सौ के करीब मौतें वहां हो चुकी हैं, क्या इसकी सूचना सरकार को है? और क्या तारीख १५, १६ और १७—तीन दिन तक गाजियाबाद में वैक्सीन की एक भी शीशी नहीं थी जो इस्तेमाल की जा सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी इत्तिला यह है कि गाजियाबाद में तो शुरू ही हुआ है क्योंकि वह दिल्ली की कुरबत में है लेकिन इसकी इत्तिला हमको नहीं है कि उन तारीखों में वहां पर एक भी शीशी नहीं थी। हम इतनी जोरों से सप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल मैसेन्जर्स के द्वारा खास तौर से भिजवा रहे हैं। मैंने यह भी हिदायत कर दी है दवाइयों के बारे में कि जहां कहीं थोड़ी बाकी रह जाय तभी यहां इत्तिला कर दें और ऐसी स्थिति न आ जाय कि वहां दवाइयां न रह जायं और लोगों को तकलीफ हो।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—यह जो मौतें मंत्री जी ने बतायी हैं, इनमें कितने बच्चे, कितने नवजवान, कितनी स्त्रियां और कितने बुड्ढे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सब तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त, लेकिन पुजारी जी की उम्र के कम ही लोग हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जो इन्तिजाम अभी मंत्री जी ने बताये हैं वह लोगों के मर जाने के बाद परसों नरसों हुए हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, इंतजाम तो जैसे जैसे जरूरत होती गयी हम सिलसिले-वार उसको बढ़ाते गये लेकिन जिनको मरना है उनको तो मैं नहीं रोक सकता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों को देखते हुए इस साल बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं और बीमारी बहुत बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के विभागीय अधिकारी इससे सतर्क नहीं रहते हैं और कहीं भी जो हिफाजती कार्यवाहियां पहले हुआ करती है वह नहीं हुई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खाने वाले ही सतर्क नहीं रहते हैं, अधिकारी तो जरूर सतर्क रहे।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देहात के पीड़ित क्षेत्रों में मेडिकल स्टाफ ठीक से काम नहीं करता और वहीं पर इस लिये बीमारी ज्यादा फैल रही है तो मेडिकल स्टाफ ठीक से काम करें इसके लिये माननीय मंत्री जी सरप्राइज विजिट करेंगे और अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे सरप्राइज विजिट करके देखें कि मेडिकल स्टाफ काम ठीक से करे और बीमारियों की रोकथाम हो सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खाली मेरे सरप्राइज विजिट करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर मुक्तिनाथ जी को किसी स्टाफ के आदमी से शिकायत हो कि वह काम नहीं करता है तो वह शिकायत कर दें कि फलां आदमी ठीक से काम नहीं करता, मैं उसके खिलाफ ऐक्शन लूंगा।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गैस्ट्रोइंट्राइटिस कालरा का ही दूसरा रूप है। केवल इसलिये कि कालरा से मौतें ज्यादा नहीं हुई इसको बचाने के लिये इस शब्द का निर्माण किया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम नहीं फर्क करते हैं लेकिन टेक्निकल आदमी फर्क करते हैं। सिम्पटम सेम, ट्रीटमेन्ट सेम, रिजल्ट सेम तो हम तो कालरा और गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस को एक समझते हैं लेकिन टेक्निकल लोग पाजिटिव और निगेटिव बताते हैं और इसलिये उसका नामकरण करते हैं। वैसे तो मैंने दोनों के बारे में इन्फार्म कर दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जिनको मरना होता है वह मरते हैं और जिनको बचना होता है वह बचते हैं, इस विभाग को बन्द करने की बात सोच रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इंसान मरते वक्त भी कहता है कि भइया जरा पनिया पिलाय दो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक प्रोटेस्ट करना चाहता हूं जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके बारे में। मैंने स्पष्ट पूछा था कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिये तो उन्होंने सदन के लोगों को राय दी है कि उन्हें अच्छा खाना खाना चाहिये। मैं इसके लिये प्रोटेस्ट करते हुए यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने प्रिवेन्टिव मेजर्स क्या लिये इलाज के लिये, बीमारी के फैलने से पहले क्या मेजर्स लिये गये?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अगर पसन्द न आया हो तो फिर से जबाब सुन लीजिये। जो ऐंटी ऐडल्टरेशन मेजर्स हैं उसको जोरों के साथ लागू करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि आपने क्या मेजर्स लिये? जो आप ले रहे हैं वह नहीं बल्कि आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिये थे, वह यह जानना चाहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त हम ने जो लिया है वह यह है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसकी रोकथाम हो।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के कस्बे तिलहर में जो सौ सवा सौ मौतें हो गयीं और वहां कोई इन्तजाम नहीं हुआ तो मंत्री जी शाहजहांपुर जिले से इतने रुष्ट क्यों हैं कि वहां से उन्होंने सूचना भी नहीं मंगाई?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैं कह नहीं सकता कि हमारे विभाग में सूचना है या नहीं लेकिन अगर माननीय मित्र मेरे दफ्तर में मिलेंगे तो पता लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि नंबर तो बता दिया कि ४४ जिले हैं लेकिन मोहिले जी ने कुछ जगहों का नाम लिया था इसलिये उन्होंने जिक्र कर दिया। बाकी का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी जगह से खबर नहीं आई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नगरपालिकाओं में जो पानी दिया जाता है पाइप के द्वारा, क्या इस बात की जांच कराई गई है पानी को टेस्ट करा के कि उसी के द्वारा इस प्रकार के जर्म फैलते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो जहां जांच नहीं हुई होगी वहां भी करा ली जायगी।

२६ जुलाई, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महावीर सिंह)—अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर अब इस प्रकार होंगे —

प्रश्न	उत्तर
३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरी घाट (आजमगढ़) का पुल कब तक बनना शुरू हो जायगा ?	३—दोहरी घाट के पुल के आगणन पर केन्द्रीय सरकार की प्राविधिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

अनुपूरक प्रश्न

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी—इस पुल के बनाने में कुल कितना धन लगेगा ?

सदन में दिया गया उत्तर

दो एस्टीमेट्स भेजे गये हैं—पहला है १११.४ लाख का और दूसरा आर० सी० सी० का है, १३६.५० लाख का । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर है जो स्वीकार हो जायगा उसके अनुसार दिया जायेगा ।

संशोधित उत्तर

दो एस्टीमेट भेजे गये हैं—पहला है १११.४ लाख का और दूसरा आर० सी० सी० का है १२६.५० लाख का । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर है जो भी स्वीकार हो जायगा उसके अनुसार दिया जायगा ।

अनुपूरक प्रश्न

श्री राम सुन्दर पान्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों एस्टीमेट्स कब-कब भेजे गये हैं और उस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई रिमाइण्डर भी भेजा है ? यदि हां, तो कब ?

सदन में दिया गया उत्तर

१५ अप्रैल, १९६० को भेजा गया है ।

संशोधित उत्तर

१५ जुलाई, १९६० को भेजा गया है ।

सदन के इर्द-गिर्द गुप्तचरों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—कल जो आप ने बताने के लिये कहा था वह बता दें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी आज बीमार हैं, कल वह आयेंगे उन्होंने उत्तर मुझे दिया है, उनकी भी इच्छा थी कि उनकी उपस्थिति में मैं कहूं इसलिये कल मैं सूचना दूंगा ।

साप्ताहिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन् इस सप्ताह का कार्यक्रम जानना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—वह भी आप कल ही मुख्य मंत्री जी से पूछें।

दि इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६० (क्रमागत)†

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बहुत से साथी माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं और विशेष रूप से सरकारी पक्ष के बैठने वाले सदस्यों का श्री हरिदत्त कांडपाल का, श्री उदय शंकर दुबे का, श्री नवल किशोर जी का और श्री चन्द्र सिंह रावत का, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस वादविवाद में शिरकत फरमाई और उन्होंने कुछ सही चीजों पर प्रकाश डाला। यह तो मैं जानता हूं कि यह विधेयक पास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं क्योंकि पार्टी के अनुशासन के अनुसार उधर के बैठने वाले कांग्रेसी भाइयों को उसके पक्ष में ही वोट देना होगा। बहुत बड़ा बहुमत उनका इस आदरणीय सदन में है इसलिये यह अवश्य पारित होगा लेकिन मैं बहुत ही नम्र शब्दों के साथ माननीय मंत्री से कहूंगा कि जब वह सदन में बैठें तो वह हमारी और अपने भाइयों की बातों को सुने और खाली गुपतगू में अपना बेशकीमती वक्त जाया न करें।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह चीज क्या है? विरोधी पक्ष के लोगों को तो अवसर कह दिया जाता है कि हम लोग गलत नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन मंत्री जी के साथ के प्रायः सभी ने एक स्वर से इसका विरोध किया। केवल एक माननीय सदस्य ने कुछ समर्थन किया वह भी शिष्टाचार के नाते। माननीय रामलखन जी ने कहा कि उन बातों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, उन्होंने विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन किया और बाकी बातों की कतई चर्चा नहीं की। तो इन बातों से मालूम होता है कि वन विभाग में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सब सदस्य गलत बात कहते है। जब सब एक ही बात कहते हैं तो जांच होनी ही चाहिये। प्रजातन्त्र का उसूल है, हम दुनिया को यही तो कहते ह, सरकार उसकी होती है जिसकी मेजारिटी होती है और बहुमत की राय मानी जाती है।

फारेस्ट विभाग की गड़बड़ियों के संबंध में बहुमत की राय है, बल्कि जहां जंगल हैं वहां के सभी माननीय सदस्यों, चाहे यहां वे विरोधी पार्टी में हों या सरकार की ओर, ने एक स्वर से एक ही मांग की। इतने साल हो चुके, कई बार कह चुके, यहां भी सदन के बाहर भी, मीटिंगों में भी, मंत्री जी जब दौड़े पर गये अल्मोड़ा और नैनीताल, वहां भी जनता ने और जनता के प्रतिनिधियों ने जब अपने ग्रीवान्सेज कहे व मंत्री जी ने उन्हें दूर करने का वचन दिया तो क्या वजह है कि सरकार उनको नहीं मानती है? जब जनता कोई बात कहती है तो कहा जाता है तुम्हारे प्रतिनिधि जो कहते हैं वही कर दिया जायगा। जब सारे प्रतिनिधि एक ही बात कहें उस पर भी एग्जीक्यूटिव न माने तो हम क्या मानें कि आया यह मंत्री जी की सरकार है या उनके एग्जीक्यूटिव हेड्स की? हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन के बारे में कहा जाता था कि वे अपनी मनमानी करते थे, जनता की बातें नहीं मानते थे। यहां पर क्या है? जनता के छांटे हुए सारे जिलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से बात कही है तो मंत्री जी भगवान के लिये उन पर गौर करें। हम जब कोई शिकायत करते, या लिख कर भेजते हैं तो कोई जवाब तक हमें नहीं मिलता है।

अब मैं उन बातों को एक एक करके लेता हूं जो सरकार की ओर से कही गई हैं। माननीय राम लखन जी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा था कि हम अपनी भूलों का प्रायश्चित कर रहे हैं और इस बिल का आर्डिनेंस का महत्व है इसलिये इसको सदन जल्दी पास करे। उनके कहने का तात्पर्य यह है आज तक इस बिल को लाने में देर हुई इसलिये जंगलात कट गये और इसीलिये उन्होंने इस बिल को आर्डिनेन्स की संज्ञा दी थी कि इसको जल्दी पास करना है ताकि जंगल रहें। मंत्री जी ने कहा था १९५६ में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में जो तरमीमात कीं....

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन तो यह है कि विधेयक प्रवर समिति के पास जाय।

---

†२२ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जो माननीय सदस्यों ने कहा है उनका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--जब प्रवर समिति के पास चला जायगा तो वहां जवाब दे दीजियेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय सदस्यों ने जो कहा उसका जवाब तो नियमानुसार देने का हक मुझे होता है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मंत्री जी ने जो कहा....

श्री अध्यक्ष--उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप बतलायें कि इस बिल के सिद्धान्तों को मानते हुए आप इसे प्रवर समिति में क्यों भेजना चाहते है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--लेकिन रिप्लाई की जो पद्धति है।

श्री अध्यक्ष--रिप्लाई की पद्धति पहले नहीं थी। जब कंसिडरेशन पर विधेयक आता था तो उसमें संशोधनकर्त्ता द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता था लेकिन अब जब नियम बदल गया है इसलिये आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर जैसा आपका संशोधन है उसके हिसाब से होना चाहिये। संशोधन आपका यह है कि प्रवर समिति के पास विधेयक भेजा जाय। तो आप यह कह सकते हैं कि चूंकि इतना महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इसको भेजा जाय। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधेयक का सबने विरोध किया। तो आपको अमेंडमेन्ट देना था। विधेयक के विचार का ही विरोध करना था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--लेकिन राइट आफ रिप्लाई जो है।

श्री अध्यक्ष--राइट आफ रिप्लाई तब उत्पन्न होता है जब कि आपकी बात किसी ने काटी हो, आपने जो कहा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो किस बात का आप रिप्लाई दे रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मंत्री जी ने फरमाया था कि हम इन जंगलों को बचाने के लिये सन् १९५६ में अमेंडमेन्ट लाये ताकि जमींदारों वाले जंगल न कट सकें, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज आफ दी फारेस्ट डिपार्टमेन्ट, १९५६ की रिपोर्ट में लिखा है--

"Later, however, these notifications were cancelled and Government ordered that the leases in whose favour valid reclamation leases had been executed by the owners of the erstwhile private forests would be allowed to utilize the forest land leased to them subject to the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act."

इसका मतलब है कि सरकार ने पहले तो सन् १९५६ में ठीक समझा कि जंगलों पर नियंत्रण रखने के लिये इनको प्राइवेट फारेस्ट माना जाय, उसके मातहत नोटिफिकेशंस इश्यू किये गये। लेकिन सरकार ने स्वयं ही उन घोषणाओं को Withdraw कर लिया। यानी उन जंगल भूमि के जो Leases हैं वे जिस तरह से चाहें यू० पी० जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट के मातहत उसे कमा लें। यह अधिकार बाद को सरकार ने स्वयं दिया। इससे यह इशारा निकलता है कि वे चाहे जमीन कमायें और चाहें जंगल काटें। उन पर कोई रोक १९५६ के बाद नहीं रक्खी गई। यह पोजीशन सरकार ने ली। लेकिन आज सरकार कहती है कि जंगल का काटना वह खत्म करेगी और जो जंगल कट चुके हैं उनमें जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट वाली बात लगेगी। परिभाषा में कहीं यह बात नहीं रखी गयी कि किन-किन जंगलों में ऐसा किया जायगा।

माननीय मंत्री जी ने बिल के उद्देश्य और कारणों में बताया कि जमींदारी उन्मूलन वाली जमीन में जो जंगल काटे गये हैं उनकी रक्षा करना जरूरी है, लेकिन इस बिल में जंगल की परिभाषा उन्हीं जंगलों तक सीमित नहीं है जो भूतपूर्व जमींदारों से लिये गये थे। इसमें यह कहा गया है—

"Forest", means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate. streamflow, protection of land from erosion, or other such matters, and shall include—

"Land covered with stumps of trees of a forest ;"

यानी जहां से सारे पेड़ कट चुके हों, केवल ठूंठ ही ठूंठ बाकी रह गये हों। वह भी जंगल होगा। एक तरफ तो सरकार कुछ और कहती है और दूसरी तरफ कहती है कि वह भूमि जिसमें ठूंठ ही ठूंठ हों। तो क्या उद्देश्य और कारण क्या हैं और क्या परिभाषा रक्खी जाती है। इतना ही नहीं है बिल में आगे यह भी है—

"Such pasture land, waterlogged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest, as may be declared to be a forest by the State Government."

यानी जंगल से मिली हुई भूमि भी जंगल में आ जायेगी। इसके माने यह हैं कि कुमायूं नयाबाद वेस्ट लैन्ड ऐक्ट, १९४८ के मुताबिक वहां जंगल के किनारे रहने वालों को हर ३ साल में जो १/४ एकड़ भूमि बढ़ाने का जो अधिकार मिला था, ऐसा लगता है कि सरकार फिर उसे वापस लेना चाहती है और फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के मातहत करना चाहती है। गोया, गांव समाज को ताकत न देकर,जिसकी सरकार बार-बार घोषणा कर चुकी है, उन लोगों की जमीन आज फारेस्ट डिपार्टमेन्ट अपने मातहत रखना चाहता है। यह सरासर निन्दनीय है।

इसके अलावा इतने भीषण परिवर्तन इसमें किये गये हैं कि यह एक या दो दिन में पास करने की चीज नहीं है। यहां पर तो हम केवल एक डिबेटिंग मूड में आते हैं, जो भी बात हम कहते हैं, चाहे सही हो या गलत , सरकारी पक्ष उसका विरोध करता है। प्रवर समिति में जब हम लोग बैठेंगे तो इसे विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखेंगे। इस बिल में फारेस्ट की लैन्ड की परिभाषा है —

"Forest land" means a land covered by a forest or intended to be utilized as a forest ;

यह एक गलत चीज होगी क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा । यही नहीं कि उसमें जंगल हो वह वन भूमि होगी बल्कि अगर जंगल लगाने का इरादा हो तो भी होगी। आदरणीय सदन को इसे बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिये। इरादा बदल भी सकता है। आज हमारा या सरकार का इरादा हो सकता है कि फलां जगह पर जंगल लगाया जाय। कल को सरकार कह सकती है कि हम उसमें प्लांटेशन नहीं करेंगे। इंटेन्शन के माने यह नहीं है कि वह काम पूरा हो जाय। क्रिमिनल ला में तीन स्टेजेज होते हैं। पहला इंटेन्शन, दूसरा प्रिपरेशन और तीसरा ऐक्चुअल कमिशन आफ दि क्राइम। तो इंटेन्शन के स्टेज पर सजा देना या कार्य पूरा समझना तो बड़ा भयानक होगा। अगर इंटेन्शन की स्टेज को हम इस बिल में वर्णित जंगल के परव्यू के अन्दर लाने लगे तो बड़ा गजब हो जायगा।

उधर से आज कहा गया कि इसमें कुछ हकूक लेने की बात नहीं है, यहां कुछ प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स और रिज़र्व्ड फारेस्ट्स की बात आयी है। मैं यह कहना चाहता हूं

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों सभी इस बारे में शोर मचा रहे हैं। टेहरी के माननीय सदस्य अभी नये आये हैं उन्होंने क्या कहा, कांडपाल जी ने कल क्या कहा ? वे तो यहां तक कह गये कि अंग्रेज में राज्य करने की क्षमता थी जो आजकल की सरकार में नहीं है तथा उनके राज्य में कम तकलीफें थीं और आज वन विभाग द्वारा जो कुछ हो रहा है उससे तकलीफें बढ़ गयी हैं । इससे ज्यादा मैं क्या कहूं । मंत्री जी हमारी बात भले ही न मानें लेकिन वह अपने साथ बैठने वालों की बात का तो यकीन करें जिनकी वजह से वह मंत्री हुये हैं, जिनके वह सरदार हैं . . . .

श्री अध्यक्ष--यह तो आप कई बार कह चुके हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, जो आज प्रोटेक्टेड फारेस्ट के संबंध में ताकत लेने की बात है उसके सिलसिले में पहले जो जी० ओ० था वह दूसरा था । लेकिन पता नहीं क्या बात हो गई कि उसे इतनी तेजी से बदला जा रहा है । पहले श्रीमन्, यह था क्लास वन और टू रिजर्व जंगलों में कुमायूं के रहने वालों को अधिकार था कि वे वहां अपने मवेशी चरा सकें और वहां से घास ले सकें । इसके अलावा देवदार, अखरोट, साल तथा देवदारु वगैरह के सुरक्षित पेड़ों को छोड़कर बाकी पेड़ों को काट सकते थे । कुछ पेड़ श्रीमन्, ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां मवेशियों को खिलाई जा सकती हैं तो सिर से ६ फीट नीचे छोड़कर उसकी पत्तियां गांव वाले साधिकार ले सकते थे । लेकिन उसके बाद आज जो आप ताकत ले रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा ? इस पर सदन को विचार करना चाहिये । जो ताकत वर्त्तमान वनों के बाहर की भूमि पर भी सरकार ले रही हैं दफा ३२ के मुताबिक वह इस प्रकार है कि :--

"No person shall, without the permission of Forest Officer do, attempt to do, or cause to be done, any of the following acts :

(1) the cutting, sawing, conversion and removal of any tree an the collection, manufacture and removal of forest produce from th protected forest ;

(2) the clearing and wrecking of land for cultivation of or for making of any threshing floor (*khalihan*) or tethering cattle, erecting of any temporary or permanent hut or house in such forest ;

(3) the cutting of grass and pasturing of cattle in such forest ; and

(4) the lighting, kindling or burning of any fire near such forest."

श्रीमन्, सरकार आज इतना आगे ले गयी है कि न सिर्फ वह व्यक्ति जो कि अपराध करे या किसी से कराये, अटैम्प्ट करे या किसी से कराना चाहे यानी कोई भी आदमी चाहे वह जंगल में स्वयं मौजूद न हो, चाहे फारेस्ट प्रोड्यूस को लेने न जाय लेकिन उसके ऊपर आरोप आ सकता है कि तुमने फलां नौकर या आदमी को भेजा था जिसका इरादा था कि वह घास काटेगा या पत्ते लायेगा, लिहाजा तुमको इसके लिये सजा दी जाती है । इतना तानाशाही हुक्म कानून में नहीं होना चाहिये ।

अब श्रीमन्, डिटेल की बात लीजिये । कल कहा गया था कि जब तक कुमाऊं के निवासियों की जरूरतें पूरी नहीं होतीं तब तक फारेस्ट प्रोड्यूस को बाहर न भेजा जाय, चाहे कागज के लिये हो चाहे किसी और चीज के लिये हो । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक विचित्र बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसकी ओर शायद माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया है । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो आइडिया नहीं है उससे भी सरकार आगे बढ़ गयी है । धारा ७९ में वह बहुत आगे बढ़ गयी है उसमें यह है कि अगर कहीं जंगल में आग लग जाय तो हर एक आदमी जिसे वहां हक हो वह आग लगने की सूचना देने के लिये बाध्य होगा, चाहे उससे पूछा जाय या न पूछा जाय । आग बुझाने के लिये उसे जाना होगा, बिना किसी मजूरी के, बिना खाये पिये । कुमाऊं के किसान जंगल में आग

से खेलते हैं और आग बुझाते हैं और उसकी मजदूरी वगैरह भी कुछ नहीं लेते हैं । इतना ही नहीं जब कोई जंगल में अपराध हो तो उसका भी पता लगाना होगा। जब ऐसा कोई कारण हो जिससे यह विश्वास किया जा सके कि जंगल के संबंध में कोई अपराध हो रहा है या होने वाला है तो उस अपराध को ढूंढ़ निकाले और उसकी गिरफ्तारी करवाये, यह कुमाऊं के हक वाले गांव के हर आदमी का कर्त्तव्य है कि वह इतने व्यापक रूप से रहे कि जरा भी शक हो तो उसको पकड़कर लाये। अगर नहीं लाता है तो उसको सजा हो सकती है । इसके अलावा इस धारा में यह भी है कि . . .

श्री अध्यक्ष--आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--फारेस्ट ऐक्ट की धारा ७९ को पढ़ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--फारेस्ट ऐक्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये और दोष बताते जाइये, यह तो आप इरेलेवेंट बात कर रहे हैं । आपके संशोधन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए फारेस्ट ऐक्ट पढ़ा जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष--इस संशोधन के संबंध में यह चीज नहीं आती ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--इसमें मुख्य से संबंधित बात तो आ रही है । मैं आपकी आज्ञा से जो बिल आया है उसमें से पढ़ दूं--

"Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest, or forest land, is necessary or expedient in the public interest thereof, or in order to secure the proper management thereof, particularly with a view to ensure its planned development as a forest, it may, by notification in the official *Gazette* do so for all or any of the said purposes, for such period, not exceednig fifteen years, as may be specified in the notification."

इसके आगे उद्देश्य और कारणों में भी आया है कि सरकार स्वयं सोयम जमीन को प्रोटेक्टेड फारेस्ट बनाना चाहती है । टेहरी-गढ़वाल की सोयम जमीन जो पंचायतों के पास है, सरकार गोया उसकी मालिक है । लेकिन जब तक प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक वह बात नहीं लागू कर सकते हैं । अगर यह बात हो जायगी तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, यह निवेदन कर रहा हूं, यानी क्रिमिनल लाज से भी आगे बढ़ गया है । अब अपराध की सजा है दो सौ रुपया जुरमाना, एक महीने की सजा या दोनों, किस बात पर होगी ? इस बात पर कि अगर हकवाले ग्रामीण को मालूम भी हो जाय कि जंगल में कोई अपराध करने जा रहा है या उसका ऐसा इरादा है और उसे रोकने न जाय, या उसकी रिपोर्ट न करे तो गांव वाला दंडित हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--जब वह खंड आयेगा उसके ऊपर आप बहस कर लीजियेगा । जिस वक्त आपको प्रवर समिति को भेजना है, उस वक्त इतनी बहस की आवश्यकता नहीं होती है । यह आप समय का अपव्यय कर रहे हैं । उसका अपव्यय न करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वैसे श्रीमन् के बराबर अक्ल होती तो मैं भी उसी कुर्सी पर जा बैठता । इतनी तो बुद्धि है नहीं । जो थोड़ी बुद्धि है . . .

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से बहस करेंगे तो मुझे लाचारीवश कहना पड़ेगा कि आप अपना भाषण समाप्त करें। आप पुराने ऐक्ट में इतने विस्तार में जा रहे हैं । एक मोटी बात है कि आप तर्क बतावें कि किस कारण आप चाहते हैं कि प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं संक्षेप में कह ूंगा । मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर प्रवर समिति में यह विधेयक नहीं जाता है तो आज तक जिस जमीन का मुनाफा पाने के वह एन-टाइटिल्ड हैं, जिनके वह मालिक हैं और जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी का भी सिद्धांत है कि "property vested can not be divested" उसके विरुद्ध जो जमीन लेसीज और प्रोपरइटर्स में वेस्ट हो चुकी है, सरकार उसका कम्पेंसेशन नहीं देना चाहती है । तो कल को हो सकता है कि हाई कोर्ट में जा कर यह नल ऐंड वायड (null and void) हो जाय । आये दिन हम देखते हैं कि हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंचते-पहुँचते हमारे ऐक्ट लबेदम हो जाते हैं । हम नहीं चाहते है कि सरकार ऐसे बिल लाये जिसमें हजारों रुपये का खर्च हो और आदरणीय सदन और माननीय अध्यक्ष का इतना अमूल्य समय खर्च हो, जब कि देश के सामने रक्षा और खाद्य जैसे बड़े बड़े सवाल हों, उस वक्त जंगल का कानून लाया जाय जो कि एक ही चिनगारी से हाईकोर्ट में जा कर खत्म हो जाय । फिर सरकार को यह भी नहीं मालूम कि १९५६ में जो विधेयक लायी थी तब सही था या उसके मातहत notification लायी तब सही था और आज फिर कहती है कि notification के मुताबिक होना चाहिये और जहां पर जंगल कट भी चुके हैं या जो चरागाह वाली जमीन है वह भी हाथ में ले रहे हैं । ईंधन को बटोरने के अधिकार, Forest produce को अपने कब्जे में करने के अधिकार भी अपने हाथ में ले रहे हैं ।

श्रीमन्, यह बात नहीं है कि जितने आज तक वन हैं उसी के अन्दर नये नियम लागू कर रहे हैं, इसमें तो कुछ अलावा क्षेत्र भी वन बनाये जा रहे हैं जहां पर या तो वन नहीं है और अगर हैं तो उनको कटने से बचाने के बहाने ।

अब श्रीमन्, सरकार यह कहती जाती है कि हम वनों की रक्षा करना चाहते हैं । लेकिन जो आज तक का रवैया उसका रहा है वह यह है कि सरकार यह बहाना करती है कि लोग तो पेड़ काटते जाते हैं, हमीं पेड़ के अकेले रक्षक हैं, इसलिये जब तक हमारे हाथ में वन नहीं आते तब तक उनकी रक्षा नहीं हो सकती । श्रीमन् ने देखा होगा, पर्वतीय प्रदेश में जहां के बारे में ज्यादा शिकायत की गई कि यहां recklessly पेड़ गिराये गए वहां तो जमींदार नहीं थे, वहां तो जमींदारों की जमीन नहीं ली गई थी । वहां आज भी करीब ३० प्रतिशत या उससे भी ज्यादा शायद ३५ या ४० प्रतिशत जमीन पर वन मौजूद हैं । तो जब ४० प्रतिशत जमीन पर या ३० प्रतिशत पर बावजूद इतने वर्षों के बीत जाने के लोग जंगल बनाये हुए हैं, सरकार के कानून के न होते हुए भी, यानी जहां सरकार का फारेस्ट ऐक्ट इस प्रकार नहीं लागू होता है जैसी आज व्यवस्था की जा रही है, वहां भी जब अच्छे जंगल बने हुए हैं, बेनाप जमीन पर बने हुए हैं तो माननीय मंत्री जी यह कैसे कहते हैं कि वही अकेले जंगलों के पहरेदार हैं ?

श्रीमन्, आपको याद होगा, २४ फरवरी, सन् १९५९ को माननीय मंत्री जी ने यह आरोप लगाया था कि पहाड़ों में जंगल साफ कर दिए, इरोजन हो रहा है। माननीय मोहनसिंह मेहता जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने वहां जो इरोजन हुआ उसके कारणों की जांच में जो करेस्पांडेंस हुई थी जो किसी प्राइवेट आदमी की नहीं बल्कि पी० डब्लू०डी० या सिंचाई विभाग का कोई अफसर था, उसकी वन विभाग से करेस्पांडेंस थी, उसका आखिरी निष्कर्ष जो निकला था, वह पढ़कर सुनाया था कि किसी जगह का तमाम जंगल वन विभाग ने साफ कर दिया इस-लिए इरोजन हुआ । तो श्रीमान्, यह बात नहीं है कि जंगल जनता ही साफ करती है बल्कि सरकार के जंगल विभाग की ओर से भी उसका सफाया होता है। वह चाहे प्लान के अन्दर हो या एक्सपर्ट के कहने से हो, लेकिन आज तक का नतीजा यह पहाड़ में रहा है कि जंगल सरकार की तरफ से ज्यादा रेक्लेसली साफ हुए हैं । आज वहां पर काफी ऐसे भ्रष्टाचार के मुकदमे उनके अफसरों पर चल रहे हैं जिनका जिक्र कि माननीय मंत्री जी ने खुद किया था कि रेक्लेसली जंगल काटने के संबंध में उन पर मुकदमे चल रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि जहां उन्होंने यह कहा कि जंगल विभाग के अधिकारियों के ऊपर इस तरह से भ्राष्टचार के मुकदमे चल रहे हैं, वहां क्या उन लोगों पर सुपरविजन करने वाला कोई आदमी नहीं था । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह आदमी वहां १२ वर्ष से बना हुआ था और जाना नहीं चाहता था. . . .

श्री अध्यक्ष--इससे इस विधेयक से क्या संबंध है ? आप तो सारी चीजें जितनी आपको कम्प्लेंट्स हैं सब इसमें लाना चाहते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार का जस्टीफिकेशन यह है इस विधेयक को लाने का कि जंगल लोग काटते जाते हैं....

श्री अध्यक्ष--उसका आप काफी जवाब दे चुके ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--श्रीमन्, पांच मिनट में खत्म कर दूंगा । आप घड़ी देख लें और श्रीमान्, कृपा करके अब न रोकें । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी बातें हुईं । कल इस आदरणीय सदन में बात आई थी । उधर के माननीय सदस्यों की बात को ही मान लें । माननीय हरिदत्त कांडपाल ने एक जी० ओ० उद्धृत किया था । जब बहुत ज्यादा लकड़ी और टिम्बर आदि की तकलीफ अल्मोड़े और कुमायूं में होने लगी, भाव बेतहाशा बढ़ा दिए गए और माल गायब कर दिया गया तो लोगों ने शोर किया । उस पर माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अब टिम्बर की कोई तकलीफ नहीं रहेगी । उन्होंने कहा था कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को हक दे दिया गया है कि वह परमिट ईश्यू कर दे और टिम्बर मिल जायगा । लेकिन उसके बिल्कुल उल्टे श्रीमन्, यह डी० ओ० मुख्य अरण्यपाल का है :--

"D. O. no. 973-Camp/32-65

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS,
UTTAR PRADESH, NAINI TAL

Dated Camp via Naini Tal, December 22, 1957.

Reference : Your D. O. no. 2787/41-1 (a) dated 16th December, 1957

My dear Jain,

You should follow the instructions given by me, viz. to sell lots on the condition that all timber is covered into sleepers and the local people on demand supplied sleepers at market rate and the excess is exported, say three months after the work is finished. We are not going to cater for actual needs of the people. To-day you are supplying the local people planks and scantlings. To-morrow, the local people may want you to prepare for them frames for doors and windows, etc. This we cannot undertake. It is for the local people to get sawyers for their needs and sawyers are bound to come for work in towns if real demand arises. So, I do not agree that the Commissioner and President, Municipal Board, should be consulted on this score.

Sri K. C. JAIN, I. F. S.,
C. F., K.

Yours sincerely,
(Sd.) (R. SAHAI, I. F. S.)."

कहने का मतलब यह है कि जिस विभाग के ऐसे अध्यक्ष हों जिनके खिलाफ बराबर शिकायत रहे, बहुत सी बातों की शिकायत जिनके खिलाफ होती रहे उनको फिर भी चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट बनाया जाय तो यह कितनी अफसोस की बात है ।

श्री अध्यक्ष--अगर आप इस तरह से पर्सनल अटैक करेंगे इस विधेयक की आड़ में तो मैं आपको टोकूंगा । आप तर्क दीजिये । इस तरह से आप किसी की नियुक्ति का प्रश्न उठाने लगेंगे तो मैं आपको जरूर टोकूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर गलत कंजरवेटर आफ फारेस्ट बनाये जायेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जो जनता की वास्तविक जरूरतें हैं उनकी

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

परवाह नहीं की जायगी। उनके गर्व का हाल देखिए, कहते हैं--म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन या डिवीजन का कमिश्नर कौन होता है। इन बातों से हमको मतलब नहीं, कि उनकी क्या राय है। मेरा तो इतना निवेदन है कि मंत्री जी इस बिल को प्रवर समिति में ले जांय और मालूम करें कि क्या कमियां हैं। यह मांग जो दोनों तरफ से इस बिल के विषय में की गई है अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो हम यह सोचेंगे कि यह प्रजातंत्र नहीं है बल्कि तानाशाही है और हिटलरशाही है।

*वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतने वर्षों के बाद भी बहुत से माननीय सदस्य, जिन्होंने तकरीर की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह साबित हो कि जो तजवीज है उससे उसका क्या ताल्लुक है। तीन तरह की तकरीरें यहां पर की गईं। जो डिपार्टमेंट के अफसर हैं और खास तौर से जो चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट हैं, उनके ऊपर एतराज किये गये। जो कुछ गवर्नमेंट की पालिसी है, या बाज बाज जो पालिसी हैं उन पर भी एतराज किया गया। चन्द हजरात ने थोड़ा बहुत इस बिल के मुताल्लिक कुछ कहा और इस बिल के जो प्राविजन हैं उन पर भी एतराज किया गया।

जहां तक पहली दो बातों का ताल्लुक है खुली हुई बात है कि हमारे पास १३ हजार स्क्वायर माइल्स के जंगलात हैं। उनका इन्तजाम सरकार करती है और सरकार के ये अफसरान करते हैं। इस बिल के पास हो जाने की वजह से उनमें से किसी पर इसका असर नहीं पड़ता है। यह प्रवर समिति में जाय या नहीं यह बिलकुल इससे गैरमुताल्लिक बात है। यह बातें जनरल डिबेट अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हो तो रिलीवेन्ट हो सकती हैं लेकिन ऐसे बिल के सिलसिले में इस तरह की बातें करना और यही नहीं बल्कि इतने जोश के साथ बातें करना जिससे यह मालूम पड़ता था कि यह छत गिर पड़ेगी या आफत आ जायेगी, इस तरह की तकरीर करना बिलकुल गैरमुताल्लिक था। अब मैं सिवाय इसके और क्या कहूं कि चूंकि जंगल का तजकिरा था और जंगल के मुताल्लिक एक बिल था तो वह जंगल की भाषा यहां पर भी आ गई और जैसे उस वक्त जंगल में होता है कि जब एक जानवर कोई चिल्लाने लगता है तो उसके पीछे बहुत से जानवर, जिनकी आवाज दूसरे किस्म की होती है, वही बोली बोलकर नकल करना शुरू कर देते हैं। इस किस्म के असरात यहां फैल जांय महज इस वजह से कि जंगल का बिल है तो मजबूरी है। बहुत सी बहसों का ताल्लुक इस मौजूदा बिल से नहीं था। जो दफात इसमें हैं उनके बारे में अगर एतराजात होते, जो यहां ठीक नहीं हो सकते थे और इसलिये कहा जाता कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो मैं उसका जवाब दे सकता था। खैर।

यहां बहुत सी बातें कही गयी हैं और जिनके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं। जहां तक अफसरान के ऊपर चार्जेज लगाने का ताल्लुक है, वे यहां पर जवाब देने के लिये आने वाले नहीं हैं। कोई उनके पास जरिया नहीं है कि जो इल्जामात उन पर लगाये जायें उनका वह जवाब दे सकें। इसके लिये मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जब किसी अफसर के मुताल्लिक मेरे पास शिकायत आती है.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर आप भाषण लम्बा करेंगे तो दो बजे तक कुछ नहीं हो सकेगा और खंडों पर विवाद शुरू नहीं हो सकेगा क्योंकि एक और दो बजे के बीच में तो कोई वोटिंग हो नहीं सकेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सारे सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, उन का जवाब दे लेने दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये मैं कहता हूं कि जब आप सबका जवाब दे लेंगे तो नतीजा यह होगा कि मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा दो बजे तक के लिये, क्योंकि जब वोटिंग नहीं हो सकेगी तो हम बैठ कर क्या करेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर—जैसा मैं कह रहा था, जब किसी अफसर के मुताल्लिक कोई स्पेसिफिक बात होती है तो मैं तहकीकात कराता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और पुलिस से भी मैंने तहकीकात करायी है, लेकिन बदकिस्मती से बावजूद इंडिपेंडेंट तहकीकात के भी कोई शिकायत जो इस किस्म की आती है साबित नहीं हो पाती और बिलकुल बेबुनियाद मालूम होती है और यहां पर बावजूद इसके भी इल्जामात लगाये जाते हैं। इससे जाहिर है कि इसकी क्या अहमियत हो सकती है ।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

सी० सी० एफ० को एक्सटेंशन दे दिया गया और इस सिलसिले में अपने एतराज के साथ-साथ उनका एक खत भी पढ़ा गया । जहां तक उस खत का ताल्लुक है, उसका इस बिल से कतई ताल्लुक नहीं है और सी० सी० एफ० के एक्सटेंशन के बारे में बिलकुल गलत खयाल में बातें कही गयीं, आप लोग जानते नहीं हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन एतराजात करते जाते हैं । उनको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है । वह इंडियन फारेस्ट सर्विस के अफसर थे । वह इंडियन फारेस्ट सर्विस खत्म हो गयी । सवाल यह उठा कि अब जो इंडियन फारेस्ट सर्विस के अफसर थे वे किस रूल से गवर्न होंगे । सेंट्रल गवर्नमेंट की यह रूलिंग हुई कि चूंकि वह स्टेट में आ गये हैं इसलिये स्टेट में जो रूल होगा उससे गवर्न होंगे । अब जाहिर बात है कि यहां ५८ साल पर रिटायर होने का रूल है और वह उन पर भी अप्लाई करेगा । यह खुली हुई बात है । यहां जितने अफसर हैं वे ५८ साल के रूल से गवर्न होंगे । जनवरी में उनका टर्म एक्सपायर हुआ, लेकिन इस नये रूल की बिना पर वह ५८ साल की उम्र तक रहेंगे ।

और बहुत से एतराजात का भी इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है । मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की तमाम गलत बातें जो यहां कही जाती हैं उनको और हमारे माननीय सदस्य, अपनी तकरीरों को ही, साल दो साल बाद पढ़ें तो, चूंकि यह लफ्ज ब लफ्ज लिखी जाती हैं, उनको मालूम होगा और हैरानी होगी कि वे कैसी गलत बातें पता नहीं किस माहौल में कहते रहे थे ।

गवर्नमेंट की पालिसी पर बहुत से एतराजात हुए । क्या साहब, कि आपने स्टार पेपर मिल को टिवस्टेड चीड़ क्यों दे दी। पूरे तौर से इस हाउस में इस बात का जवाब दिया जा चुका है । यह कहा जा चुका है कि यह लड़की जो उनको दी जाती थी, यह सैकड़ों मन के करीब वहां जला दी जाया करती थी और वह किसी मतलब में नहीं आती थी। हम जब जंगल नीलाम किया करते थे तो उसको वहीं छोड़ दिया करते थे। हमने उस लकड़ी को उनके हाथ बेचा और जो सन् १९५५ का कान्ट्रैक्ट है उसके अनुसार हमने उनको लकड़ी दी। अब उसके बाद कोई कान्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ।

जहां तक फैक्ट्री का सवाल है, इस पर करीब ३ करोड़ रुपये तो उन्होंने अपना लगा दिया है और १ करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट लगा चुकी है। तो यह जाहिर है कि फैक्ट्री वहां पर लगी हुई है। यह जरूर है कि बिजली वहां पर नहीं मिल पायी है। अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि किन-किन शर्तों पर लकड़ी दी जायेगी। इस वजह से वहां काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

इस सिलसिले में एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो लकड़ी हमने दी है वह बहुत नामिनल प्राइस पर दी है। क्योंकि वह लकड़ी वह है जिसे हम जला दिया करते थे और हमारे मतलब की नहीं थी। किन्तु फिर भी यह लकड़ी साढ़े चार रुपये के करीब उनको

[श्री सैयद अज़ीज़ जहीर]

पड़ती है क्योंकि वे उसको कभी ट्रक से लाते हैं, कभी और किसी तरह से लाते हैं जिसके कारण काफी खर्चा पड़ जाता है।

अब कत्थे की फैक्ट्री के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया और उस पर बड़ा एतराज किया गया। उनका कई बार जवाब दिया जा चुका है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि यह जो आई० टी० पी० फैक्ट्री है यह करीब ४० वर्ष पहले कायम हुई थी। उस समय १२ आने के करीब दरख्त बिक रहा था। उस वक्त जब ठेका दिया गया तो ३ रुपये के हिसाब से उनको दिया गया। फिर वह और बढ़ता गया। अब उसका भाव ११४ रुपये तक हो गया। तो वह ठेका सन् १९५३ में रिन्यू हुआ था। अब वह ठेका खत्म हो गया है।

एक बात इसी सिलसिले में यह और कह देना चाहता हूं कि दो फैक्ट्री कायम हुई हैं—एक तो हल्द्वानी में और एक नजीबाबाद में। इनके लिये गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जो मारकेट प्राइस होगी उस पर ही इनको लकड़ी दी जाया करेगी। सन् १९६० में जब यह कान्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो यह फैसला हो गया कि यह फैक्ट्री बाजार में जो भी दाम हों उस हिसाब से खरीदे। इसलिये कोई भी इस सिलसिले में इल्जाम लगाना कोई कविता करना है।

माननीय नागर जी ने अपनी कविता में कह डाला कि जंगल के जंगल कटते चले जा रहे हैं। यह बातें सही नहीं हैं। बगैर सोचे समझे बात कही जाती है।

यह भी एतराज किया गया कि उनको लीसा सस्ते दाम पर दिया जाता है। यह सही है कि उनको लीसा सस्ते दामों पर दिया जाता है। बात यह है कि उनसे जो ठेका हुआ था उसके अनुसार ही हम उनको लीसा देते चले आ रहे हैं। यह ठेका सन् १९६२ में खत्म हो रहा है। यह कीमत १८ वर्ष पहले तय हुई थी। अब हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस मुआहिदे के बाद लीसे की कीमत फिर से रिवाइज की जाये।

कुमायूं फारेस्ट ऐक्ट की बातों का कुछ हवाला दिया गया। हमारे माननीय सदस्य, समझ में नहीं आता कि इतने बेताब क्यों हैं। अभी रिपोर्ट छप कर आ गयी है लेकिन जाहिर है कि असली काम जो होता है, जब गवर्नमेंट कमेटी मुकर्रर करती है तो उसकी रिपोर्ट आती है तो जो वाकयात हैं, जो वह कमेटी आथारिटेटिव तरीके से स्टेटमेंट करती हैं कि क्या ऐक्शन लिया जाना चाहिये, उस पर गवर्नमेंट गौर करती है। तो सवा सौ के करीब उस कमेटी के मुख्तलिफ रिकमेंडेशन्स हैं और हमें तय करना है कि कौन से हमें इम्पलीमेंट करने हैं, कौन से नहीं, इसमें वक्त लगेगा। जैसे ही हम कुछ फैसला करेंगे उसका एलान होगा और आपको भी उसकी खबर होगी। तो ये ऐसी चीजें थीं जिनका ताल्लुक इस बिल से नहीं था।

अब जो एतराज इस बिल पर किये गये हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहले यह कहा गया कि प्रोटेक्टेड फारेस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यह जबरदस्ती की है। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी यह तजवीज की है कि टेहरी के जंगल भी उसी तरह से पंचायत के हवाले कर दिये जायं। अब जाहिर है कि पुराने ऐक्ट के २८वें सेक्शन में यह था कि—

"The State Government may assign to any village community the rights of Government to or over any land which has been constituted a reserved forest, and may cancel such assignment. All forests so assigned shall be called village forests."

अब रिजर्व फारेस्ट करते तो उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां आयद हो जातीं जो मुनासिब नहीं होता। तो हमने इस सेक्शन को अमेंड करके यह तरमीम रख दी है कि जो महज प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर होगा कि यह गवर्नमेंट की प्रापर्टी है तो प्रापर्टी तो राज्य की हो जाय लेकिन इंतजाम में पंचायतों के रहे और जहां पर ये जंगल होते हैं वहां के गांव वाले ही फायदा उठाते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या एतराज हो सकता है?

दूसरी दफा जो इसके बाद है जिसके ऊपर बड़ा एतराज है, वह फारेस्ट की डेफिनीशन है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने काफी बढ़ाया है, लेकिन मैं यह कैटेगारिकल आपको यकीन दिलाता हूं और यह एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा कोई मंशा इस डेफिनीशन को वाइड करने से यह नहीं है कि हम किसी के ग्रोव को या प्राइवेट प्रापर्टी को टच करें, उसके ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करें या उसके इन्तजाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। यह तो महज इसलिये किया गया है कि आइंदा इस किस्म के एतराजात कि यह तो जंगल नहीं है, यह तो हमारा बाग लगा हुआ है, या यहां से जंगल तो काट दिया गया खाली ठूंठ ही खड़े रह गये, इस किस्म के एतराजात न आवें। हमारा मंशा सिर्फ उस हिस्से को लेना है जो कि जंगल था और जैसा कि मैंने बताया कि २,१०,००० एकड़ के करीब उसकी तादाद है जो कि गजट में जंगल है और जिसको जमींदार जंगल समझता था और जो कि बहैसियत जंगल के इस्तेमाल होते रहते थे। जहां तक हम उसको डेवलप कर सकते हैं या स्टेट का कोई फायदा है उसको हम लेंगे और उसी के लिये इसमें एलोबोरेट किया गया है। जब गवर्नमेंट फैसला करेगी कि नेशनल इंटरेस्ट में जंगल मेनटेन करना है तब हम उसको अपने हाथ में लेंगे, उसको डेवलप करेंगे।

यह एतराज किया गया कि आप डेवलप करें और उसके बाद फिर हवाले कर दें १५ वर्ष के बाद जमींदार को, इसके लिये मैं तवज्जह दिलाऊंगा कि जो सेक्शन है उसमें यह खुद लिखा हुआ है कि—

"The State Government shall in respect of a forest, or forest land, for which a notification under section 38-H has been issued, place the forest, or forest land, as the case may be, with effect from the date of the notification, in the charge of a Forest Officer, for carrying out the purposes mentioned in the notification....."

आगे और है—

".....be liable and pay to the claimant or the owner or the tenure-holder of the forest, or forest land, as the case may be, the balance of the income, if any, accruing to it therefrom, for the period commencing from the date of notification till the date it is released under section 38-L after deducting therefrom such percentage of it, not exceeding twenty, as may be prescribed, for cost of management and the amount, if any, spent by the State Government on its development."

उसके डेवलपमेंट का जो खर्चा है वह उसी फारेस्ट से आयेगा लिहाजा वापिस कर देने में गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा और न गवर्नमेंट अपने पास से कोई ज्यादा खर्चा करना चाहती है। बहरहाल जहां तक डेफनीशन का ताल्लुक है किसी किस्म का किसी और दफा पर कोई एतराज नहीं किया गया है।

सेक्शन ६८ पर काफी एतराज किया गया। उसके मुताल्लिक यह कहा गया कि ५० रुपये से बढ़ाकर ५०० रुपये किया जा रहा है। माननीय सदस्य अगर जरा सा सेक्शन को पढ़ते कि किस चीज को बढ़ा रहे हैं, पूरा सेक्शन इसमें कोटेड है, तो इससे मालूम हो जाता कि जो असल चीज है वह यह है :

"A Forest Officer shall not be empowered under this section unless he is a Forest Officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees, and the sum of money accepted as compensation under clause (*a*) of section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees."

इसमें कम्पाउंडिंग की पावर है। इस रैंक का आफिसर जब चाहे ५० रुपये तक कम्पाउन्ड कर सकता है, यह मौजूदा ऐक्ट में है, अब उसको बढ़ाकर ५०० कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से केसेज अदालत में जाने से बच जायंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी का भाषण सवा बजे तक जारी रहता है तो फिर सवा दो बजे तक वोटिंग नहीं हो सकेगी और हाउस एडजर्न कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कहा था कि एक बजे से दो बजे के बीच में वोटिंग नहीं हो सकेगी इसलिये हाउस एडजर्न हो जायगा।

श्री सैयद अली जहीर---तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि जुर्माने की रकम नहीं बढ़ रही है बल्कि कम्पाउन्ड होने की रकम बढ़ रही है। इससे बहुत से मुकदमे जो बिला वजह अदालत में जाते हैं उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सीधी सादी तरमीम है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये इसको प्रवर समिति में रेफर किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आपकी आज्ञा से अगर माननीय मंत्री जी जहमत गवारा करें तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं स्पष्टीकरण के तौर पर। माननीय मंत्री जी ने चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट के बारे में कहा था कि उनकी सर्विस प्राविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स द्वारा संचालित होती है. मैं जानना चाहता हूं कि आई० एफ० एस० के कितने आफिसर हैं जिन पर यह रूल्स लागू किये गये हैं और वह किस तारीख से लागू किये गये हैं और तीसरी बात यह कि उनको जो तनख्वाह मिलेगी वह प्राविंशियल कैडर में होगी, २,००० रु ये तक मैक्सिमम होगा या वह आई० एफ० एस० के मुताबिक ज्यादा तनख्वाह ड्रा करेंगे व करते हैं, इस पर प्रकाश डालने का वे कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय मन्त्री जी अगर उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री सैयद अली जहीर---सवाल यह है कि वह थे तो इंडियन फारेस्ट सर्विस के लेकिन वह सर्विस एबालिश हो गई हालांकि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का कैडर आज भी चला आ रहा है। फिर सवाल यह उठा कि यह किस सर्विस रूल्स के मातहत गवर्न होंगे तो अब वह हमारे यहां आ गये हैं बकीया जो सर्विस कन्डीशन्स थीं वह अब भी बदस्तूर बाकी रहेंगी।

श्री अधिष्ठाता---अब हम उठते हैं, और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता---मैं श्री प्रताप सिंह का संशोधन उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [The Indian Forest (U. P. Amendment) Bill, 1960] एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और इसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री प्रतापसिंह---कल मान्यवर, आपने देखा होगा कि बहुत से मेम्बरान ने हमारा समर्थन किया इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि लाबी में लिखित वोटिंग इसका कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता---इस पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अधिष्ठाता महोदय, सवा दो बजे तक तो वोटिंग हो नहीं सकता ?

श्री अधिष्ठाता—दो बजे के बाद हो सकता है।

(घंटी बन्द होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [The Indian Forest (U. P. Amendment) Bill, 1960] एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और इसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्री प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैंने लाबी की दरख्वास्त की थी।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२२,

विपक्ष में—५८।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०[The Indian Forest (U. P. Amendment) Bill, 1960.] जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो एक पखवारे के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट दे तथा जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [The Indian Forest (U. P. Amendment) Bill 1960.] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा २—उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा २८ की २८ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में—

(१) शब्द "forest" तथा कामा के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय:

"or declared a protected forest or is a forest belonging to the Government".

(२) अन्त में आने वाले फुलस्टाप के स्थान पर एक कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द तथा फुल स्टाप बढ़ा दिये जायं :

"and, subject to the rules made under sub-section (2), all the provisions of this Act relating to reserved forest, protected forest or forests belonging to the Government, shall, as the case may be, apply to them."

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द "Government" के बाद शब्द "Other than the *banep*, Kaiser-e-Hind land or land included in forest panchayat in Kumaun and Uttarakhand Division" रख दिये जायं । मुझे तो लगता है कि इस लम्बी परिभाषा के स्थान पर सरकार सीधे आगे कहीं परिभाषा रख दे तो सारा मामला तय हो जाय। इसमें गवर्नमेंट forest or declared forest by the Government in the offical *Gazette* इतना और परिभाषा में जोड़ना चाहती है । तो इसमें हमें एक दिक्कत यह महसूस होती है कि कुमायूं ऐंड नयाबाद वेस्टलैंड ऐक्ट सन् १९४८ से लागू है उसमें ऐसे फारेस्ट्स हैं जिनको कैसरे हिन्द कहा जाता है तो वह फारेस्ट्स फार आल इंटेंटस ऐंड परपजेज "forest for all intents and purposes" उसी तरीके से गवर्न होते हैं जैसे कि और लेकिन उसके इंतजाम में एक और विशेषता है । वहां के जो कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स होते हैं वह कलेक्टर होता है जो एक रेवेन्यू का आफिशियल हुआ करता है ।

श्री अधिष्ठाता—आपने इस संशोधन में जो "benop" लिखा है उसका क्या मतलब है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह "benop" नहीं है बल्कि "beenap" है, जिसका मतलब है अनमेजर्ड लैंड । वहां पर जो जमीन है वह मेजर्ड लैंड नहीं है । उसके लिये एक विशेष ऐक्ट बनाया गया है । उसकी धाराओं के अन्दर यह दिया हुआ है कि हर एक आदमी को अपनी नाप के मुतस्सिल यानी मजरूआ जमीन के मुतस्सिल पांच नाली जो पैमाना वहां होता है उसके अनुसार बढ़ाने का अधिकार है । एक नाली होता है १/२० एकड़ यानी ३ साल में कोई भी आदमी एक्सटेंशन १/४ एकड़ कर सकता है । सन् १९४८ से पहले और ३१ के बाद यह हक १/२ एकड़ तक था । यानी ज्यों ज्यों हम बढ़ते गये यह लिमिट घटती गई । मैं जानता हूं कि मंत्री जी नहीं चाहते कि ऐसे लोगों की जमीन कब्जे में ली जाय लेकिन विधेयक इतना व्यापक रखा गया है कि वह भूमि उसके अन्दर आ सकती है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट चाहे तो स्वयं उसका कब्जा ले सकता है । माननीय मंत्री जी की मंशा नहीं हो सकती कि यह जमीन ले ली जाय और जब उनकी मंशा नहीं है तो वह क्लेरीफाई क्यों न कर दें और यह एक्सेप्शन रख दें। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि कैसरेहिन्द जमीन न हो और वह बेनाप जमीन न आये और पंचायत वाली न आये ।

श्री अधिष्ठाता—भारतीयजी । बड़ा शोर हो रहा है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हम लोग तो श्रीमन् बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने देखा कि आप बात कर रहे थे ।

श्री उग्रसेन—मैं तो बातें नहीं कर रहा था

श्री अधिष्ठाता—मैंने देखा कि आप बात कर रहे थे, आप बैठ जायं, मैं कह रहा हूं कि आप बात कर रहे थे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो वहां पर उनके जो एक्सटेंशन के हकूक हैं और नयाबाद ग्रान्ट के राइट्स हैं, घर आदि बनाने के और मुख्तलिफ प्राविजन्स हैं कि लीज पर भी डिप्टी कमिश्नर वन भूमि किसी व्यक्ति को उठा सकता है, एक मामूली दरख्वास्त देने पर वह हकूक दिये जा सकते हैं । सिर्फ सिफारिश तो मुफ्त हो सकता है । इससे पहले जब मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही उस वक्त मैं उनको रोक नहीं सकता था, मौका नहीं था । उन्होंने कहा कि यह कुमायूं का जो बिल आया है उसमें इस आदरणीय सदन के बैठने वाले कुछ ऐसी जंगल की बोली बोले कि एक ने कहा तो बाकी ने भी वही आवाज रिपीट कर दी । उनका साफ इशारा गीदड़ की बोली की तरफ था कि एक बोला तो सभी गीदड़ बोलने लगे । मंत्री जी कहा जाता है कि शायद वह शिकार खेलने जाते हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता---इस सब का संशोधन से क्या संबंध है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उस समय तो सदन उठ गया था, अब उसका जवाब तो देने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---उस का जवाब इस वक्त आप नहीं दे सकते ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उन्होंने तो सब कुछ कह लिया और हम कुछ न कहें. . . .

श्री अधिष्ठाता---उस का वही स्टेज था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उस के बाद हाउस ऐडजर्न हो गया था हम कुछ कह नहीं सके, उसके बाद अब ही मौका है ।

श्री अधिष्ठाता---मिनिस्टर की स्पीच के बाद कोई मौका नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो आधी बात तो मैं कह ही चुका हूं, आधी आप और कहने दें । ऐसा मालूम होता है कि उन्हीं जानवरों से मंत्री जी का पाला पड़ा है । हम ने एक बात शुरू की और उधर के लोगों ने हमारी बात को दोहराया । तो यह कांग्रेस की तरफ बैठने वाले हमारी बात को दोहराते हैं तो वह भी गीदड़ हुये और मंत्री जी इस प्रकार उन गीदड़ों के सरदार हुये ।

श्री अधिष्ठाता---यह गीदड़ और उनके सरदार यह सब पार्लियामेंटरी भाषा नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मंत्री जी ने जो कहा था वही बोली मैंने बोली है ।

श्री अधिष्ठाता---मैं आज्ञा देता हूं कि इस तरह की भाषा असंसदीय है और उसका सदन में प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह गीदड़ और उनकी बोली की बात असंसदीय है ?

श्री अधिष्ठाता---जी हां, बिलकुल अनपार्लियामेंटरी है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---तो फिर श्रीमन्, जो शब्द पहले मंत्री जी द्वारा कहे गये हैं वे भी नहीं होने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो मंत्री जी तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन जब इधर से उनका प्रयोग होता है तो वे असंसदीय बताये जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---अगर इस चीज को उसी वक्त प्वाइंट आउट किया जाता तो रोका जा सकता था ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या उनको छूट है कि वह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर लें और हम न करें ?

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, कोई छूट उनको या किसी को नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जाने दीजिये, अगर वह अनपार्लियामेंटरी भाषा है तो मैं पार्लियामटरी भाषा में ही कहे देता हूं । मैं इस तरह से कह देता हूं कि इधर से एक बोली बोली गई और मंत्री जी के पीछे बैठने वाले भी वही बोली बोलने लग गये तो मंत्री जी तो उन बोली

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

बोलने वालों के सरदार हैं । वैसे नहीं तो चाहे अलंकार में कहे देता हूं, अनुप्रास कहिये या श्लेष कहिये ।

अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि हमारे यहां भी जो बेनाप और कंसरेहिन्द जमीन है या पंचायत की जमीन है वह न ली जाय । इस चीज की सफाई हो जानी चाहिये ताकि लोग दुविधा में न पड़ें ।

*श्री प्रतापसिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय विष्ट जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आशा है कि जो तर्क मैं दूंगा उन को सुनकर माननीय मंत्री जी गुस्सा न हों और संजीदगी से उस पर विचार करें । इस ऐक्ट की धारा को देखें जिस में कि नई धारा जोड़ी है, इस में है कि शब्द "forest" तथा कामा के बीच में निम्न-लिखित रख दिया जाय :--

"or declared a protected forest or is a forest belonging to the Government."

धारा ३ में जहां परिभाषा दी गई है इसका सम्बन्ध उससे है । इसलिये है कि फारेस्ट की परिभाषा चूंकि धारा ३ में दी है इसलिये वह इससे रिलेटेड है । मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ना चाहता हूं ।

"3 (*b*) 'Forest' means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes, or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate, streamflow, protection of land from erosion, or other such matters, and shall include—

(i) land covered with stumps of trees of a forest ;

(ii) land which is part of a forest or lies within it or was part of a forest or was lying within a forest on the first day of July, 1952;"

यानी वह तमाम जमीन जो मनुष्य द्वारा या प्रकृति द्वारा बनी है वह सारी फारेस्ट मानी जायेगी । अगर ऐसा किया जाता है तो पर्वतीय इलाके में जहां सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वहां नयाबाद के मुताबिक पंचसाला होता है और जो खेत बढ़ जाते हैं उनको पंचसाला में भर दिया जाता है ताकि जिसके पास जमीन कम है वह अपनी जीविकोपार्जन कर सके तथा देश के खाद्योत्पादन में सहयोग दे सके । अगर इस अमेंडमेंट को जैसा मंत्री जी ने रखा है उसी रूप में रखा जाय तो बेनाप जमीन जिसको लोग पंचसाला में भरवा लेते हैं वह नहीं कर पायेंगे ।

फारेस्ट पंचायतों के बारे में माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी ने विस्तार पूर्वक नहीं बताया है, मैं बता दूं । सारे कुमायूं में फारेस्ट पंचायतों के प्रोड्यस को बेचने के बाद और उसमें से ५० फीसदी सरकार को देने के बाद शेष धन से वहां का डेवलपमेंट किया जाता है, चाहे स्कूल हों, सड़कें हों, पानी पीने का प्रबन्ध हो । अगर इस संशोधन को इसी रूप में माना जायगा तो फारेस्ट पंचायतों का विकास नहीं होगा । वैसे तो कहा जाता है कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में जंगलों का अधिक से अधिक इंतजाम जनता के हाथ में आना चाहिये । आज फारेस्ट पंचायत के द्वारा कुछ इंतजाम जनता के हाथ में है । जिस प्रकार का खंड २ है उससे तो सारे जंगल सरकार के जंगल होंगे जिसका स्पष्ट अर्थ है कि फारेस्ट पंचायतों में सरकार का दखल होगा । मुझसे पूछा जा सकता है कि ऐसा अंदाज कैसे लगाया । इसी में एक संशोधन है स्वयं जंगल को पहले प्रोटेक्टेड फारेस्ट बनाया जायगा । जिन जंगलों को आप पंचायती जंगल बनाना चाहते हैं तीसरे में उनको पहले प्रोटेक्टेड फारेस्ट बनाने जा रहे हैं । तो कैसे मानी जाय यह परिभाषा । कल को सारे पंचायती फारेस्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार के माने जायेंगे और हम उसके रुपये से अपना विकास नहीं कर सकेंगे। आज ७५ फीसदी सारे काम पर्वतों में उसी से हुये हैं ।

जब उत्तराखंड की हर चीज में विशेषता है और वहां के हर मामले के इनचार्ज मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव हैं, तो अगर फारेस्ट की यही परिभाषा होगी तो उत्तराखंड की योजनायें खटाई में पड़ जायंगी । इससे बार्डर की जनता में असंतोष फैल सकता है । क्या जरूरत थी कि फारेस्ट की परिभाषा बढ़ाई जाय ? केवल लखनऊ में मंत्रियों और सदस्यों के घरों को छोड़ कर जितने क्षेत्र जंगल के नजदीक पड़ेंगे वे सब फारेस्ट गिने जायेंगे । इतनी व्यापक परिभाषा ठीक नहीं है । मुझे मंत्री जी की नीयत और मिजाज पर शक नहीं है, सेक्रेटेरियेट के अधिकारियों पर शक नहीं है, लेकिन जो वन विभाग के अध्यक्ष हैं उन पर शक है, इसलिये कि रोज नये नये कानून कहां से बनते हैं ? इसलिये मैं चाहता हूं मंत्री जी इस पर गौर करें । उत्तराखंड को तो खास तौर से ऐगजेम्प्ट करना चाहिये ।

आपको मालूम है भोटियों का व्यापार बन्द हो गया है । अब भूमिहीनों और भोटियों को कहां बसाया जायगा ? अगर उत्तराखंड के लिये यह एग्जेम्प्शन नहीं किया जाता है तो भोटियों को बसाने का कोई इन्तजाम नहीं होगा । उनकी जो आवाज आज मंत्री जी अपने बंगले में सुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जमीन पर विचार किया जायगा, कहां विचार किया जायगा? सारी जमीन को आप जंगल घोषित कर देंगे और जब विभाग से पूछियेगा तो वह कहेगा कि कोई जमीन नहीं है । इस विधेयक के पास करने के बाद जो आज भी ५० फीसदी असन्तोष वहां के लोगों में व्याप्त है वह कल को १०० फीसदी हो सकता है और कम से कम ऐसे अवसर पर जब कि विदेशी सेनायें हमारी सीमा पर हैं हमें इस असन्तोष को दूर करना चाहिये । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे ।

*श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को मन्जूर नहीं कर सकता । यह सवाल बिलकुल अलग है कि पंचायत के क्या अधिकार हों, लेकिन जिस गरज से हम इसको प्रोटेक्टेड फारेस्ट बना रहे हैं वह हमारे आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में साफ तौर से लिख दिया गया है । हम इस दफा में जो ये अल्फाज बढ़ा रहे हैं कि गवनमेंट इन्हें प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर कर सकती है वह इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि रिजर्व फारेस्ट में हम पंचायत बना सकते हैं लेकिन प्रोटेक्टेड फारेस्ट में नहीं बना सकते हैं । इसमें लिखा है :—

"The State Government may assign to any village community the rights of Government to or over any land which has been constituted a reserved forest, and may cancel such assignment."

श्री अधिष्ठाता—इसका अनुवाद कर दें ।

श्री सैयद अली जहीर—मूल ऐक्ट अंग्रेजी में ही है लेकिन इसका मतलब यह है कि जो रिजर्व फारेस्ट है गवर्नमेंट उसके बारे में अपने हकूक किसी विलेज कम्युनिटी को मुन्तकिल कर सकती है । तो रिजर्व फारेस्ट में तो हम कर सकते हैं लेकिन दूसरे फारेस्ट्स में चाहे वह हमारे ही क्यों न हों नहीं कर सकते हैं । इसलिये हम यह पावर ले रहे हैं कि प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स में भी हम विलेज कम्युनिटी बना सकें । यह तरीका कैसरे हिन्द और दूसरी जमीनों में पहले से ही चल रहा है, इस तरह के जो जंगल हैं वे पंचायतों के मातहत हैं और वही उन्हें चलाती हैं । हमारी नीति यह है कि इसी किस्म का इन्तजाम हम टेहरी में भी करें । इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को अपोज करता हूं ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड २ के उद्देश्य और कारणों पर जो प्रकाश डाला है और इसके सम्बन्ध में उन्होंने जो कठिनाई बतलाई है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं कि टेहरी-गढ़वाल की इस मांग की ओर उनका ध्यान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

गया और फारेस्ट पंचायत बनाने की उनकी मंगा है। लेकिन दिक्कत उन्होंने यह बतलाई कि बिना दफा २८ को तरमीम किये हुये फारेस्ट पंचायत बनाने में दिक्कत आयेगी। मेरा निवेदन है कि बिना यह किये हुये भी फारेस्ट पंचायत बन सकती है इसलिये कि कुमायूं के बाकी जिलों में जो फारेस्ट पंचायतें इस वक्त मौजूद हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि उनको इस तरह के कानून के अन्दर लाया जाय। क्योंकि फारेस्ट पंचायत रूल्स जो बने हैं पेज २९७ पर उनका तजकिरा है और जिस कानून के मातहत ये रूल्स बने हैं वह सेक्शन ६ आफ दि शेडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, १८७४ के मुताबिक बने हैं, टु रेगुलेट दि मैनेजमेंट आफ फारेस्ट पंचायत इन कुमायूं।

तो इस सम्बन्ध में भी कहीं पर यह जिक्र नहीं आता कि उनके लिये यह जरूरी हो कि उसको वह पहले इस प्रकार से डिक्लेयर करे जैसा कि इस धारा में अब महसूस किया जा रहा है करने का। मूल धारा इस प्रकार है :--

"The State Government may assign to any village community the rights of Government to or over any land which has been constituted a reserved forest, and may cancel such assignment. All forests so assigned shall be called village forests."

अब इसमें शब्द "Forest" तथा कामा के बीच यह और जोड़ा जा रहा है--
"or declared a protected forest or is a forest belonging to the Government."
मैं समझता हूं कि न तो इसकी जरूरत है और न श्री गोविन्द सिंह जी के अमेंडमेंट की जरूरत है, दोनों के बिना काम चल सकता है हकीकत यह है कि फारेस्ट पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा अपने गांव का तजुर्बा है। मैं एक फारेस्ट पंचायत का सरपंच कई सालों तक रहा हूं, उससे भी मैं कह सकता हूं कि फारेस्ट पंचायतें इतनी सफल हुई जितनी गवर्नमेंट की दूसरी कोई स्कीम शायद ही सफल हुई हो. . . . . .

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया संशोधन पर आ जायं।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--मैं उसी पर आ रहा हूं। इसके उद्देश्य और कारणों को..

श्री अधिष्ठाता--उद्देश्य और कारणों का सवाल नहीं है। जो माननीय विष्ट जी ने संशोधन पेश किया है उसके लिये आप कोई तर्क भी दे रहे हैं? यह तो आप पंचायतों की बात बता रहे हैं।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--यह पंचायतें कायम करने के लिये ही संशोधन है।

श्री अधिष्ठाता--मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। अगर आप संशोधन के पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं नहीं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सिर्फ इतना कहने जा रहा हूं कि फारेस्ट पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह ठीक है कि उन के रास्ते में जो दिक्कतें आयें वह दूर की जायं। मेरा कहना यह है कि बिना इस अमेंडमेंट को लाये हुये काम चल सकता है। इस से मुझे शंका होती है कि पंचायतें जो जंगल को उगाने में, उनकी रक्षा करने में सहायक रही हैं उससे भी वे महरूम हो जायंगी क्योंकि वही कायदे कानून जो अभी तक सरकारी जंगलों पर लागू होते थे उन्हीं से यह भी गवर्न होंगी। जिस उद्देश्य से यह धारा संशोधित की जा रही है उस उद्देश्य पर ही इसका उल्टा असर पड़ सकता है।

तो मेरा श्रीमन्, गवर्नमेंट से यह आग्रह है कि इसके बिना भी काम चल सकता है और चलता है। बिना कानून में संशोधन किये हुये भी काम चल सकता है। जहां पंचायतें काम कर रही हैं. . . . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय प्रताप सिंह जी, सदन में अखबार न पढ़ें।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, लेबर का बिल आने वाला है और उस पर मुझे संशोधन प्रस्तुत करना है । इसलिये मैं लेबर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---श्रीमन्, मेरे गांव की जो फारेस्ट पंचायत है .....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया फारेस्ट पंचायत के बारे में बात न करें ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---श्रीमन्, बात यह है कि इसका संबंध पंचायतों से.....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठ जायं । आपने काफी कह दिया ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, कल मैंने आप के द्वारा वित्त तथा वन मन्त्री जी से कुछ अर्ज किया था । उसी के बारे में मैं फिर उनकी याददिहानी कराना चाहता हूं । मालूम नहीं मैं कहां तक कामयाब हुआ हूं । जहां तक फेशियल एक्सप्रेशन, शक्ल से इजहार होने का ताल्लुक है उसमें बहुत फर्क नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता---संशोधन पर ही बोलें ।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, संशोधन के विषय में ही अर्ज कर रहा हूं । जो संशोधन माननीय सदस्य अल्मोड़ा ने रखा है उसी की ताईद में या समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुमायूं नयाबाद वेस्टलैंड ऐक्ट, १९४८ की ओर दिलाना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से दो शब्द पढ़ना चाहता हूं । श्रीमन्, यह अंग्रेजी में है । इसका मैं तर्जुमा कर दूंगा । इसके चैप्टर २ में इस प्रकार लिखा है कि—

"The breaking up of wasteland by cultivation can be—
(1) by extension, or
(2) by Nayabad Grant,"

अर्थात वहां के अवाम और जनता को यह अधिकार होगा कि जो उनकी अपनी होल्डिंग या जमीन है उसको बढ़ाने की गरज से करीब की जमीन को तोड़ सकें, अपने में शामिल कर सकें और इस तरह से अपनी खेती को बढ़ा सकें ।

इसके अतिरिक्त इस कार्य में सुविधा देने के लिये सरकार ने एक प्राविजो कायदा भी कर रखा है, कि वह नयाबाद ग्रान्ट प्राप्त कर सकता है । एक तरफ तो आप हुब्बुक वतनी और देश प्रेम को दिखाने के लिये इतने उदार हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो बात छापी है उसको वापस लेना चाहते हैं । और वह भी गुप्त रूप से । आज के दिन यदि यह बिल पास हुआ, और आपकी तादाद को देखते हुये यह जरूर पास होगा, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ? वह यह होगा कि जिस चीज के लिये आपने १९४८ का ऐक्ट बनाया है उसी के परपज या मकसद के खिलाफ यह काम करेंगे, उसके ध्येय और लक्ष्य के विरुद्ध यह काम करेंगे ।

जिन तरमीमों के लिये आप सोच रहे हैं और जिनके लिये यह बिल लाया गया है अगर यह पास हुआ तो उस किस्म के फवायद जो कि सरकार देना चाहती है, जिसके लिये उन्होंने कहा है कि यह सुविधायें प्राप्त होंगी, वह सब बन्द हो जायेंगी । पर्वतीय क्षेत्र में, एक बड़ा चक नहीं हो सकता । छोटे-छोटे जीनों के तरीके पर खेत बनाये जाते हैं, जो एक-एक पत्थर जोड़ करके सुरक्षित किया जाता है और फिर उसको बड़े यत्न से जोता जाता है । इस वास्ते यह सुविधा उनको दी गई थी इस ऐक्ट के अनुसार, १९४८ में जिसको उन्होंने कुमायूं नयाबाद ऐक्ट के नाम से घोषित किया । वह केवल इस वास्ते कि वहां के काश्तकार को यह मजाज हासिल हो कि वह अपनी मौजूदा हालत को बेहतर करने के लिये अपनी होल्डिंग का विकास इस प्रकार से कर सके कि उसमें कुछ और जमीन खोद कर या जोत कर या साफ करके शामिल करे और उसके बाद के सालों से उसपर लगान देना शुरू कर दे । तो आप यह मुलाहिजा करें कि जो बिल आप के मित्र लाये हैं, इसके द्वारा वही सुविधाएं कैसे प्राप्त होंगी ? तो यदि मैं कहता हूं कि इनके देश प्रेम में सन्देह है तो किस जगह गलत कहता हूं ।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

दूसरी बात, इनको खुद यह नहीं मालूम कि कितनी जमीन किस जगह ऐसी है जो कि जंगल के रूप में परिवर्तित कर सकें या कितनी जमीन ऐसी है जिसकी शक्ल तब्दील करके मन्त्री जी के कहने के अनुसार राष्ट्र के फायदे के लिये इस्तेमाल की जा सकती हो। उदाहरण के लिये मैं यह बात और अर्ज करूं.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सुरथबहादुरशाह, आप संशोधन से कुछ दूर चले जा रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---मुझे क्षमा करें। आप देखें कि माननीय गोविन्दसिंह का संशोधन यह है कि शब्द "Government" के बाद "Other than the *benap*, Kaiser-e-Hind land or land included in forest panchayat in Kumaun and Uttarakhand Division." रख दिये जायं।

कुमायूं और उत्तराखन्ड डिवीजन में नयाबाद ऐक्ट के मुताल्लिक अर्ज कर रहा हूं। यह सम्भव है कि मैं उतना समझा नहीं पाऊं क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित है और दूसरे, मेरे पीछे इतने कहने वाले नहीं हैं कि जो कुछ मैं कहूं जा या बेजा वह सब ठीक हो जावे।

श्री अधिष्ठाता---आप अपनी जगह भी छोड़ कर दूसरी जगह चले गये हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---लेकिन मैं हूं उनके सामने ही। उधर नहीं गया हूं।

तो मैं श्रीमन्, अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कितनी जमीन है और कितनी जमीन कनवर्ट कर सकते हैं प्राफिटेबिल purposes के लिये। इसलिये मैंने उदाहरण देना चाहा था जिससे यह जाहिर होगा कि इनके यहां के आंकड़े और उनके यहां के तरीके जिसके ऊपर यह अपनी बातों को मुनहसिर करते हैं वह कितने गलत होते हैं? एक ग्राम पंचायत है मांझा के नाम से जिला खीरी परगना खैरीगढ़ में। उस के पास पांच सौ कुछ एकड़ भूमि है और उनसे तलब किया जाता है ७७२ एकड़ भूमि जंगलात बनाने के लिये। तो यह तो इनकी इन्फारमेशन और यह इनकी सूचना है और यह इनके आंकड़े हैं। यह एक वाकया है। कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं हैं। तो जब यह इनके आंकड़े इन मोहमल बातों के ऊपर मुनहसिर हैं और ऐसी सूचनाओं पर आधारित हैं तो इनके इस बिल का परिणाम क्या हो सकता है। यह आप स्वयं ही इसका अनुभव कर सकते हैं। इसी वजह से मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय हमारे अल्मोड़े के माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन रखा गया है उसको मानने की कृपा करें उसको कबूल फरमावें, इस नजरिये से नहीं कि कोई इनायत करेंगे बल्कि इस नजरिये से कि वह वाकई वहां के अवाम और जनता के हित में होगा, उनके फायदे में है और अगर वह अपने मन्त्रीगणों के साथ दुबारा उस पर सलाह करें अगर उनसे पूछने की तकलीफ गवारा करें, तो वह इस बात पर आवेंगे और यह निश्चित बात होगी कि यह जो मासूम संशोधन है इसको मान लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी अल्मोड़ा के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट के संशोधन का समर्थन करते हुये यह अर्ज करना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का धीरे-धीरे प्रलोभन कुछ बढ़ता जा रहा है। और फारेस्ट के भीतर की जमीन तथा उनके जानवरों पर तो उनका पूरा कब्जा है ही लेकिन फारेस्ट से लगी हुई जमीन दो मील, चार मील की जितनी भी है जो कि कैसरे हिन्द के नाम से है या ग्राम पंचायतों की है, या ग्राम पंचायतों के फारेस्ट हैं या जो बिला तस्फिया जमीन है जिसको कि बेनाप की जमीन कहते हैं, उन सब जमीनों पर ठीक उसी तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

से इनका प्रलोभन बढ़ता जा रहा है जिस प्रकार से चीन का प्रलोभन हमारी सरहद के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि यह कोई एक दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरी दुनिया है, दूसरी हुकूमत है, इनका यहां की जनता से कोई वास्ता ही नहीं, कोई तकलीफ में है या आराम में है इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन की पुष्टि करता हूं कि जिस तरह से इनको अपनी सरकार चलाने के लिये यह जरूरी है कि फारेस्ट की हिफाजत करें और उसकी आमदनी से अपनी सरकार चलायें उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को भी यह जरूरी है कि उसका भी कोई आमदनी का जरिया होना चाहिये। वह गांव जो जंगलों के किनारे बसे हुये हैं, जिनके कोई जंगल हैं, चार दरख्त हैं, तो उनकी रक्षा करने का उनको भी हक है। क्यों माननीय मन्त्री जी उन ग्राम पंचायतों के जंगलों को हड़पने की अभिलाषा रखते हैं, क्यों उनकी वक्र दृष्टि उन पर है? इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप को अपने वनों की रक्षा का प्रलोभन है उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के मन्त्री आप होते या न्याय मन्त्री आप होते तो आप को भी थोड़ी कलक होती, लेकिन वह तो आपके पास है नहीं। फिर भी मैं आप से कहता हूं कि विचित्रनारायण जी से आप पूछते कि ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति आप लेना चाहते हैं? उनकी क्या राय है, तो मेरा यह खयाल है कि शर्मा जी कभी इसके लिये तैयार न होते....

श्री अधिष्ठाता—माननीय नागर जी, आपको मालूम होना चाहिये कि यह बिल यहां कैबिनेट से पास होकर ही आया होगा और शर्मा जी भी वहां बैठते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—कैबिनेट में जब पास होता है तो हम लोग तो उसके दरवाजे के पास से भी नहीं गुजर सकते। हम लोग क्या जाने कैबिनेट में क्या होता है, नागर जी को क्या पता।

इस प्रकार के प्रश्न यहां हाउस में पूछ लेंगे तो यह कह देंगे कि इसको जनहित में बताना ठीक नहीं है। जब हमको बताया नहीं जायगा तो हम नहीं जान पायेंगे। तो हमको क्या मालूम कि क्या वहां पर तय हुआ। अगर मैं विचित्र नारायण जी की जगह बैठा होता तो मैं हरगिज इसको स्वीकार नहीं करता चाहे मुझको ट्रेजरी बेन्चेज से निकाल ही दिया जाता, अगर इस प्रकार का कानून लाया जाता कि ग्राम-पंचायत की जमीन या पेड़ वन विभाग में आ जायें तो मैं कभी इसके लिये तैयार नहीं होता.....

श्री सैयद अली जहीर—उनकी सम्पत्ति फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में कहां ली जा रही है? हम तो उन पंचायतों को यह दे रहे हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि उनका माल छीनना चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता जी, देहात में एक कहावत है वह आपके यहां भी होगी कि "माल ताल सब तुम्हारा मगर डेहरिया के हाथ मत लगाना", मंत्री जी कहते हैं कि यह सब वृक्ष और जमीन तुम्हारी है लेकिन जब वह माल तैयार होगा तो तुम्हारा नहीं। उसको मत हाथ लगाना। वह उनको देना चाहते हैं इस वजह से कि जब उनको तैयार कर लिया जाय, वृक्षों को तैयार कर लिया जाय तो तैयार करके १५ वर्ष के बाद ये मालिक हो जांय।

श्री सैयद अली जहीर—यह तो वही बात है कि मारा घुटना फूटी आंख।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं इस संशोधन की पुष्टि इसलिये करता हूं कि इस संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों की जो जमीन है उसको ग्राम पंचायतों को देने के लिये इसमें कहा गया है। वह सब ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिये। ग्राम पंचायत की कोई भी जमीन हो, बिला तशफिये आराजी हो, बेनाम जमीन हो, चाहे दरख्त हों वे सब वन विभाग के सुपुर्द नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीयों सदस्य का, चाहे वे कांग्रेस बेन्चों पर बैठने वाले हों और चाहे विरोधी पक्ष के हों, अनुगृहीत हूं, कि उन्होंने मेरे संशोधन की ताईद की। तथ्य की बात तो यही है कि यदि माननीय मन्त्री जी की मन्शा यह है कि बेनाप लैन्ड न ली जाय तो वह मेरे संशोधन को मान लेने की कृपा करें। जहां तक कुमायूं का सम्बन्ध है, उसके लिये बात यह आती है कि वहां पर कुमायूं शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट था उसके अनुसार वहां पर एक व्यवस्था लागू है। अगर आप अब दूसरी व्यवस्था वहां के लिये करते हैं तो यह रिडेन्डेन्ट हो जाता है। माननीय मन्त्री जी ने जो यह हक दिया वह जमीन्दारों की जमीन थी। उससे वह हक कट गये। अब जो जमीन है उसमें यह दिक्कत पैदा होती है। उसमें जंगल काटने का सवाल आता नहीं है। उसके सिलसिले में सुरथ बहादुरशाह जी ने पढ़कर सुना दिया.....

श्री अधिष्ठाता---आपको तो उन माननीय सदस्यों का जवाब देना चाहिये जिन्होंने आपके संशोधन के सिलसिले में कुछ कहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय मन्त्री जी ने इन्टरवीन किया था इस वास्ते उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। जब वह इन्करेज नहीं करेंगे तो मेरा खयाल है कि नयाबाद ऐक्ट के मातहत जो आरजी गांव पंचायत में रहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वहां पर जंगल कट नहीं सकता। इसकी धारा ८ में यह दिया हुआ है कि :

"No grant or extension shall be made on the tops of stoop sides of hills where erosion is likely to occur on account of the removal of forest growth or on land on which Deodar, Cypress, Walnut or other protected trees stand in such manner as to make the grant or extension undesirable."

अब पहाड़ पर पाइन ट्रीज ही ज्यादा होते हैं और रूल्स में दिया हुआ है कि "नो एक्सटेंशन आर ग्रान्ट्स शैल बी मेड विदइन १०० फीट आफ दि बाउन्ड्रीज आफ रिजर्व फारेस्ट" तो इस तरीके से माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि वे कुमायूं को इस परिभाषा से बाहर ही रखें। क्योंकि वहां बिना इसके भी काम हो सकता है। वहां जो रूल्स बने हुए हैं उनसे वन पंचायतें बनायी जा सकती हैं और वह तरीके से काम कर रही हैं और बन रही हैं। तो जहां आलरेडी एक चीज है वहां उसी तरह की दूसरी चीज वह क्यों लागू करना चाहते हैं? मेरा मंशा यह है कि कुमायूं का जहां तक ताल्लुक है वहां यह विधेयक पहले से ही विद्यमान है। उससे काम चल जाता है।

दूसरी बात यह है कि मुझे यह खतरा नजर आता है कि अगर उसे आपने अपने हाथ में ले लिया तो जमींदार की जमीन तो आप १५ साल बाद उसे वापस कर देंगे और बाकी सारी जमीन इस कानून के बहाने अपने हाथ में ले लेंगे और कुमायूं की जो व्यवस्था वहां आज है, वह रह नहीं पायेगी। वहां कुछ स्पेशल राइट कुमायूं वालों में वेस्ट होते हैं। जिन्होंने वनों के किनारे की जमीन तोड़ ली है, उस पर उनके नयाबाद या सिपसिया काश्त के राइट्स हैं और वह प्रापर्टी उनमें वेस्ट हो चुकी है। तो अगर आप बिना कंपेन्शेसन के वह जमीन लेते हैं तो यह गलती हो सकती है। दूसरे जब बिना इस तरमीम के ही कुमायूं में काम चल रहा है, तो उस क्षेत्र को मैं इससे निकालना चाहता हूं ताकि वह एरिया कुमायूं नयाबाद ऐक्ट से ही गवर्न होता रहे।

***श्री सैयद अली जहीर**---अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कुमायूं का ताल्लुक है वहां तो १८९३ में प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसका कोई सवाल नहीं है। बावजूद प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर होने के वहां पंचायतें बनी हैं और काम हो रहा है और उनके मातहत कैसरेहिन्द और बेनाप जमीन शामिल है और वहां इन्तजाम हो रहा है। लेकिन चूंकि टेहरी का हिस्सा अभी उत्तर प्रदेश में मिला है और वहां जंगल का कोई इन्तजाम नहीं है, उनकी आमदनी भी हो रही है और वह अलग जमा हो रही है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास और वह उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखे हुए हैं इस खयाल से कि जब यह पंचायतें बन जायं तो उनको यह आमदनी दे दी जाय। लेकिन मुश्किल यह पड़ गयी कि वह कानून जिसके मातहत कुमायूं में पंचायतें बनीं, वह लागू नहीं है, वह खत्म हो गया। अब या तो हम पूरा कानून लाते और तब वहां पंचायतें बनाते या यह कि हमने इसी की दफा २८ में दो लफ्ज बढ़ा दिये हैं कि रिजर्व फारेस्ट में भी हम बना सकते हैं और इसके जरिये वहां भी पंचायतें बन सकती हैं। मुमकिन है कि महाराजा का जो फारेस्ट है उसे हम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर न भी करें, लेकिन अगर जरूरत हुई तो कर भी देंगे। लेकिन इस ऐक्ट के माने यह हैं कि हम यहां भी पंचायतें बना दें और पंचायतों को अधिकार दे दें कि तुम फारेस्ट का इन्तजाम करो और मुनाफा खाओ। तो मैं यह अर्ज कर दूं कि कुमायूं के लिये रूल्स बने हुए हैं। वही अधिकार हमने इस अमेंडिंग दफा में ले रखे हैं और हम उसी के अनुसार रूल्स बनायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लफ्जों के रखने से क्या फायदा होगा। इसलिये मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द "government" के बाद शब्द....

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द "Government" के बाद शब्द "Other than the *benap*, Kaiser-e-Hind land or land included in forest panchayat in Kumaun and Uttarakhand Division." रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

ऐक्ट संख्या १६, १९२ की धारा ३८–ए का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३८–ए में—

(१) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(*b*) 'Forest' means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate, streamflow, protection of land from erosion, or other such matters, and shall include—

(i) land covered with stumps of trees of a forest ;

(ii) land which is part of a forest or lies within it or was part of a forest or was lying within a forest on the first day of July, 1952;

(iii) such pasture land, waterlogged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest, as may be declared to be a forest by the State Government."

(२) खंड (बी) के पश्चात् नये खंड (सी) तथा (डी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"(*c*) 'Forest land' means a land covered by a forest or intended to be utilized as a forest ; and

(*d*) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं खंड ३ के उपखंड (१) (बी) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'Vegetation' तथा शब्द 'whether' के बीच में शब्द 'other than orchards' रख दिये जायं। श्रीमन्, इसमें शब्द 'orchards' के स्थान पर शब्द 'grove' कर लिया जाय।

श्रीमन्, एक दूसरा संशोधन भी मेरा है इसी खंड के उपखंड (१) के भाग (२) में, अगर आप इजाजत दें तो उसे भी पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता---उसे आप बाद को पेश करें।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह---मान्यवर, इस खंड में जो परिभाषायें की गयी हैं वह बहुत विस्तृत हैं और इनसे किसी भी समय कोई भी जमीन ली जा सकती है जिसमें कि बागों का भी आ जाना सम्भव है। बागों को जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा १८ में भी छोड़ दिया गया है और वह जिन व्यक्तियों के हैं वही उनके मालिक माने गये हैं तथा ११७ जेड० ए० तथा लैंड रिफार्म ऐक्ट, १९५१ में जो चीजें गांव समाज में वेस्ट की गयी हैं उनमें बाग बागदारों के रहने दिये गये हैं, लेकिन इस ऐक्ट में उन पर भी आफत आ सकती है।

आज जितने जंगल जो प्राइवेट फारेस्ट थे सरकार में निहित कर दिये गये हैं उनमें जो जनता को सुविधाएं आज प्राप्त हैं वह सब को विदित हैं। किसी किस्म की कोई रियायत जो पहले उनको हासिल थी वह अब उन्हें नहीं मिल रही है। मेरे प्रश्न के उत्तर में २५ अगस्त, १९५९ को यहां से जो जवाब मिला था वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि सरकारी जंगल के करीब की जनता को क्या रियायतें दी जाती हैं? तो उत्तर मिला था कि हर जिले के जंगलों के अधिकार अलग-अलग हैं। लेकिन जो टेहरी रेंज में हैं उनको कोई खास रियायत नहीं है, वाजिबुल अर्ज नहीं बना है, पशु चराने के लिये और लकड़ी एकत्रित करने के लिए जो सुविधा पहले प्राप्त थी वह अब नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बागों को अलग नहीं किया गया तो जो कुछ लकड़ी बागों से प्राप्त होती है, मसलन कृषि कार्य के लिए, मुर्दा जलाने के लिए या आकस्मिक दुर्घटना के लिए बागों से ले लेते हैं वह उससे वंचित हो जायंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह धारा जरूर बढ़ा दी जाय। अभी माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कहा है कि मेरा कोई मंशा नहीं है कि ग्रोव, यानी बागों को लें या जंगल में शामिल कर लें, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह छोटा-सा संशोधन है, इसको वह स्वीकार करें।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं माननीय सदस्य गोंडा ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके जितने आदेश हैं वह सब शिरोधार्य हैं, मैं इस संशोधन से अलग नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह कहना है आपकी आज्ञा से कि यह जो ऐक्ट है यह बहुत ही मिस्चीवियस ऐक्ट है और विशेषकर जो फारेस्ट की डेफिनीशन की गयी है उसके उद्देश्य और मोटिव के पीछे मुझे बहुत-सी शंकाएं नजर आती हैं। हुजूरवाला, अगर आप देखें तो कहते यह हैं---

"Forest means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation . . . ."

हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि "अदर देन ग्रोव्स", इसमें से 'ग्रोव्स' निकाल दिये जायं। तो श्रीमन्, खास तौर से जमीन पर जो बाग हैं उस पर आदमी तो खड़ा नजर नहीं आयेगा, मवेशी तो खड़े नजर आवेंगे नहीं। यह मैंने माना कि कौंसिल में इस पर बहुत काफी वाद-विवाद हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने इस पर यह आश्वासन दिया था कि सरकार का मंशा यह नहीं है कि "ग्रोव्स" इसमें आवें, लेकिन हुजूरवाला, मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौन-सी दफा है, कौन-सा अधिनियम है, नियम है, भारतीय संविधान में कौन-सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर यह समझा जाय कि जो माननीय मंत्री महोदय एश्योरेंस देंगे, आश्वासन देंगे उसका नियमतः

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई मूल्य है ? आज एक आश्वासन दिया जाता है लेकिन हो सकता है कल कांग्रेस सरकार न रहे, हमारे माननीय झारखंडे राय जी विराजमान हो जायें...

श्री अधिष्ठाता—आपकी भी सरकार हो सकती है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मेरी भी हो सकती है । लेकिन अगर मेरी सरकार हुई तो मैं इस चौपाई को नहीं भूलूंगा : "प्रभुता पाय काहि मद नाहीं"। कम से कम इतनी समझदारी रहेगी। लेकिन अगर इत्तफाक से मेरे माननीय दोस्त पहुंच गये तो वह कहना शुरू कर देंगे कि उस आश्वासन के कोई मानी नहीं हैं। जब असली खेवट और खतौनी गायब हो सकते हैं, सन् १९५२ में खेवट और खतौनी में जो लिखा था वह आज नहीं है तो फिर इस आश्वासन के अपनी जगह पर कोई मानी नहीं हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि कल कोई फारेस्ट आफिसर किसी बात को इसमें इन्क्लूड करता है तो क्या मैं उनके पास इस असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज को लेकर जाऊं जिनमें न इतनी काबलियत होगी कि इसको समझ सकें या इसकी अहमियत को समझ सकें। आज सरकार की यह टेन्डेन्सी हो गई है कि जो भी कानून बनें उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को भगवान मान लिया जाता है, वह हाई कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं देना चाहती। कांस्टीटचूशन के अनुच्छेद ३२ और २२६ जो हैं उनको यह सरकार कभी याद नहीं रख सकती। आज इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी एक भयंकर रूप धारण कर रही है। मैं उद्देश्य और कारणों की पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूं कि एक कानून आता है महज यह कहने के लिये कि जमींदारों ने सन् १९५२ के पहले पट्टे दे दिये। श्रीमन्, आप भलीभांति परिचित हैं कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के मातहत उनको पट्टा करने का अधिकार था। सन् १९५२ में जो जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट बना उसमें भी कोई रोकथाम नहीं थी। सन् १९५२ में जुलाई या अगस्त में जो आखिरी सेशन बैठ रहा था उसमें इन्होंने पट्टा देने से रोका। सीलिंग बिल, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट और भारतीय संविधान में आज भी अधिकार है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी इस बात पर कोई असर नहीं, जब इनको मुआविजा नहीं देना था तो कोई परेशानी नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है, यह संशोधन क्यों न स्वीकार किया जाय। जो संशोधन आया है, उसमें अगर मंत्री जी का ऐसा इरादा है, उन्होंने काउंसिल में आश्वासन भी दिया, तो उसको साफ कर दें ताकि सदन में वाद-विवाद में आसानी हो कि उनको क्या कहना है और हम क्या कह सकते हैं ।

***श्री सैयद अली जहीर**—अधिष्ठाता महोदय, जो एतराज किया गया है वह गालिबन इस वजह से है कि माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि बतौर खुद यह कोई कानून बन रहा है, दरअसल ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो याद रखने की उनको है वह यह है कि एक बहुत पुराना इंडियन फारेस्ट ऐक्ट सन् १९२७ का बना हुआ है। वह है फारेस्ट ऐक्ट १६ आफ १९२७। और खुली हुई बात है कि फारेस्ट ऐक्ट बागों को गवर्न नहीं करता है। जिस दफा में हम तरमीम करने जा रहे हैं उसके अलफाज के मानी तो ये हैं कि जब तक कोई और चीज उसके मतलब के खिलाफ न हो, इन अलफाज के मानी हस्बजैल होंगे। उसमें खंड ३ के उपखंड (१) (बी) में फारेस्ट की तारीफ है। फारेस्ट के मानी यह थे कि 'forest includes any land covered by trees and shrubs' तो यह सन् १९२७ से हमारा या इस ऐक्ट का मंशा रहा है कि बाग फारेस्ट में न आवें। मगर बदगुमानी और शकूक की तो कोई हद हो ही नहीं सकती। मैंने काउन्सिल में भी यकीन दिलाया था और यहां भी कहता हूं कि हमारी मंशा सिर्फ फारेस्ट को प्रोटेक्ट करने का है। ग्रोव्ज रहेंगे और हम उनको छूना नहीं चाहते हैं। सिर्फ गोल-सी डेफीनीशन को बदल कर हमने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहोर]

साफ कर दिया है और जंगल की जमीनें जरूर शामिल की हैं जो काट दी गयी हैं। फर्ज कीजिये कि २,००० एकड़ जमीन थी और उसमें से २०० एकड़ काट ली गई जो बीच में पड़ती है। तो अगर हम उसे शामिल नहीं करेंगे तो ठीक से डेवलप हो नहीं सकेगा। जहां पर ठूंठ खड़े हों या जो जमीन पानी में डूब गई हो, तो इस तरह के प्रलफाज हमने रख दिये हैं, चूंकि जंगल की मुख्तलिफ शक्लें हो गई हैं। इसलिये बागों के बारे में अन्देशा नहीं होना चाहिये।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने अपने भाषण में इसे काफी स्पष्ट करने की कोशिश की। परन्तु जब उनमें इतनी दरियादिली है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करने में उन्हें क्या आपत्ति है? सरकार ने तमाम सियायतें बाग लगाने के लिये दीं और लोगों ने अनुदान के रूप में रुपया भी लिया। अब इस बात का अन्देशा लोगों के दिलों में है कि जब इतनी विस्तृत परिभाषा की गई है तो जो छोटे-मोटे किसानों ने डेवलपमेंट ब्लाक्स के जरिये बाग लगा लिये हैं या उनके बाग मौजूद हैं कहीं ऐसा न हो कि वे ले लिये जावें। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सैयद अली जहोर---मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) की दूसरी पंक्ति में शब्द "vegetation" तथा शब्द "whether" के बीच में शब्द "other than groves" रखे दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) की दूसरी पंक्ति के शब्द "or woody vegetation" निकाल दिये जांय।

फारेस्ट की डेफिनीशन में यह शब्द हैं। वुडी शब्द के मानी चैम्बर्स डिक्शनरी में आप देखेंगे कि ये लिखे हैं "abounding with woods" मालूम होता है कि बिल लिखते वक्त "moody" हो गये थे इसलिये "woody" शब्द यहां आ गया। जो चीजें फारेस्ट की परिभाषा में पहले ही लिखी हैं उनके अलावा कोई और चीज वुडी होती ही नहीं है। इससे तो अच्छा यह होता कि मंत्री जी लिख देते कि "any land declared by the Government as forest and published in the official *Gazette* as such." ताकत उनके पास है ही और इससे सब मामला ही खत्म हो जाता। सब कुछ रखने के बाद "other matters" भी रखा गया है। तो क्या यह सरकार अल्ला-ताला की जगह खुद लेना चाहती है? मैं माननीय मंत्री जी से बाप्रदब गुजारिश करूंगा कि यह आधा मर्द और आधी नारी वाली परिभाषा न रक्खें और मेरे संशोधन को मानने की कृपा करें।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी यह कहते कि वुडी वेजीटेशन वुडी ब्रेन्स का नतीजा है तब तो मैं मान लेता कि उनका कहना ठीक है। जो परिभाषा मंत्री जी ने रखी है उसके अनुसार कोई भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि "bushes or vegetation whether of natural growth or planted by human agency" यानी कुदरती हो या आदमी के जरिये से बनाई गई हो। पेड़, झाड़ी, सब चीजें मंत्री जी ने ले ली हैं। तो फिर यह वुडी वेजीटेशन की क्या आवश्यकता रह जाती है, मेरी समझ में नहीं आया। लता और क्रीपर्स को छोड़ कर शायद फालियेज में उन्होंने यह रखा है। तो कोई वेजीटेशन ऐसी है जिसमें फालियेज का टुकड़ा न हो? यह उनके मंत्रिगण के भी मंत्रिगण बता सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि मुशीर के भी मुशीर होते हैं। आप

पार्लियामेंटरी और अनपार्लियामेंटरी कह चुके हैं, मैं उसी के लिहाज से अर्ज कर रहा हूं। तो बैसाख के जमाने में आनन्द लेने वालों के जरिये यह बिल बनाया गया होगा।

श्री अधिष्ठाता--अब आप ज्यादा न कहें।

श्री सुरथबहादुरशाह---अगर वह यह कह सकते हैं कि एक जानवर के पीछे हजार जानवर बोलते हैं तो उसी हिसाब से बैसाख में आनन्द लेने वाला भी कहा जा सकता है। श्रीमन्, यह एक ऐसा मासूम संशोधन है कि मेरे खयाल से इसमें किसी किस्म का संकोच या हिजाब नहीं होना चाहिये। मेरी नाकिस राय में यह शब्द बिलकुल रिडंडेंट है और इस रिडंडेंट शब्द को हटा दिया जाय। अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो उचित ही होगा।

***श्री सैयद अली जहीर**---अधिष्ठाता महोदय, अगर यह मामला सुरथ बहादुर शाह जी की समझ में नहीं आया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि वे खुद कह चुके हैं कि वे ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहां जंगल है और जहां उनका घर है तो फिर वहां की बातें ही उनकी समझ में आ सकती हैं। ये किताबी अल्फाज अगर समझ में नहीं आये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बहरहाल, जहां तक मैं समझता हूं कि इन अल्फाज के माने सिर्फ ये हैं कि इस किस्म के दरख्त जो पेड़ न हों और सिर्फ ठूंठ हों, ऐसी भी वेजीटेशन जो खाली वुड हो, वह उस परिभाषा से निकल न जाय। इस तरह से इसके जरिये से जंगल की हर तरह की पासिबिलिटी जो भी हो सकती है इसकी परिभाषा में रखी गयी है। जैसा कि मैंने कहा, ठूंठ हों, सैंकड़ों एकड़ इस तरह का जंगल पड़ा हुआ हो, यह लफ्ज गालिबन उसके लिये रखा गया है। माननीय सदस्य ने इसके रहने से कोई नुकसान नहीं बताया। क्योंकि जंगल की परिभाषा को काम्प्रोहेंसिव बनाने के लिये यह रखा गया है, इसलिये मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह**---मान्यवर, मैं गोविन्द सिंह जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे उसको मैं नहीं समझ सका। अगर दूसरे मंत्री महोदय होते तो वे यह खतरा समझ सकते थे कि न जाने इसके क्या माने बाद को निकल आयें लेकिन मंत्री महोदय तो जिन्दगी भर हाई कोर्ट के आंगन में घूमते रहे हैं, बार-एट-ला रहे हैं उनको तो यह अंदेशा नहीं होना चाहिये। हां, यह हो सकता है कि किसी इंसान को बैसाख पसन्द हो और किसी को जेठ पसन्द हो, यह तो हर इंसान की मनोवृत्ति के ऊपर है। अगर जंगलात पर कोई किताब लिखी गयी होती तब अगर वुडी वेजीटेशन लिखा जाता तब तो समझ में आ सकता था, लेकिन यह न तो अफ्रीका के ऊपर और न कनाडा के ऊपर ही किताब लिखी जा रही है जिस पर माननीय मंत्री एहतियात बरतना चाहें। दूध का जला मठा फूंक कर पीता है। हो सकता है कि सन् १९५६ में जो गलतियां हो चुकी हैं उसके लिये वह एहतियात बरतते हों वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इसलिये इसको उन्हें मान लेना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को भी खुद लगता है कि उन्होंने यों ही इसे रख दिया है।

श्री अधिष्ठाता---मंत्री जी ने कोई बात ऐसी कही तो नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उनके कहने का आशय यही था। आप रिपोर्टिंग देख लें। उसमें उनका मतलब यही है कि यों ही रख दिया था, अब रख दिया है तो रख दिया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

प्रेस्टिज का क्वेश्चन है। पता नहीं, इस पार्टी सिस्टम में खराबी है या क्या बात है कि इतनी छोटी सी बात भी जिसे रखने न रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है और गवर्नमेंट का नुकसान भी नहीं होता है उसको भी चूंकि विरोधी दल की तरफ से आया है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चाहे कितनी अच्छी से अच्छी बात कही जावे नहीं माना है, जिद भर है। अगर जैसा बिल आया है वही वेद वाक्य है उसमें कोई कामा, फुलस्टाप की भी कमी नहीं होनी है, कोई हेरफेर नहीं होना है तो फिर डिस्कशन के कोई मानी नहीं होते।

दूसरे, माननीय मंत्री जी एक नयी सृष्टि करना चाहते हैं, यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। अब वे ऐसे पेड़ बनाने वाले हैं जिनमें पत्ते हो नहीं होंगे। हमने अनुभव किया है, देखा है और किताबों में पढ़ा है कि चाहे श्रब (shrub) हो या बड़े पेड़, पत्ते के बिना सांस नहीं ले सकते। वे रात में कार्बन डाइ आक्साइड फेंकते हैं और दिन में आक्सीजन फेंकते हैं। हमने तो कम से कम ऐसा ही पढ़ा था। यह हो सकता है कि पत्ते सूखकर गिर गये हों लेकिन हम ट्री को थोड़े ही डिफाइन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जिद है, लेकिन मूडी लेजिस्लेशन हो रहा है और गुडी कानून बन रहा है। अगर यही हिसाब है तो माननीय मंत्री जी जो चाहें करें।

श्री सैयद अली जहीर—मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में कोरम नहीं रहता, इस वक्त भी कोरम नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, आप कई दफे व्यवस्था दे चुके हैं, लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता—अब अगर कोरम नहीं रहेगा तो मैं विचार करके देखूंगा और फिर ऐडजर्न कर दूंगा।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) की दूसरी पंक्ति के शब्द " or woody vegetation " निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) की छठवीं पंक्ति में शब्द "or grazing facilities" निकाल दिये जायं तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "erosion" के बाद के शब्द "or other such matters" निकाल दिये जायं। यदि वन की परिभाषा के इतने प्रतिबन्धों के बाद भी जंगल की जमीन काफी नहीं समझते और कहते हैं कि पेड़ों से ढकी भूमि, झाड़ियों की भूमि से ढकी और बुडी वेजिटेशन से ढकी भी हम जंगल होना मानें तो अजीब हालत हो जायगी। इस में यह तमाम बातें भी रक्खी हैं कि चाहे कहीं कुदरती " growth " हो या मनुष्य द्वारा उगाई गई हो और ऐसी जमीन कि जिस की ऐसी उपज का प्रभाव टिम्बर, ईंधन या जंगल की पैदावार पर पड़ता हो, वह सब जंगल माना जायगा। सब जब इसमें है तो फिर यह "ग्रेजिंग फेसिलिटीज" को इस में क्यों शामिल किया जा रहा है? जब सभी चीजें शामिल कर ली गई हैं तो फिर यह चरागाह की जमीन या जिसपर गांव वालों को आसायश है या ईजमेंटरी हक है इसको क्यों जंगल में शामिल किया जा रहा है? उतने से तसल्ली क्यों नहीं होती मंत्री जी को? इमारती लकड़ी, ईंधन, जंगल की तमाम पैदावार सभी तो शामिल हो गया परिभाषा में फिर भी यह "ग्रेजिंग फेसिलिटीज" इस में रख दिया गया। स्वप्न में भी कोई चीज रह गई हो तो वह जंगल में आ जाय इस लिये लिख दिया गया कि "or such other matters"। इसके माने तो यह हैं कि आप को विश्वास नहीं है कि आप की यह परिभाषा कम्प्लीट है। इस तरह से जहां गाय-

बच्छी चुग सकती थीं उस को भी जंगल घोषित किया जायगा। यह कहना कि इन सुविधाओं की वजह से जंगल करार दिया जायगा, गौ के मुंह से गौ-ग्रास लिया जायगा क्या यह ठीक होगा? पर इतने पर ही सन्तोष उन को नहीं है उसके बाद भी लिख दिया कि "or such other matters" गवर्नमेंट समझती है कि अभी कई 'loop holes' इस बिल में होंगे।

आप जानते होंगे कि सन् १८५७ में लार्ड मेकाले ने इंडियन पेनल कोड बनाया और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बना हुआ है, लेकिन आजतक उस में लाल स्याही लगने का मौका नहीं आया, यह है कानून की बनाने की तारीफ। यह नहीं कि आज कानून बना और कल को हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। मंत्री जी का इतना काम्पीटेंट विभाग है, तमाम लीगल रिमेम्बेसर हैं, कनवेंसर हैं, जुडीशियल सेक्रेटरी हैं, तमाम अधिकारी बड़े-बड़े योग्य हैं लेकिन रोज इनकाम्पीटेंसी के उदाहरण देखने में आते हैं। लेकिन इस तरह की गलती केवल कनसेन्ट्रेशन आफ पावर के कारण होती है। पहले 'forest' कानून की परिभाषा में कहा गया था कि उसमें अमुक दो प्रकार भी हैं लेकिन सरकार ने इन तमाम को शामिल कर के कानून को और अधूरा कर दिया। सरकार को यह ध्यान करना चाहिये कि कहीं इसका भी वही हश्र न हो जैसा कि सेल्स टैक्स के कानून का हुआ, कि उस पर १८ या २० संशोधन आ चुके हैं और उसे बार-बारअल्ट्रावायरस करार दिया जाता है। आजकल के 'hasty legislation' का नतीजा यह होता है कि अर्थ का अनर्थ होता है, इसीलिये हम ने मंत्री जी से कहा था कि जरा उधर चलकर प्रवर समिति की ठंडी हवा में ठंडे दिमाग से कुछ गलतियां इस की सुधार लेते लेकिन वह नहीं माने। मैं गुजारिश करूंगा कि जहां गांवों के चराने का अधिकार हो, मवेशियों के चुगाने का अधिकार हो और वह अगर जंगल नहीं हैं तो उसको अपने हाथ में न लें। इसलिये इस गोपाल की भूमि में ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—श्रीमन्, जंगल के इस कानून पर जो अमेंडमेंट गोविन्दसिंह विष्ट जी लाये हैं मैं उसका विरोध करता हूं। हालांकि इसका कोई मतलब मुझे नहीं मालूम पड़ता कि वह यह शब्द क्यों निकालना चाहते हैं? जंगल में रहना और जंगल को रखने के बाद वहां जानवरों के चरने की फेसिलिटी होनी ही चाहिये, जब तक वे जानवर हैं। जैसा मंत्री जी को भी सुनाई पड़ा कि उन्होंने आज बोलते हुए यह फरमाया कि उन्हें इस हाउस में भी जंगल की फिजा नजर आयी तो ऐसी जगह चराई का इंतजाम न रहने देना यह बेचारे जंगल के महकमे वालों की तौहीन ही करना होगा और उनके लिये सुविधाओं को कम कर देना होगा। मेरी समझ में जंगल के साथ, जंगल के कुछ अधिकारियों से एक बार बात करते हुए मालूम पड़ा, वह यह कहते थे कि जंगल के रहने वालों को या उससे वास्ता रखन वालों को अक्ल से कुछ कम वास्ता रहता है, लकड़ियों से, ठूठों से वास्ता रहता है इसलिये उनकी बुद्धि भी कुछ कुंठित हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर वुडी वेजीटेशन आ जाय, चराई का सुभीता हो जाय तो उसे रहने देना चाहिये और सदन के लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिये इस फेसिलिटी को जंगल वालों को देने के लिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि गोविन्द सिंह विष्ट जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

*श्री उग्रसेन—अधिष्ठाता महोदय, मैं गोविन्दसिंह विषट जी के संशोधन के समर्थन में १, २ बातों की जानकारी मंत्री जी से करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जिस तरह से इस कानून में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी के शब्दों का, उससे खास कोई मतलब नहीं निकलता है। उससे सरकार को, विभागीय अधिकारियों को इतने व्यापक अधिकार दे दिये जाते हैं जिससे जंगल के किनारे की किसी भी भूमि को अब अगर किसान १,२ साल न जोते तो उसको ग्रेजिंग फेसिलिटी कह करके चराई के लिये सुविधास्थल मान करके उसे जंगल में ले सकते हैं। ऐसी बहुत-सी शिकायतें गोंडा जिले से आयीं, या जो तराई के इलाके में जंगल हैं वहां से शिकायतें आयीं कि किसान ने अगर एक-आध साल खेत न जोता तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

जंगल वालों ने अपनी कीलें गाड़ लीं और कहा हमारी जमीन है। तो कानून में डेफिनिटनेस होना चाहिये जो इसमें नहीं है। यदि मंत्री जी का अर्थ यह हो कि हम इतनी व्यापक भाषा में कानून बनाना ही चाहते हैं तब तो बात दूसरी है, जब चाहें वैसा इस्तेमाल कर लें।

श्रीमन्, जापान का संविधान छोटा-सा ऐसा बना हुआ था जिसमें बादशाह की हुकूमत फिट कर जाती थी, प्रजातन्त्र का हुकूमत का जिस तरह की हुकूमत जापान में बनती थी वह उसी संविधान के अन्दर चला करती थी। तो माननीय मंत्री जी को यदि यह मंशा हो इस कानून के अन्दर कि जितने हाथ-पैर वन विभाग फैलाना चाहेगा वह फैलाता रहेगा तब तो बात दूसरी है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि "आर अदर सच मेटर्स" ये बिलकुल बेकार के शब्द हैं। इनको निकाल देना चाहिये। व्याकरण में दो-तीन शब्द के बाद तो "आदि" इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक ही शब्द के बाद "आदि" लगा देना गलत है और कभी नहीं लगाया जाता है, दो-तीन शब्द के बाद ही लगाया जाता है। लेकिन यहां माननीय मंत्री जी ने एक ही शब्द के बाद "आर अदर सच मैटर्स" लगा दिये हैं। यह बहुत व्यापक है। इसको निकाल देने में कोई हिचक नहीं होना चाहिये।

रह गयी उदय शंकर दुबे जी की बात, तो दुबे जी के कहने का अर्थ मैं समझ नहीं सका। लेकिन शायद उनका मतलब यह है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि, जंगल के जो लोग हैं वे उसी प्रकृति के होते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं लकड़ियों से उनका पाला पड़ता है तो उनकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। पहाड़ के बड़े-बड़े नेता लोग हैं। जंगलों में रहते हैं। हम कैसे कह दें कि उनकी बुद्धि लकड़ी जैसी हो गयी है। अगर ऐसा है तो फिर इस उत्तर प्रदेश को बहुत महंगा मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर ऐसे कानून हो जायं जो दुनिया की किसी भी जनतंत्रीय व्यवस्था में लागू न हों तो उन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है ला आफ जंगल, हिन्दी में कहा जाता है जंगल का कानून। जिस हुकूमत में जंगल का कानून हो तो जंगल के कानून के जरिये से प्रदेश की जनता क्या बन जाती है? जंगली जानवर। मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है। लिहाजा "आर अदर सच मैटर्स" को जरूर निकाल देना चाहिये और "ग्रेजिंग फेसिलिटी" की जगह पर दूसरे उपयुक्त शब्द रखे जायं जिससे निश्चितता हो जाय।

*श्री प्रतापसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस धारा के संशोधन का मैं समर्थन कर रहा हूं वह इसमें है धारा ३ और मूल अधिनियम की धारा ३८-ए। मैं इस आदरणीय सदन के सामने मूल धारा ३८-ए को पढ़ देना चाहता हूं :--

"The owner of any land or, if there be more than one owner thereof, the owners of shares therein amounting in the aggregate to at least two-thirds thereof may, with a view to the formation or conservation of forests thereon, represent in writing to the Collector their desire."

इसमें यह कहा गया है कि हमारे जंगलों की रक्षार्थ दो तिहाई लोग कलेक्टर को लिख कर दें।

"(*a*) that such land be managed on their behalf by the Forest Officer as a reserved or a protected forest on such terms as may be mutually agreed upon."

जंगलों की रक्षा करने के लिये जिनके हाथ में जंगल हैं और जो रक्षा कर रहे हैं उन दोनों के बीच में समझौता हो।

"(*b*) that all or any of the provisions of this Act be applied to such land."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप भी जानते हैं कि किसी भी ऐक्ट की धारा का इंटरप्रिटेशन बुद्धिमान लोग जनता के हित में लगाते हैं। इसलिये १९२७ का जो ऐक्ट बनाया गया था मैं उसकी तारीफ करता हूं कि कोई भी शख्स उसका इंटरप्रिटेशन जनता के हित में कर सकता है, लेकिन अब जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है इसमें जनता के हित में इंटरप्रिटेशन नहीं लगाया जा सकता।

जहां तक ग्रेजिंग लैन्ड का सवाल है, आबादी बढ़ रही है। गांव के बीच में आबादी बढ़ने से बहुत से चरागाहों पर कुली लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो फिर जानवर हमारे कहां चरेंगे? एक ओर कहा जाता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी साधन होने चाहिये जिनसे खेती के बदले दूसरे साधन हों जिससे जनता का निर्वाह हो सके। पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज माननीय मंत्री ने जिद पकड़ ली है। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी को उनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हम जनता की सही राय का इजहार नहीं करते तो हम अपने कर्त्तव्य से गिरते हैं। व्यक्तिगत रूप से श्री अली जहीर साहब से हमारी दोस्ती है लेकिन उनकी पालिसी से दोस्ती नहीं है। उनको बुरा नहीं मानना चाहिये। थर्ड फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट इस प्रदेश का नहीं बना है लेकिन सेंट्रल का जो ड्राफ्ट है उसमें पशुधन पर ज्यादा जोर दिया गया है। हमारे ऐसे चरागाह हों जहां पशु चर सकें, जहां भेड़ों को पाल सकें। इसलिये चरागाहों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

दूसरे पर्वतीय इलाके की विशेष समस्या है। पहाड़ी इलाके से रामनगर, टनकपुर मंडी को जानवर ले कर लोग जाते हैं। रिजर्व फारेस्ट में चरागाह बने हुए हैं और जो नई धारा ३ बन रही है मूल धारा ३८ ए में उसके मातहत चरागाह में बकरी, गाय, भैंस को ले जा सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में चराई नहीं ली जाती थी लेकिन पहले २ पैसे चराई पड़ी, आज ८ आने एक भैंस और एक गाय पर चराई ली जाती है। एक गरीब किसान है। वह अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन उसको २ भैंसों की चराई पर १ रुपया देना पड़ेगा। यह समाजवादी व्यवस्था है, यह वेलफेयर स्टेट है, यह बात समझ में नहीं आती।

माननीय मंत्री जी मैटल रिजर्वेशन से बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सही बात वे हमारे सामने रखें। ग्रेजिंग लैन्ड को इससे उदारतापूर्वक मुक्त किया जाय।

"आर अदर सच मैटर्स" के जरिये भी सरकार कितना बड़ा अधिकार अपने हाथ में ले रही है। जहां मुख्याधिकारी को यह अधिकार हो कि रोज नये-नये जी० ओ० इश्यू करे तो वह मुख्याधिकारी तानाशाह बन सकता है। हमारे उग्रसेन जी का बढ़िया बगीचा हो वह "सच अदर मैटर्स" में लिया जा सकता है। ऐक्ट की मंशा जनता के हित में होनी चाहिये। २७ के ऐक्ट का इंटरप्रिटेशन जनता के हित में लगाया जा सकता है लेकिन आज कोई भी फारेस्ट ऐक्ट हो, अदालत में मुकदमा हो, उसका इंटरप्रिटेशन गरीबों के खिलाफ होगा। जो गरीब हरिजन अपने जानवरों को चराना चाहते हैं, जो गरीब किसान जिनके पास खेती नहीं होती है उनके चरागाहों पर गवर्नमेन्ट कब्जा करना चाहती है। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि किसान बड़ी विषम परिस्थिति में रह रहा है। एक ओर तो आप उसको जमीन देना नहीं चाहते हैं दूसरी ओर उससे दूध भी छीनना चाहते हैं। मान्यवर, इससे तो हमारे पशुधन का दूध भी खत्म हो जायगा और जो पाउडर अमेरिका से आता है उसी को मंगाना पड़ेगा। आप किसान के बच्चों के मुंह से दूध छीनना चाहते हैं। आपको उनका दर्द न होगा लेकिन हमें तो दर्द है क्योंकि हम उनके बीच में जाते हैं और उनके दुख-दर्द में शामिल होते हैं। जब हम कल उनसे कहेंगे कि घी बड़ा महंगा हो गया तो वह कहेंगे कि एम० एल० ए० साहब यह प्रस्ताव तो आपकी असेम्बली में ही पास हुआ था कि चरागाहों को जंगल बना दो। बिना रेंजर की आज्ञा से वह घास तक नहीं काट सकते हैं। श्रीमन्, अगर कोई आदमी नाजायज तरीके से काम करता है तो उसका चालान हो सकता है।

[श्री प्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों का ऐक्ट है उसकी धारा ३८ में संशोधन लाने की क्या जरूरत पड़ी ? दूसरे इसमें से चरागाह निकाल दिये जायं तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ? तीसरे यह कि "सच अदर मैटर्स" (Such other matters) इसको समझाने की कोशिश करें। ऐडमिनिस्ट्रेटिव ला में मिनिस्टर का अलग ट्रायल होता है और नौकर का अलग से ट्रायल होता है लेकिन रूल आफ लाज में सब के लिये एक समान है। मेरे इन तीनों सवालों का जवाब दिया जाय। आपने सदन का समय इतना बरबाद किया है और जनता के रुपये का दुरुपयोग किया है इसका जवाब दिया जाय। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचेंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह ठंडे दिमाग से नहीं सोचते हैं बल्कि वह फायनेन्स मिनिस्टर हैं और उनको फुर्सत बिलकुल नहीं है। हम पे कमीशन की बात कहते हैं लेकिन उनको सुनने का समय नहीं है। फिर वित्त मंत्री को कहां फुर्सत है जंगल के इंतजाम के देखने के लिये। इसीलिये ऐसी तानाशाही हो रही है। उनको फुर्सत नहीं है इसलिये उनका कसूर नहीं है। इसलिये हम चाहेंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ऊपर वह बोझा डाल दें। हमें उनके ऊपर भरोसा है। यह वेलफेयर स्टेट किसके लिये है ? जंगलों के लिये है ? यह तो यहां के इंसानों के लिये है। इसलिये चरागाहों को छोड़ा जाय।

*श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, जाहिर है कि बाज हजरात इस पर आमादा हैं कि वह नहीं समझेंगे और ऐतराज किये जायंगे। अब इसका मैं क्या जवाब दूं। इसके लिये मुझे गालिब की एक शेर याद आती है कि "यारब वह न समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और"। मैं अभी भी बयान करना चाहता हूं कि पुरानी डेफीनीशन निगेटिव फार्म में थी और उसमें दो क्लाजेज थे और उसी क्लाज के लिये यह अमेंडमेन्ट आया है। इसके माने यह थे कि इसके अलावा कोई भी चीज हो वह फारेस्ट की हो सकती है और उनमें यह चीज जरूर शामिल है। अब हमने पाजीटिव डेफीनीशन बनाई है तो जाहिर है कि फारेस्ट की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं। इसलिये इन सबकी तशरीह करनी पड़ी साफ-साफ अल्फाज में। लेकिन यह कोई ऐसी दफा नहीं है जिसके जरिये से हम लोगों के हक लिये ले रहे हैं इस दफा में खाली फारेस्ट का डेफिनीशन है। जहां तक हकूक का ताल्लुक है उसके लिये दूसरी दफायें हैं जिनमें बताया गया है कि क्या-क्या हकूक हम लेना चाहते हैं। किसी का राइट हम नहीं लेना चाहते। जैसा कि आब्जेक्टस ऐंड रीजन्स में साफ तौर से लिखा है, हम इन्तजाम के लिये इन चीजों को लेना चाहते हैं। तो सिर्फ इस लिये कि उसके मुताल्लिक यह झगड़ा न हो कि जिस चीज को गवर्नमेन्ट लेना चाहे, उसके मुताल्लिक यह कहा जाय कि यह फारेस्ट नहीं है यह खाली ग्रेजिंग लैन्ड है, या वेजिटेशन है, उसके लिये तफसील लिख दी गयी है। इसीलिये यह लफ्ज भी लिख दिये गये "आर अदर सच मैटर्स"। कानून में इंटरप्रिटेशन आफ ला का माना हुआ उसूल है कि अदर सच मैटर्स या इस किस्म के अल्फाज के मानी होते हैं "other such matters which are similar to or connected with the matters previously described" गैर मुताल्लिक चीजें शामिल नहीं होतीं। यह अलफाज अक्सर लेजिस्लेशन में इस्तेमाल किये जाते हैं।

माननीय गोविन्द सिंह विष्ट ने इंडियन पेनल कोड और एविडेंस ऐक्ट का हवाला दिया। जिस वक्त इंडियन पेनल कोड और एविडेंस ऐक्ट बन रहे थे अगर वह उस वक्त होते तो इससे ज्यादा सख्ती से उन पर ऐतराज करते। उनमें इस किस्म की बहुत-सी दफात और अल्फाज हैं जो इससे मिलते-जुलते हैं। लेकिन इत्तफाक से वह नहीं थे। उस जमाने में ऐक्ट पास हो गये और वह समझते हैं कि वह बहुत उम्दा ऐक्ट हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से प्रताप सिंह जी से भी अर्ज करूंगा कि अगर उनको अंग्रेजों के कानूनों से और उसूलों से इतनी ज्यादा हमदर्दी है, तो हम लोगों को जो स्वतन्त्रता मिली है, वह उनको नागवार होगी क्योंकि उनकी बातों से मालूम होता है कि उस समय सब चीजें जनता के हित में होती थीं। जब से हम आये हैं तब से सब बातें जनता के खिलाफ होने लगी हैं। ऐसे आदमी की गुंजायश तो इस देश में है नहीं। अंग्रेज तो यहां से चले गये और उनके आने की उम्मीद तो है नहीं। अगर उनकी तारीफ करनी हो तो वह जहां हों वहां जा कर करें तो शायद वह उसको ज्यादा एंज्वाय करेंगे। यहां उनकी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी अक्ल के हिसाब से कानून भी चलाना है, असेम्बली भी चलानी है और नये कानून भी बनाने हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जो अल्फाज रखे गये है वह मसलहतन रखे गये हैं। अगर हमको ग्रेजिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के लिये फारेस्ट की जरूरत होगी, तो उसके लिये हमने फारेस्ट को डेस्क्राइब किया है। वह चीजें फारेस्ट में शामिल होंगी। जनता के फायदे के मकसद को पूरा करने के लिये ऐसा रखा गया है। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री प्रतापसिंह—प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझको अंग्रेजों की तारीफ वहां जा कर करनी चाहिये। मैंने अंग्रेजों की तारीफ नहीं की। १९२७ के ऐक्ट की धारा का जो मंशा था उसको मैंने बताया। मैं आपके जरिये से कहूंगा कि वह मिसकोट न किया करें।

श्री अधिष्ठाता—अंग्रेजों का बनाया हुआ फारेस्ट ऐक्ट ज्यादा अच्छा था। यह उन्होंने कहा। लेकिन आप कृपा करके संशोधन पर पहले आ जाइए।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं संशोधन के बारे में ही कहना चाहता हूं। मगर किसी बात को कहने के पहले अगर दलील पेश न की जाय तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सुनवाई नहीं होती और मैं समझता हूं कि यह सदन सर्वोपरि कोर्ट है। इसलिये जो कुछ बात हम यहां कहेंगे उसमें जरूरी है कि कोई नजीर और दलील पेश करके अपनी बात यहां रखें। इसलिये मैं कह रहा हूं कि यह जनहित में अगर बनाया गया था तो जनहित में तो सब से अच्छी बात यह थी कि एक नया बिल बनाते। सन् १९२७ का बिल जिसके ऊपर सन् १९३० में सारे प्रदेश में आन्दोलन हुआ, सन् १९३० में जब नीलाम होने लगे तो सारे प्रदेश में एक बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हो गया और उसमें मैं खुद लखीमपुर से अपने साथ में ८५ आदमी लेकर जेल गया था फारेस्ट पिकेटिंग करता हुआ और ९ महीने की सजा हुई थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् १९२७ में जो ऐक्ट बना था वह ऐक्ट क्या जनहित में था? वह जनहित में नहीं था और उसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि सैकड़ों, हजारों आदमी उसमें जेल गए थे। तो आज जब उस १९२७ के ऐक्ट में संशोधन लाकर जनहित की बात कही जा रही है तो यह उसी तरह है जिस तरह कि आटा घोल कर दूध का धोखा देकर पिलाया जाय। इसमें कोई भी संशोधन लाना जनहित के कोई माने नहीं रखता। अकलमन्दी इस बात में थी कि अंग्रेजों के बनाये हुए इस बिल को बिलकुल निरस्त कर दिया गया होता और सन् १९५२ में जब कांस्टीट्यूशन पास हो गया तब से लेकर सन् १९६० तक आठ वर्ष के भीतर कोई नया बिल लाया गया होता। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह बिल जनहित में नहीं है। सन् १९२७ के बिल में संशोधन लाना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं थी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां यह ग्रेजिंग लैन्ड की बात रखी गई है उसको हम जब गहराई से सोचते हैं तो हमें एक बड़ा भयानक भविष्य दिखाई देता है और वह यह है कि वह चरागाह जो कि जंगलों के किनारे थे, या जंगलों के बीज में हैं, उनमें जब मार्च का महीना लगता था तो उसी जिले के जानवर ही नहीं बल्कि दूसरे दूसरे जिलों के जानवर भी पचास-पचास, सौ-सौ मील चलकर वहां चरने के लिये आते थे और अपने साथ ६-६ महीने का खाना-पीना बांधकर चरवाहे ले जाते थे। यह संशोधन जो किया जा रहा है वह इसीलिये किया जा रहा है

[श्री शिवप्रसाद नागर]

कि वह ग्रेजिंग लैन्ड उसमें से निकाल दिया जाय। दूसरी बात यह कि वहां वह परदेसी चरवाहे छप्पर डालकर रहते हैं, बाड़े बनाते हैं और उसमें अपने जानवर रखते हैं, और वहां जो दूध और घी पैदा होता है वह केवल उन जंगलों के भीतर ही नहीं रहता, टिनों में भर-भर कर वह लखनऊ आता है। हमारे लखीमपुर में रोजाना चार-पांच सौ टिन घी की कम से कम आमदनी है जो यहां भेजा जाता है। इसके अलावा उन जानवरों से दो-दो सौ, तीन-तीन सौ बछड़े भी होते हैं और उससे हमारे यहां के पशुधन में वृद्धि होती है, वह हमारे देश के कृषि प्रयोजन के लिये एक बड़ी लाभप्रद चीज होती है। इसलिये अगर यह ग्रेजिंग लैन्ड निकाला न गया तो इन सब चीजों की हानि ही न होगी बल्कि इनका बिलकुल ह्रास हो जायगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां पर यह जंगल का कानून और जंगल के कानून में संशोधन की बात आयी, वहां पर एक बात हमको और याद आयी और वह यह कि एक तरफ खजाने की जिम्मेदारी और एक तरफ जंगल की जिम्मेदारी, यह दोनों चीजें आपस में इतनी विपरीत हैं, इतना बड़ा विरोधाभास है कि जंगल के रहने वाले खजाना कौन कहे पैसे के सिक्के को भी नहीं पहचानते और दूसरी तरफ खजाने के लोग खजाने की बात को समझ सकते हैं, लेकिन जंगल के भीतर की बात से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उसे वह बिलकुल नहीं समझ सकते। इसलिये यह संशोधन जो लाया गया है चौक की कांस्टीट्यूएंसी से और लखनऊ के भीतर चहलकदमी करके वोट मांगने वाले इसको नहीं समझ सकते कि जंगल के रहने वालों की व्यथा क्या है, उन पर मुसीबत क्या है और ग्रेजिंग लैन्ड शब्द जो है इनके न निकाले जाने से वहां के किसानों को क्या तकलीफ होगी।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के साथ-साथ अगर यह भी संशोधन कहीं स्वीकार किया गया होता और कोई माननीय सदस्य उस संशोधन को भी लाये होते कि खजाने का मिनिस्टर कोई और हो और जंगल का मिनिस्टर कोई और हो। अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से हमारे इस डिवीजन का जिसमें सब से अधिक जंगल हैं, उसका कोई मिनिस्टर ही नहीं है। इस हाउस के अन्दर सब से बड़ी मुसीबत तो हम लोगों की यह है। यदि उस फारेस्ट इलाके का कोई भी मिनिस्टर इस हाउस में होता तो हमें उसको समझाने में बड़ी सहूलियत होती।

एक मिनिस्टर थे जिनका वास्ता लखीमपुर से था और उनका खानदान भी लखीमपुर में रहता था। वे गुप्ता जी थे। बदकिस्मती से वे आज यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर वह यहां पर होते तो हम उनको मना लेते। मगर जो उसके मिनिस्टर हैं उनको जंगल की जानकारी कम है और जंगल के बारे में जानकारी कम होने की वजह से ही यह संशोधन आया है, जिसके लिये कहा जाता है कि यह किसानों के हित में नहीं है और जनहित में नहीं है क्योंकि जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस वह तो इतना जानते हैं कि फारेस्ट में जाकर राइफल उठा कर शिकार खेल लें। एक मचान बांध दिया जाय और उसके नीचे एक पड्डा बांध दिया जाय और जब शेर उसको खाने आये तो राइफल उठा कर शिकार खेल लें। उस वक्त पर वहां उनको सिर उठाने का मौका मिलता है...

श्री अध्यक्ष---यह मचान बांधने की बात किसी वाक़यात की बात है या कल्पना की बात है?

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, यह आंखों देखी बात है। शिकार खेलने के लिये लोग जंगल में जाते हैं और कुछ दूसरे लोग भी उनके साथ रहते हैं। हमने अपनी आंखों से यह बात देखी है कि जब यहां से अधिकारी जाते हैं या मंत्री लोग जाते हैं तो अंग्रेजों के जमाने से यह प्रथा चली आ रही है कि जंगल के अधिकारी इन लोगों से आकर कहते हैं कि

सरकार, शिकार खेलने चलिये, मचान बांध दिया गया है, पड्डा बांध दिया है और शेर ने उसको आकर तोड़ दिया है। यह बात सब जानते हैं कि शेर पहली मर्तबा उस पड्डे को तोड़ देता है तो दोबारा फिर उसको खाने के लिये आता है। तब शिकार खेलने के लिये राइफल लेकर शिकारी वहां पहुंचते हैं और मचान पर चढ़ कर उसको मारते हैं। उस शेर के पीटने के चक्कर में किसान को कौन पूछता है। उसकी तरफ हमारे मंत्री की गरदन घूमती नहीं है। ये नहीं समझ सकते हैं कि किसान को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह तो शेर पीटने के चक्कर में रहते हैं और दूसरी तरफ जंगली इलाके का किसान वनाधिकारियों और कर्मचारियों से निरन्तर पिटता रहता है। इनकी गरदन तो शेर की तरफ ही रहती है। उन गरीब किसानों की मुसीबतों की तरफ अधिकारी इनकी गर्दन घूमने नहीं देते। शिकार खेल कर यहां आये तो इनके गले में माला और हार पहना दिया। इसलिये मैंने निवेदन किया कि अगर कोई जंगल प्रदेश का मिनिस्टर होता तो उसको वाक़ई जंगलात के विषय की अच्छी वाकफियत हो सकती थी...

श्री अध्यक्ष---अब आप इसके लिये आर्गूमेंट दें।

श्री शिव प्रसाद नागर---इसमें यह संशोधन है कि ग्रेजिंग लैंड निकाल दिया जाय। अंग्रेजों के जमाने में, जो चरागाह छोड़े गये थे सन् १९२७ के ऐक्ट के मातहत अब उन चरागाहों को यह सरकार ले रही है। उसमें लोग चरा नहीं सकेंगे। बल्कि इसके अन्दर प्लान्टेशन शब्द रखा गया है। उसमें प्लान्टेशन हो जायगा तो चरागाह नहीं रह जायंगे। गांवों के अन्दर अब चरागाह नहीं रह जायंगे और चरागाह की कौन कहे गांवों में तो जो खलिहान थे उनको भी तोड़-तोड़ कर सब जोत लिया गया है। तो ऐसी हालत में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इन जानवरों और पशुओं पर सरकार रहम करे और पशुधन को नष्ट करने का प्रयास न करे।

एक बात की ओर और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें अल्फाज आये हैं "अदर सच मैटर्स"। यह एक ऐसा शब्द है कि जिसको मैं पहले समझ नहीं पाया और बाद में जब प्रताप सिंह जी ने इसका मतलब समझाया तो मेरे रोयें खड़े हो गये। इससे तो वहां के किनारे रहने वाले लोग ही नहीं रह जायंगे। इसमें तो अगर जानवर चराने चले गये तो भी गिरफ्त में आ गये, लकड़ी तोड़ने चले गये तो आ गये और अगर किनारे के गांवों में आग लग जाय तो भी कोई सुभीता उन गरीबों को इसकी वजह से नहीं मिल सकता। सैकड़ों, हजारों गांव जंगल के किनारे, बाहर और भीतर हैं और बहुत से जिले तो ऐसे हैं कि जहां बहुत काफी इलाका जंगलों से प्रभावित है। मेरे ही जिले में मई और जून में ३० फीसदी गांवों में आग लगी है और उनको अपने नये घर बनाने के लिये बल्ली आदि की जरूरत है। यह सामान कहीं बाजार में नहीं बिकता और सब जंगल से ही मिलता है।

अंग्रेजी शासन में एक प्रथा थी कि घर बनाने के लिये जो सामान जंगल से लिया जाता था उसका किसान को एक तिहाई दाम देना पड़ता था। उसे एक रुपये में तीन रुपये का सामान मिल जाता था और वे अपने घरों को आसानी से आबाद कर लिया करते थे। आज अगर आग लग जाती है, तो आगे से यह अदर सच मैटर्स आकर बीच में दीवाल की तरह खड़ा हो जायगा और तब किसान दो महीने तक फूस, बांस थुनिहां, थम्भरिया, बल्ली, बड़ेर आदि कुछ नहीं पा सकेगा और उसके बाद जुलाई में बरसात शुरू हो जायगी और जो कुछ उनका बचा बचाया सामान है वह भी सड़ गल जायगा। इस बात पर शायद माननीय मंत्री जी ने विचार नहीं किया। मैं समझता हूं कि इसके रहने पर फारेस्ट की तरफ जाने और उसके पास रहना तो दरकिनार कोई आदमी को उसकी तरफ आंख उठा कर देखना भी मुश्किल हो जायगा। मैं समझ नहीं पाया कि इसको लाने की क्या जरूरत महसूस हुई? जब कोई कानून बनता है तो उसके लिये कुछ कारण होते हैं और जब इसके लिये कोई कारण नहीं है तो यह क्यों लाया गया इसलिये मैं इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी?

[श्री शिवप्रसाद नागर]

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको लाकर वे पशुधन नष्ट करने का प्रयास न करें, उसको बचावें और इस बात को जानें कि जो किनारे के किसान हैं वे प्रदेश और देश को तमाम घी, दूध देते हैं और तमाम प्रदेश को खुशहाल बनाते हैं। इसलिये वे उन पशुओं पर रहम करें और इस संशोधन को मान लें और इन शब्दों को इसमें से निकाल दें।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध कर रहा हूं। बड़ी दुहाई दी जा रही है अंग्रेजों की और हमारे प्रताप सिंह जी ने तो अंग्रेजों का इस तरह से गुणानुवाद किया है कि जिस प्रकार भागवत में कृष्ण भगवान का गुणानुवाद किया गया है। आपने फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को पढ़ कर सुनाया कि अंग्रेजों ने यह सहूलियतें हम को दे रखी थीं। मैं नहीं जान पाया कि किस प्रकार उनमें अंग्रेजों के प्रति इतना प्रेम पैदा हो गया।

श्री प्रतापसिंह---आपको दुश्मनी है?

श्री लालबहादुर---मुझे तो दुश्मनी पहले भी थी और आज भी है। यहां ग्रेजिंग लैंड और ग्रेजिंग फैसिलिटीज पर ही इतना विवाद खड़ा हुआ है। उन्हीं लोगों का संशोधन अगर मान लिया जाय, तो उस हालत में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस विधेयक को ही वापस ले लें। नारे लगाना बड़ी मामूली सी बातें हैं। यह कह देना कि किसान लुट गया, किसान बरबाद हो गया, इस तरह की बातें करना आसान है। मान्यवर, इसमें जो ग्रेजिंग फैसीलिटीज का प्राविजन रखा है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर इसको निकाल दिया जायेगा तो होगा यह कि जंगलों में भेड़ें जायेंगी, बकरी जायेंगी, गायें जायेंगी। तो एक तरफ तो हम प्लान्टेशन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग इन शब्दों को निकाल कर उसको खत्म करने पर तुले हुये हैं। फिर तो कोई जंगल में जाकर शेर व और अन्य जानवरों से बचने के लिये आग जलायेगा, कोई अपनी जरूरत के लिये लकड़ी काटने जायेगा, कोई बांस काटने चला जायेगा। तो इसको रोकने की बहुत जरूरत है।

श्रीमन्, बड़े तर्क दिये गये, कृष्ण भगवान के गुण गाये गये। मगर जो तथ्य है उस पर नहीं गये। कहा जाता है कि हमारा देश गउओं का देश है, हमारे देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं। ठीक है, इस तरह की बातें बहुत कही जा सकती हैं। मगर मैं पूछता हूं कि विदेशों में जहां इस तरह की फैसीलिटीज नहीं हैं, क्या वहां गाय हमारे यहां से कम दूध देती हैं? क्या वहां का किसान कम पैदा करता है? कम से कम जो गुण उनमें हैं वे गुण भी तो आप अपने में पैदा करें। अगर वह गुण आप ले लें, तो फिर बहस करने की जरूरत ही न रहे। इसलिये हमको विचार करना चाहिये। हम जो प्रोटेक्टेड फार्म होंगे उसी में ग्रेजिंग फेसीलिटीज देंगे। इतना कह कर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---(श्री टीकाराम पुजारी से) आपको केवल ५ मिनट ही मिलेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, दो मिनट और मिल जायं। श्रीमन्, वनों के बारे में जो यह संशोधन चल रहा है, तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वन का महत्व क्या है, इसको हमारे वन मंत्री महोदय को जानना चाहिये। यह वनों के मिनिस्टर हैं इनको जानना चाहिये कि वन वह स्थान हैं जहां पर बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, बड़े-बड़े फकीर लोग रहते हैं और उनके बड़े-बड़े दिमाग होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है---

"कहेहु मन्दोदरि सुनहु दशानन। चौथेपन नृप जाइये कानन।।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आप संशोधन पर बोलें ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं, श्रीमन्, उसी पर आ रहा हूं।

श्रीमन्, वनों में बड़े-बड़े आदमी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर वन-मानुष रहते हैं, मैं कहता हूं वहां पर वन-मानुष नहीं रहते, वहां पर बड़े-बड़े मानुष रहते हैं, ऋषि-मुनि और फकीर रहते हैं।

एक खतरा है, श्रीमन्, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मथुरा, आगरा, और अलीगढ़ आदि जो पश्चिम के जिले हैं उनमें दूध खूब मिलता है। पहले भी हमारे यहां दूध की नदियां बहा करती थीं। वहां पर मवेशियों के लिये चरागाहों की जरूरत है और अगर यह चरागाह सब फारेस्ट में चले गये, सरकार ने उन चरागाहों को अपने कब्जे में कर लिया तो आज दूध वहां पर देखने को भी नहीं मिलेगा। मंत्री तो बहुत हैं, आज मवेशी के मंत्री हैं, चरागाह के मंत्री हैं, यातायात के मंत्री हैं, कई तरह के मंत्री हैं।

पशुपालन के मिनिस्टर, बाबा नन्द थे, प्रधान, ९ लाख गायें थीं। आज क्या हो रहा है ? वहां बबूल होता है और ऐसा बबूल जिसमें एक डंडा नहीं बन सकता और न जिसकी सीरक में आदमी बैठ सकता है। दिमाग तो अच्छा है, लेकिन कब तक? सन् ६२ तक। सन् ६२ में इस दिमाग की कलई खुल जायगी। कोई नहीं पूछेगा इस दिमाग को। मेरा सुझाव है कि मेरे मंत्री महोदय, वन के मिनिस्टर बन करके गउओं को, भवेशियों को, दूध वाले जो पशु हैं उनको बचाइये, उन पर दया करिये और चरागाह गांव में छोड़ने की कृपा करें। ऐसा न करें कि यह इन पर भी हावी हो जायं। एक ने मुझ से कहा था कि भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे कांग्रेस वाला हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या स्वतंत्र, तो मैंने कहा कि जनवरी, फरवरी में तो ऊन नहीं लेना, मई और जून में ऊन लेना जिससे भेड़ भी बच जायगी और ऊन भी मिल जायगा। मेरा सुझाव है कि जनवरी के महीने में ऊन मत लो, वरना वह ठंड से मर जायगी। तुम्हें ऊन लेनी है तो मई, जून में लो, भेड़-बकरियां तुम्हारी हैं, ऊन जरूर ले जाओ।

आशा है कि मेरे मंत्री का दिमाग वन की आबोहवा लगने से शुद्ध होगा।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था.....

श्री अध्यक्ष---आप इस पर बोल चुके हैं क्या ?

श्री सुरथबहादुरशाह---इस संशोधन पर तो अभी बोलने उठा हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---आपने शब्द कहे कि "जैसा मैंने पहले अर्ज किया"।

श्री सुरथबहादुरशाह---फारेस्ट का बिल पहले से चल रहा है, मैंने कल भी कुछ अर्ज किया था, लेकिन निवेदन यह है कि आज एक दूसरे पर कुछ कम्पलीमेंट्स पे हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, इसमें शक नहीं कि मंत्री महोदय इस बात को आड़ लेते हैं कि वे जो करते हैं वह जनता के हित के लिए करते हैं और कानून की नजर में कोई लैकुना बाकी न रह जाय, लिहाजा इन शब्दों का प्रयोग करके इन लूपहोल्स को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में बात क्या है? यहां पर ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग के फायदे के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या उस नजरिये से यह करना चाहते हैं, सही है, पर हमको जो विरोध है वह इस कारण से है कि हमारा तजुर्बा यह है कि यहां कहते कुछ हैं और अंजाम कुछ और होता है। इनकी नीयत पर हमको सन्देह है, वह क्यों ? वह इसलिये कि हमको अपने तजुर्बे और अनुभव के कारण, अपने पास्ट एक्सपीरिएंस के कारण हमें रोज जो भुगतना पड़ता है उसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि आज तो ग्रेजिंग की लाइन लेलेंगे, मगर कल को कहेंगे कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और उन्हीं जमीनों पर प्लांटेशन शुरू हो जावेगा।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

१०–१५ वर्षों से कुर्बोजवार के इलाके में यह हो रहा है। जहां ग्रेंजिग होती थी, और चरागाह था, वह बन्द कर दिया जाता है क्योंकि प्लांटेशन खत्म हो जायगा। जब प्लांटेशन बढ़ चुकेगा तो कहेंगे कि यह तो नाजुक वुड है और मवेशी इसका नाश कर देंगे, पौधे उनकी रगड़ से टूट जायंगे तो १० वर्ष और नहीं इस्तेमाल करने देंगे। गर्ज कि आज जिसको ग्रेंजिग के नाम से लेते हैं उस पर २५ वर्ष तक ग्रेंजिग नहीं होने देंगे। इस कारण से बिल में जो 'ग्रेंजिग' शब्द है और 'सच अदर मैटर्स' शब्द आये हैं उनको हटाने की कृपा की जाय। आखिर मोहमिल क्यों रहे ?

उन्होंने ही यह फर्माया कि मैं जंगल का रहने वाला हूं, मेरी कांस्टीटुएन्सी जंगल में है, लिखने-पढ़ने की कमी है इसलिये मेरी समझ में बात नहीं आती। लेकिन मंत्री जी तो लखनऊ की नफासत में पले हुये हैं वह जब जंगल का काम करेंगे तो उसमें इनकी और इनके मशीरकारों की फ़ज़ीहत नजर आती है। जंगल का आदमी अगर कोशिश करे तो वह यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता है। हम तो उत्थान की तरफ विचार रखते हैं लेकिन हमारे मंत्री महोदय जो कि लखनऊ की नफासत, नजाकत और मजाक के नमूने हैं वह जब जंगल की चीजों पर ध्यान देते हैं तो नतीजा यह होता है कि वह और उनके मशीरकार दोनों मिल कर चौपट कर देते हैं। इस वजह से हमें सरकार की नीयत पर शक होता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वह शब्द 'ग्रेंजिग' को हटाने का संशोधन मंजूर करें। यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि मकसद कुछ, दिखावा कुछ और असलियत कुछ। मेरी गुजारिश है कि इन मासूम संशोधनों को मंजूर करने की कृपा करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर जो माननीय सदस्य बोले उनका मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं। उनमें से अधिकांश ने मेरा समर्थन ही किया। जो माननीय सदस्य मेरे खिलाफ बोले उनका मैं थोड़े शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। माननीय दुबे जी इस समय यहां नहीं हैं, मुझे दुख है, उन्होंने शायद कुछ ऐसी बातें कहीं कि जंगल में रह कर मेरा दिमाग भी कुछ जंगली हो गया है। मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं, उनको शायद कल तक पता चल जाय, कि जंगल में रहने का तो हमें फख्र होना चाहिये। कम से कम दुबे जी और हम जिस मजहब को मानते हैं उसमें भगवान श्रीकृष्ण ने तो जंगलों में ही अपना जीवन बिता दिया था। इसलिये उनको इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिये। हमारे पूज्य बापू जी जब जद्दोजहद में होते थे तो कौसानी के जंगल में चले जाते थे और नेहरू जी भी चले जाते थे इसलिये उनको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह फर्माई कि माननीय प्रताप सिंह जी अंग्रेजों की तारीफ करना चाहते हैं तो विलायत जायं। हमारे माननीय लाल बहादुर जी ने जो यह कहा कि अंग्रेज उनके दुश्मन हैं। मैं समझता हूं कि एक विधान सभा का माननीय सदस्य अगर ऐसी बात कहे एक मित्रराष्ट्र के लिये कि वह हमारा दुश्मन है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मुझे तो यह कहने में कोई शको शुबहा नहीं कि वह हमारे मित्र हैं। जिस कामनवेल्थ के हम सदस्य हैं उसके वह भी एक माननीय सदस्य हैं। महात्मा गांधी ने हमेशा हमको यह सिखाया था कि सिनर को नहीं बल्कि सिन को हेट करना चाहिये। अंग्रेज जो डंडे चलाते थे उससे हमको दुश्मनी थी न कि उनसे कोई दुशमनी थी। हेनरी पोलक, सिस्टर निवेदिता, सी० एफ० एन्ड्रयूज, रवीन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहते थे। सर वर्जर हसन अंग्रेजों के बड़े दोस्त रहे। अंग्रेज भले आदमी थे। इस प्रकार का लांछन लगाना उचित नहीं है। जब आपने स्वराज्य पाया तो नेहरू जी ने अंग्रेज गवर्नर जनरल को जाने नहीं दिया। उन्हें स्वतंत्रता पर पहला गवर्नर जनरल बनाया। लार्ड माउन्ट बेटन और पैट्रिला माउन्टबेटन बराबर तथा लेडी माउन्टबेल उनके बड़े दोस्त रहे हैं, वे यहां आते-जाते रहे और सब से प्रिय अतिथि रहे और पंडित नेहरू उनका आदर-सत्कार करते रहे। यही हममें और इस यू० पी० की कांग्रेस सरकार में फर्क है कि हम गुणों की तारीफ करते हैं लेकिन इस सरकार के लिये भलाई और बुराई दोनों बराबर हैं।

श्रीमन्, यह तरमीम जो रखी जा रही है यह बहुत ही खतरनाक है। इसमें बीच में यह लिखा हुआ है—

"Such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce or grazing facilities."

इसका अर्थ यह हुआ कि बीच की चीजों को अगर छोड़ दिया जाय तो ऐसी जमीन जिस पर ऐसी उपज हो जिससे चरागाहों की सुविधा में अन्तर पड़ता हो। इससे हमें बहुत डर लगता है। आज तक का जो कानून था वह यह था कि जंगल के लिये हम जमीन लेंगे लेकिन उसमें चरागाहों की सुविधा रहेगी। कुमायूं के प्रोटेक्टेड फारेस्ट में भी चरागाहों की सुविधा थी और है। माननीय लाल बहादुर जी पहले भी मंत्री जी से सलाह कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने परामर्श के बाद अपने भाषण में जो कुछ कहा उससे हमें बहुत डर लगा। हमारे पुराने कानून में जो नोटिफिकेशन पेज २७८ पर है फारेस्ट मेन्युअल के उसमें यह लिखा हुआ है—

"All *bona fide* residents of Kumaun are permitted to graze cattle without limit or restriction, fell and lop trees, cut grass and exercise all right of user in Class I reserves save as provided below :"

लेकिन आज मुझे भय और संदेह हो रहा है कि सरकार पाश्चर लैन्ड को ले रही है, क्योंकि लाल बहादुर जी ने कहा कि अगर प्रोटेक्टेड फारेस्ट में किसी को घुसने दिया जायगा तो फारेस्ट ही खत्म हो जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाश्चर फैसिलिटीज खत्म हो जायंगी। अगर इसका यही अर्थ है तो यह बिलकुल अंधेर है, अत्याचार है। इसका समर्थन कौन कर सकता है ? इसीलिये मेरे संशोधन का समर्थन कृष्ण कन्हैया के स्थान मथुरा के रहने वाले ने किया और काशी के रहने वाले लाल बहादुर ने अपना तांडव रूप ही दिखाया, उन्होंने तो अन्त्येष्टि क्रिया की बात कही। गौओं को खत्म करनें की बात ही कही। माननीय प्रतापसिंह जी ने चरागाहों के बारे में प्रकाश डाला। एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां भोटिया भाइयों को पड़ाव डालने का अधिकार है। ये लोग चीन और तिब्बत से हमारे बार्डर पर बसते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो जब राइट्स वाली बात आये तब आप कहियेगा, अभी तो इर्रेलेवेंट है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जब डेफीनीशन में आ जायगा तब वहां पर विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं इसको निप इन दि बड करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप तो कह रहे हैं कि फारेस्ट्स में ये-ये राइट्स थे। तो जो राइट फारेस्ट्स में आप मान लेंगे तभी तो राइट्स में क्लेम कर सकते हैं, इसलिये जब राइट का सवाल आये तब कहियेगा। इस जगह तो यह बहस अप्रासंगिक है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरे इस संशोधन में "ग्रेजिंग फैसिलिटीज" को निकालने की बात कही गयी है। अब अगर चरागाह को प्रोटेक्टेड फारेस्ट के अन्दर ले लिया तो ग्रेजिंग फेसिलिटीज न रही, तो इसका खराब असर पड़ सकता है और आपकी इजाजत से इतना और कह दूं कि भोटिया लोग नोमैडिक हैं। वे एक जगह नहीं रहते, आज यहां और कल वहां हैं। भेंड़ और बकरियां लेकर घूमते रहते हैं, आज एक जगह हैं, कल दूसरी जगह हैं और फिर तीसरी जगह चले जाते हैं, तो राइट्स उनको मिल गये अगर तो भोटिया लोग नाराज हो गये। एक ओर तो उनको खुश करने के लिये करोड़ों और अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, १७ करोड़ रुपये के करीब खर्च करके वहां पक्की सड़क बना रहे हैं। वहां २ करोड़ ९ लाख रुपया विकास के लिये खर्च कर रहे हैं, अब इतना करने के बाद अगर आप उनको थोड़े के लिये नाराज कर दें।

श्री अध्यक्ष---क्या आप यह चाहते हैं कि उन को वैसे ही भकटने दें और कहीं उनको सेटिल न किया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, कहां सेटिल हो रहे हैं ? उनकी जमीन तो भूमि विनाश व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ले ली गयी और अब वे ऐबसेंटी लैण्डलार्ड हैं । ऐबसेन्टी लैन्ड-लार्ड अगर कुमायूं में कोई है तो अधिकांश यह वही हैं । उनको एक ठिकाने आपने कर दिया और अब लाल बहादुर जी उनको अपने साथ काशीवास के लिये ले जाना चाहते हैं । तो मैं यही कह रहा था कि लाखों-करोड़ों खर्च करने के बाद, कोयलों पर मुहर लगाकर उनको अगर नाखुश कर दिया तो क्या लाभ है जबकि सीमा पर इतना खतरा है ? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम वे इन शब्दों को अवश्य निकाल दें ।

दूसरी बात इसमें माननीय मंत्री जी ने "अदर सच मैटर्स" रखा है । इससे परिभाषा इतनी व्यापक हो गयी है कि जिसका ठिकाना नहीं है :

"Forest" means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel, forest produce or grazing facilities, etc. etc.

इतना होने के बाद भी जब नहीं हुआ तो अदर सच मैटर्स रख दिया इसमें क्या हो सकता है । इससे तो अच्छा यह है कि वह प्रवर समिति में बैठ जाते और हमें बता देते कि "और अदर सच मैटर्स" से उनका क्या मतलब है, यह नहीं कि ऐसे विश्वव्यापी शब्द रख दिये कि जहां दुनिया की सभी चीजें उसके पेट में समा जायं । इस प्रकार की भाषा कानून में उचित नहीं है, हमारे संशोधन से उनके कहे सिद्धान्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इस संशोधन से एकरूपता ही आती है इसलिये मंत्री जी कृपा कर इसको मान लें ।

***श्री सैयद अली जहीर**---अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, पहले गुजारिश मने हाउस के सामने की थी, उसमें इसको रखने के जो अगराज हैं और जिसकी वजह से हमारा इसरार है वह मैं बयान कर चुका हूं कि किन वजूहात से इस भाषा का रखना आवश्यक है । बहुत-सी गैरमुताल्लिक बातें कही गईं, जैसे लोग जानवर ले जाते हैं चराने के लिये या इस तरह के और किस्से होते हैं, इन सब चीजों का ताल्लुक इस डेफीनिशन से नहीं है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि यह तो महज एक परिभाषा है, इसमें न हकूक पैदा होते हैं और न लिये जा रहे हैं, उनका जिक्र तो आगे की धाराओं में होगा । इसका तो मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रेजिन्ग फैसिलिटीज के लिये, प्रोटेक्शन आफ लैन्ड फ्राम इरोजन के जरिए हम जंगल को ठीक से रख सकें । यह डेवलपमेन्ट हो सके, इस खयाल से यह रखा गया है, इसके अलावा यहां कोई हकूक का सवाल नहीं है । अब मैं इससे ज्यादा जवाब नहीं देना चाहता । मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (१) (बी) की छठीं पंक्ति में शब्द "or grazing facilities" निकाल दिये जायं तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "erosion" के बाद के शब्द "or other such matters" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

खण्ड ३ के उपखन्ड (१) (बी) के भाग (i) में शब्द "forest" के बाद शब्द "with sufficient trees standing in between them" रख दिये जायं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये पेश किया गया है कि हम ऊपर "वूडी वेजीटेशन" वाली बात पास कर चुके हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ हों, लेकिन जहां पर बहुत कम पेड़ हों,वह चीज परिभाषा में नहीं है। एक तरफ हम कहें कि जहां पेड़ हों, झांड़ियां हों, वूडी वेजीटेशन हो, पाश्चर लैन्ड हो, सारी बातें हों तो उसे जंगल कहेंगे तब फिर ठूंठों के पीछे मंत्री जी क्यों पड़े हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। जैसा कि मैंने पहले सामान्य विवाद में अर्ज किया था कि शायद मंत्री जी का मतलब यह है कि जमींदार लोगों के जो पहले से जंगल रहे और वह सन् ५६ में तरमीम के द्वारा लिये गये कि उनका काटना रेगुलेट हुआ और काटने पर सजा देने की व्यवस्था हुई, कोई शाखा उनकी नहीं तराश सकता और उनकी छाल नहीं निकाल सकता, कोई फारेस्ट की पैदावार नहीं ले सकता, इस तरह के अधिकार लिये गये थे। मैं तो उस समय सदस्य नहीं था। बाद में उस अधिनियम को लागू करने हेतु गजट में नोटिफिकेशन निकाले जाने की बात थी। वह निकाली गई पर बाद में वापस ली गई। फिर बाद में सरकार ने उचित समझा कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाय। तो सन् ५६ की एक्टिविटीज में पहले ही बता चुका हूं कि क्या किया गया और यह उचित समझा गया कि बाद को नोटीफिकेशन को विदड्रा किया जाय। तो उसके बाद जंगल कटे होंगे क्योंकि उसमें इस बात को मद्देनजर रखा गया कि कुछ जंगल साफ किये जायं, 'ग्रो मोर फूड कैम्पेन' चलाया गया।

भाबर का कालोनाइजेशन हुआ। वहां तो यहां तक तमाशा हुआ, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में वह चीज सदन में पेश हो चुकी है, कि कुछ आदमियों की जमीन ऐक्वायर की गई उस पर जंगल थे और फिर कहा गया नहीं इन्हीं को वापस कर दो। उन्होंने पेड़ काट लिये फिर दे दी जमीन। जिनको भूमि दी गई उन्होंने पेड़ ले लिये और पेड़ों के पैसे भी नहीं दिये। तो ऐसे बहुत से पेड़ सरकार ने कटवाये। तो यह ठूंठ वाली जमीन उसी में आती है। अगर सरकार उस जमीन को लेना चाहती है जिसमें कालोनाइजेशन हुआ है तो ठीक है, उसको साफ-साफ क्यों नहीं कहती। मगर जब कहीं एक भी पेड़ नहीं हो तो वहां जंगल किस बात का? इतने पर भी इस संशोधन में मैंने यह नहीं कहा कि जिसमें ठूंठ हों वह जंगल हुआ ही नहीं। मैंने कहा ठूंठ भी हों तो बीच में कुछ पेड़ भी होने चाहिये। तो जहां एक भी पेड़ न हो वह तो जंगल होना गलत बात है। इसलिये बीच-बीच में कुछ पेड़ हों, यही मैं चाहता हूं और वही जंगल माना जाय। आशा है मंत्री जी मेरे संशोधन को अब स्वीकार करेंगे।

*श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, यह तरमीम मुझे मंजूर नहीं है। जो अल्फाज बढ़ाये जा रहे हैं "with sufficient trees standing in between them" इसका तो यहां कोई सवाल ही नहीं है। जहां दरख्त होंगे वह तो पहले ही सेंटेंस से कवर हो जाता है। "Forest means a tract of land covered with trees" जहां दरख्त काटे गये हैं और खाली स्टम्प्स रह गये हैं उसको भी जंगल मान रहे हैं, इसीलिये उसको भी डेफीनीशन में ला रहे हैं। जाहिर है कि जहां स्टम्प्स है वहां पहले जंगल रहा ही होगा। अगर इनका संशोधन माना जाता है तो सारा आबजेक्ट ही डिफीट हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अब मेरी शंका दूनी ठीक हो गई है। "Forest" means a tract of land covered with trees मैं इसको तो मान रहा हूं, यह इनक्लूसिव है। मेरी भी मंशा है और मंत्री जी ने जो अर्थ कर दिया है अगर विधेयक से वही अर्थ निकलता है तो मैं अपने संशोधन को लेने को तैयार हूं। लेकिन अर्थ यह निकलता है कि पेड़ों से कवर्ड हो तो जंगल होगा और पेड़ न हों, ठूंठ ही हों तो भी जंगल होगा। ठूंठ आखिर होंगे कहां? या तो वर्किन्ग प्लान ऐसा गलत बनता है कि एक भी पेड़ नहीं रखते हैं। अगर प्लान ऐसा बनता है कि पुराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पेड़ कटते जायं, नये पेड़ बढ़ते जायं तो परिभाषा यह ठीक है। इसलिये मंत्री जी मेरी बात सोचें। अगर तर्क बुद्धि से आप सोच लें कि यह ठीक है तो उसे मान लें।

श्री सैयद अली जहीर---मैं अर्ज कर चुका हूं कि मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) (बी) के भाग (i) में शब्द "forest" के बाद शब्द "with sufficient trees standing in between them" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) (बी) के भाग (ii) की पंक्ति ३ में शब्द तथा अंक "July, 1952" के आगे शब्द तथा अंक "and remained fallow on the lst July, 1959" बढ़ा दिये जायं।

मुझे उम्मीद है कि मेरे इस संशोधन पर माननीय वन मंत्री जरूर ध्यान देंगे। जमीन जो थी वह जमींदारों की थी। लकड़ी के ठेके दे कर ठेकेदारों से उन्होंने लकड़ी कटवा दी। उसके बाद जमीन खाली मिली तो नजराना लेकर छोटे-छोटे काश्तकारों को बांट दी। अब वे पट्टेदार हो गये। जमींदारों ने रुपया ले लिया। लकड़ी ठेकेदार ले गया। दोनों दारों को फायदा हो गया लेकिन नादार काश्तकार रह गया जिसने जमीन ली। सरकार को १० गुना लगान दे कर भूमिधर बन कर और गलती की। अब उसके फलस्वरूप क्या मिल रहा है? वह जंगल की जमीन रही हो, जंगल के बीच में रही हो या जंगल की जमीन थी, गर्ज वह सन् ५२ के पहले रही हो और कागजात में बंजर दर्ज हो तो वह उनकी जमीन जंगल हो सकती है।

एक तरफ तो सरकार अधिक अन्न उपजाओ कैम्पेन चला रही है। सन् ४७ में यह कैम्पेन चलाया। उसमें बहुत-सी जमीनें दी गयीं, लेकिन उनको अब फारेस्ट लैण्ड डिक्लेयर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

दूसरे मुल्क के बटवारे के बाद हजारों रिफ्यूजी आये। उनको जमीनें दी गयीं जिन पर उन्होंने काश्त की। वे भी इस परिभाषा में आ सकती हैं। तो फिर उनके लिये क्या सरकार व्यवस्था करेगी?

बड़ी दोहाई सन् ५६ के ऐक्ट की दी जा रही है। उसमें भी यही चीजें लाई गयीं। तो किस कारण से ऐसा किया गया। उद्देश्य और कारण के मैं दो जुमले पढ़ देना चाहता हूं:

"१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम बनने के पूर्व भूतपूर्व जमींदारों ने बहुत से वन क्षेत्रों को पुनरुद्धार और बाद में कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाये जाने के लिये पट्टे पर उठा दिया था। इस प्रकार उठाये गये पट्टों के बल पर बहुत से हितबद्ध लोगों ने उन बनों को साफ करना आरम्भ कर दिया या वे अब ऐसा करने के लिये इच्छुक हैं।"

तो उद्देश्य और कारण में यह दिखलाया जा रहा है जो साफ न कर चुके हों या इच्छुक हों, लेकिन यह बात कहां क्लीयर है कि जो वहां साफ हो गये हैं और जिन पर खेती की जा रही है उसके लिये इसमें क्या व्यवस्था है? लेकिन अगर वह परती बंजर हो और माननीय मंत्री जी ने जो परिभाषा रखी है कि वह ठूंठ हो तब मैं मानता हूं कि ठीक है, लेकिन अगर उस पर कृषि हो रही है और आज जबकि देश में इस कदर अन्न की कमी है, अरबों रुपये का अन्न हम बाहर से मंगा रहे हैं तो उस जमीन पर जंगल लगाने की क्या आवश्यकता है, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य भी जानते होंगे, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के पहले यह तय कर दिया गया था कि कोई जमींदार अपना जंगल मुन्तकिल न करे और सन् ४६ की कोई डेट फिक्स कर दी गयी थी कि उस तारीख के बाद से कोई पट्टा वैलिड नहीं होगा। बावजूद इसके यह पता चला कि बराबर खाली यही नहीं कि सन् ४६ के बाद पट्टे किये गये बल्कि बहुत से पट्टे ऐसे लिखे गये जिससे यह मालूम होता था कि कोशिश यह की गई कि सन् ४६ के पहले के हो जायं, पुराने स्टैम्प लगाये गये, पुरानी रसीदें वगैरह ली गयीं। जमीन जहां पर आज भी जंगल खड़े हैं पटवारी के कागजात में काश्तकारी दर्ज हो गयीं और यह लिखा है कि फलां शख्स उसका भूमिधर भी हो गया। इस किस्म के इतने केसेज हुए हैं कि जिसकी इन्तहा नहीं है। सूरते हाल यह है कि हमारे यहां जितनी जमीन जंगल की होनी चाहिये उससे भी कम है, करीब ८ या १० परसेंट। हमारे यहां १३ हजार स्क्वायर मील जंगल की जमीन है जबकि २० हजार स्क्वायर मील होनी चाहिये। ऐसी सूरत में यह जरूरी है कि कम से कम उन जमीनों को जो पहले जंगल थीं उनको लें। अगर उसका लीज इनवैलिड है तब तो हम कब्जा कर ही लेंगे, लेकिन अगर वैलिड लीज भी होगा तो भी हम उसको जंगल बनाना चाहते हैं। मैं फिर साफ कर दूं कि अगर किसी जमीन में काश्तकारी हो रही है तो हमारा कोई मंशा उसको डिस्टर्ब करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेज होंगे जिनमें महज एक सिम्बालिक तरीके से खेती दिखायी जा रही है वैसे ऐक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी जमीनों को लेने के लिये हमने यह कदम उठाया है और तारीख मुकर्रर कर दी है कि पहली जुलाई, १९५२ को जो जमीन जंगल में शामिल थी उसको हम जंगल बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष---जो अमेंडमेंट उन्होंने रखा उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री सैयद अली जहीर---अमेंडमेंट तो यह कहता है कि यह अल्फाज बढ़ा दिये जायं, "एंड रिमेन्ड फैलो आन फर्स्ट जुलाई, १९५९"। मान लीजिये कि फर्स्ट जुलाई के बाद से वह बिलकुल खाली पड़ी रही। तो इसमें बहुत दिक्कत होगी, सारा सबूत इकट्ठा करना होगा, सारे कागजात इकट्ठे करने होंगे, लिहाजा मैं इसको नहीं मान सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुरनतेजबहादुर का संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो तर्क दिया वह कुछ समझ में नहीं आया।

वह तो सिर्फ एक बहाना है केवल इसको नामंजूर करने का कि जमींदारों, ताल्लुकेदारों और राजाओं ने कुछ जमीन इस तरीके से पट्टे पर दे दी थी। अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता है....

श्री अध्यक्ष---अब आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३, अगस्त, १९६०।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५४ पर)

सूची (क)

टेक्निकल आडिट सेल द्वारा किए गए मुख्य कार्य:

(१) निर्माण कार्यों के सम्पादन और अनुरक्षण दोनों का, उनके सम्पादन काल और उसके पश्चात् भी, निरीक्षण।

(२) अनुबन्धों में दी गई उन विभिन्न मदों का निरीक्षण जिनके भुगतान की मांग की गयी या जिनका भुगतान किया गया।

(३) अनुबन्धों में दिये गये परिमाण और प्रकार की इस आशय से जांच कि वास्तव में सम्पादित निर्माण कार्यों के परिमाण और प्रकार उनके अनुरूप हैं या नहीं।

(४) बिलों, संविदाओं (Contracts), रोनामावलियों (Muster Rolls) आदि का निरीक्षण।

(५) सीमेंट, गारे आदि के नमूनों की आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच कराई गई।

उपर्युक्त कार्यों के फलस्वरूप अधिक भुगतान, कार्य सम्पादन में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के अनेक मामले प्रकाश में आये।

सूची (ख)

टेक्निकल आडिट सेल द्वारा किए गए कार्यों द्वारा हुआ लाभ:

	रु०
(१) ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुए धन में से पुन: वसूल की गयी धनराशि	५०,०००
(२) त्रुटि पूर्ण कार्यों के परिशोधन तथा खराब वस्तुओं के बदलने की धनराशि	४१,०००
(३) अधिक भुगतान हुए धन की वसूली तथा त्रुटिपूर्ण कार्यों के परिशोधन के सम्बन्ध में चल रही कार्यवाहियों के फलस्वरूप अनुमानित लाभ की धनराशि	२,००,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

मध्य प्रदेश की मुआविजा की दरें

१—भूमि—

(१) उत्तम—३४० रु० प्रति एकड़ यदि लगान की दर ५ रु० ५ आना ४ पाई है। उपरोक्त दर में लगान के अधिक या कम होने पर आनुपातिक वृद्धि या कमी की जा सकती है।

(२) मध्यम—१८० रु० प्रति एकड़, यदि लगान की दर ३ रु० ५ आना ४ पाई है। इस दर में उपरोक्त (१) की भांति कमी बेशी की जा सकती है।

(३) साधारण— बगार ३ .. ५० रु० प्रति एकड़।
" बगार २ .. ७५ रु० " एकड़।
" बगार १ .. १०० रु० " एकड़।
" गटार ३ .. ११० रु० " एकड़।

२—वृक्ष—

(१) फलदार पेड़ तथा आम, कटहल .. .. ५० रु० प्रति पेड़।
(२) अन्य फलदार पेड़ .. .. २० रु० " पेड़।
(३) लकड़ी वाले पेड़ .. .. बड़े १५ रु० प्रति पेड़।
छोटे २।। रु० प्रति पेड़।

३—मकान—

(१) झोपड़ियां

(अ) जिसकी दिवारें बांस की पटरों की हैं और छत फूस की है, ऊंचाई ६ फुट है .. .. ३२ न० पै० प्रति वर्ग फुट।

(ब) जिसकी दीवारें बांस की पटरों की हैं पर मिट्टी की पुताई हुई है, छत खपरैल ऊंचाई ६ फुट है .. ६० न० पै० प्रति वर्ग फुट।

(२) कच्चे मकान बिना पटावदार खपरैल ऊंचाई ७ फुट .. १ रु० ११ न० पै० प्रति वर्ग फुट।

बरांडे के लिये यदि ऊंचाई ५ फुट है .. ६६ न० पै० प्रति " फुट।

(३) कच्चे मकान १० फुट ऊंचे पटावदार .. १ रु० ५६ न० पै० प्रति " फुट।

खपरैल बरांडे ७ फुट पटावदार .. .. १ रु० १२ न० पै० प्रति " फुट।

(४) कच्चे मकान, दो कमरे दो मंजिले पटावदार खपरैल १५ फुट ऊंचे .. .. .. २ रु० प्रति " फुट।

(५) दो मंजिले मकान पटावदार
खपरैल मय बरामदा १५ फुट ऊंचा .. २ रु० प्रति वर्ग फुट।

बरांडे ७ फुट ऊंचे पटावदार .. .. १ रु० १२ न० पै० ,, ,, ,, ।

बाहर की दीवार, खपरैल .. .. ५० न० पै० ,, ,, ,, ।
इसके अतिरिक्त भूमि यदि आबादी में हो तो उसका दाम भी दिया जायगा।

४—कुंआ—

(१) कच्चा ४० फीट गहरा ७ फुट व्यास .. १५० रु० प्रति कुवां।

(२) पक्का या अर्द्ध पक्का के लिये १५० रु० के अतिरिक्त :
(अ) मिट्टी, गारा और ईंट से बने होने पर १०३ रु० २० न० पै० प्रति सौ वर्ग फुट।

(ब) चूना सुखा और ईंट से बने .. .. १०३ रु० २० न० पै० प्रति सौ वर्ग फुट।

(स) सीमेंट, बालू और ईंट से बने .. १०३ रु० ६५ न० पै० प्रति सौ वर्ग फुट।

पक्के कुवें में १० फुट गहराई के बाद .. ५ रु० ४० न० पै० प्रति १०४ वर्ग फीट के हिसाब से वैधिक दर पर प्रतिकर दिया जायगा।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३२ एल० ए०—१९६०—८४५।